छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	**प्रारंभिक**	**01**
1.7	अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं	02
1.8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	03
1.9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम1989	09
1.10	आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय	10
1.11	प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन	12
1.12	औद्योगिक नीति	13–17
1.13	अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति	18
2	**अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन**	**21**
2.1	शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	21
2.2	जनजाति सलाहकार परिषद का गठन	21
2.3	राजनीतिक आरक्षण	23
2.4	विधानसभा में आरक्षण	23
2.5	शासकीय सेवा में आरक्षण	23
2.6	जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन	23
2.7	अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं	25
2.8	परियोजना सलाहकार मंडल	33
2.9	परियोजना क्रियान्वयन समिति	35
2.10	आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन	35
2.11	अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	39
3	**अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी**	**43**
4	**अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं**	**45**
4.1	वन विभाग	45
4.2	ऊर्जा विभाग (क्रेडा/विद्युत मंडल)	48
4.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	50

4.4	कृषि विभाग	51
4.5	पशुपालन विभाग	55
4.6	मत्स्योद्योग विभाग	57
4.7	संस्कृति विभाग	65
4.8	गृह विभाग (पुलिस)	66
4.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	67
4.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	70
4.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	79
4.12	सहकारिता विभाग	83
4.13	समाज कल्याण विभाग	86
4.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	87
4.15	ग्रामोद्योग विभाग	89
4.16	लोक शिक्षण	97
4.17	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	102
4.18	उच्च शिक्षा विभाग	104
4.19	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	108
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	110
4.21	लोक निर्माण विभाग	111
5	**विकास कार्यक्रमों की समीक्षा**	**114**
5.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	116
5.2	पशुपालन विभाग	119
5.3	मत्स्य विभाग	120
5.4	सहकारिता विभाग	121
5.5	वन विभाग	123
5.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास)	127
5.7	ऊर्जा विभाग	128
5.8	ग्रामोद्योग विभाग	129
5.9	जल संसाधन विभाग	132
5.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	133
5.11	स्कूल शिक्षा विभाग	134

5.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	135
5.13	उच्च शिक्षा विभाग	140
5.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	141
5.15	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत विभाग)	144
5.16	महिला एवं बाल विकास विभाग	145
5.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	146
5.18	लोक निर्माण विभाग	149
6	**विशेष पिछडी जनजातियों का विकास**	**155**
7	**अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006**	**165**

परिशिष्ट

1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	167
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	168
2	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य	170
3	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 17 दिसंबर 2015	171
4 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	193
4 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	197
4 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	200
4 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	202
4 इ	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी. प्लान) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना	205

****

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2015–16

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015–16

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें (29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षित है।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 19 जिलों (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण– **परिशिष्ट–1 (अ) एवं (ब)** में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) 78.22 लाख है। जनगणना 2011 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 115.61 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 64.85 लाख (56.09%) है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 102.79 लाख (जनगणना 2011) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 58.69 लाख (57.09%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, दोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट–2** पर दर्शाया गया है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियां का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005–06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं :–

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :–

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिले वामपंथी गतिविधि से प्रभावित होने के कारण LWE जिलों की सूची में सम्मिलित किये गये है जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद, बालोद, गरियाबंद, धमतरी एवं राजनांदगांव है।

1. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2–2 तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेगी और शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।

2. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवासगृह आदि का निर्माण किया जायेगा।

3. सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों से भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई हैं इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4/82/गृह–सी/2001/दिनांक 20 अक्टूबर 2004 में उल्लेख अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/ परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है –

   अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो

   अथवा

   ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।

4. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुर्नव्यवस्थापन के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुर्नव्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो अंर्तविभागीय समिति उसका निराकरण करेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।

6. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :-

(1) उम्र, (2) शिक्षा, (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना।

7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा

उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना–2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायता अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	–	रू.	3,00,000
2.	ए.के.–47 रायॅफल	–	रू.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	–	रू.	1,00,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	–	रू.	50,000
5.	12 बोर बन्दुक	–	रू.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जायेगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवेदन कर सकेगें। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

12. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की गई है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई ''कटऑफ'' तिथियां यथावत रहेंगी।

13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक/कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पर विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रीमिटिव ट्राइव) की, की जाती है।

15. यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यतानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में, पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

17. नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

18. नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि उनके पुत्र–पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहते हों, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।

20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4''शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना– 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंबटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कराना आवश्यक है।

23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।

24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :–

1.	घायल को– क. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	 रू. 50,000 (रू.पचास हजार) रू. 10,000 (रू. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	 रू. 10,000 (रू. दस हजार) रू. 20,000 (रू. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रू. 10,000 (रू. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रेक्टर, जीप आदि	रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आयेंगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोडकर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित

जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।

28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आबंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आबंटित कर सकेगी।

1.9 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

सवर्ण व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जाकर समय-समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।

3. राज्य में कुल 11 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर तथा कोरिया जिलों हेतु स्वीकृत है। जिसमें 08 यथा– रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ में विशेष न्यायालय कार्यरत है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय :–

(1) अंतरण पर प्रतिबंध :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

धारा 165(6)

''उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (Aboriginal Tribe) होना घोषित किया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार –

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा,

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न को, जो कि किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।''

इस तरह राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी कृषक के द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को ही किया जा सकता है, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नही। राज्य में कुल 146 विकासखंड है, जिनमें से 85 विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 61 विकासखंड गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 85 अधिसूचित विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। शेष 61 गैर अधिसूचित विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि जिला कलेक्टर की अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती है, अन्यथा नही। अधिनियम में उक्त प्रावधान वर्ष 1976 से लागू किये गये है।

(2) कपटपूर्वक किये गये अन्तरण की जांच :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में या वर्ष 1976 में संशोधित उक्त प्रावधान लागू होने के पूर्व कपटपूर्वक किये गये अन्तरणों या अन्य रीति से किये गये अन्तरणों की जांच करने, ऐसा अन्तरण विधि विरूद्ध या असद्भाविक पाये जाने पर ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 170 में प्रावधान किये गये है। संक्षेप में प्रावधान निम्नानुसार है :–

(1) धारा 170 में यह प्रावधान किया गया है, कि वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्व यदि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि अन्तरण किया गया हो, अथवा वर्ष 1978 के बाद की स्थिति में, अन्तरण के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर मूल भूमि स्वामी के द्वारा स्वयं या उसके वारिसानों द्वारा ऐसे अन्तरित भूमि के कब्जा दिलाये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जाने का प्रावधान है।

(2) संहिता की धारा 170 में वर्ष 1980 में नया प्रावधान शामिल कर नवीन धारा 170(ख) शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1980 के पूर्व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा धारित भूमि यदि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के कब्जे में हैं, तो कब्जेदार 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करेगा, कि वह भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। ऐसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी, कि अन्तरण सद्भाविक है, या नही। यदि अन्तरण असद्भाविक पाया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त

भूमि मूल कृषक या उसके वारिसानों को वापस किया जावेगा। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, कि उक्त संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अर्थात वर्ष 1980 से 2 वर्ष के भीतर यदि कब्जेधारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो यह उप धारणा की जावेगी, कि अंतरण असद्भाविक है।

(3) वर्ष 1998 में अधिनियम की धारा 170 (ख) में उपधारा (2–क) शामिल कर यह नवीन प्रावधान शामिल किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी को अंतरण की जांच करने के लिए जो शक्तियां प्राप्त है, वह अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को होगी। इस तरह वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उक्त शक्तियां अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भी प्राप्त है। यदि ग्राम सभा उक्त कार्यवाही करने में असमर्थ होती है, तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी।

(4) अधिनियम की धारा 170(ग) में गैर आदिवासी को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही अधिवक्ता नियोजित करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 170(घ) द्वारा ऐसे समस्त आदेश, जो 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात धारा 170 के तहत पारित किये गये हैं, उनमें द्वितीय अपील वर्जित किये गये है।

(5) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि अंतरण संबंधी मामलों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी,जिसका विवरण निम्नानुसार है।

प्रावधान लागू होने से अब तक दर्ज प्रकरण	अब तक निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग के पक्ष में निराकृत प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग को लौटाई गई भूमि का रकबा	कब्जा देने हेतु शेष प्रकरण	रकबा
44464	44093	371	18037	12212.147	81	100.183

कब्जा नहीं सौंपने का कारण प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा स्थगन होना है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ.ग.साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयनः–

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋणग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :–

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2014–19 दिनांक 01 नवंबर 2014 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायत के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :–

ब्याज अनुदान :–

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :–

क. **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक।

ख. **मध्यम एवं वृहद उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।

ग. **मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट** (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75

क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक।

1. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क. **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

ख. **मध्यम उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 90 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 125 लाख।

ग. **वृहद उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत रु. 140 लाख।

घ. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

क्षेत्र	**विवरण**
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख

2. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :–

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

3. विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु) :–

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :– केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

4. औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :–

1. उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी एवं भू–भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

2. औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गो के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

   आरक्षण की अवधि नियम दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी।
3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जाएगी।
5. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।
6. मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट–4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

5. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियाँ, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बीईई) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किए गए भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

8. मार्जिन मनी अनुदान :–

रु. 5 करोड़ के पूँजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांक योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख होगी।

9. औद्योगिक पुरस्कार योजना :–

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

10. अन्य आर्थिक प्रोत्साहन :–

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :–

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)

(केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीप :– नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

1.13 अनुसूचित क्षेत्र मे आबकारी नीति :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलंभन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छूट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61घ में प्रावधान है :–

आबकारी अधिनियम की धारा 61घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट –

1. इस अधिनियम के उपबंध, आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :–

   (एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

   (दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।

   (तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड़ में हैं, जो निम्नानुसार है :–

धारा 61 ड़ मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति –

(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसि़द्ध करने की शक्ति होगी।

परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नही की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकाय, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलों से राहत :–जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को नियम–कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरूद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

❋❋❋❋❋

अध्याय–2

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का कियान्वयन

— — 0 — —

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :–

राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :–

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग जनजाति सलाहकार परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है। परिषद के गठन संबंधी अधिसूचना निम्नानुसार है :–

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 27 जून 2014

कमांक/एफ–20–2/2009/आजाकवि/25–2 : छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.05.2009 एवं 13.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान.श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान.श्री विक्रम उसेंडी, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	मान.सुश्री चम्पादेवी पावले, विधायक भरतपुर–सोनहत	सदस्य
7.	मान.श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक, प्रतापपुर	सदस्य

8.	मान.श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
9.	मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
10.	मान.श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव	सदस्य
11.	मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
12.	मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
13.	मान.श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	सदस्य
14.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	सदस्य
15.	मान.श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	सदस्य
16.	मान.श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला–मानपुर	सदस्य
17.	मान.श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा	सदस्य
18.	मान.श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2015 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–03 एवं 04 पर संलग्न है।

2.3 राजनीतिक आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 लोकसभा सदस्यों मे से 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.4 विधानसभा में आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :–

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गो को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.6 जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन :–

फर्जी जाति प्रमाण–पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार हैः–

जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

1.	प्रमुख सचिव / सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. रायपुर	सदस्य / सचिव
4.	संयुक्त संचालक (एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	सदस्य
5.	अनुसंधान अधिकारी / सहायक संचालक (अनुसंधान) (एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	सदस्य

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण–पत्र जाँच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती हैः–

1. शिकायत जनता से प्राप्त होने / विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।
2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण–पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।
3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण–पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण–पत्र धारक के पिता / पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक के माता / पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण–पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भरवाया जाता है।

4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल–खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।

5. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।

6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कस्बे में इश्तहार भी जारी कराया जाता है।

7. समिति के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।

8. नियोक्ता को समिति के निर्णय की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लिखा जाता है।

9. फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

प्रदेश में मुख्यालय स्तर पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का जांच कार्य विजिलेंस सेल द्वारा कराया जा रहा है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति में अब तक 546 प्रकरण प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से जांच के पश्चात् 356 प्रकरणों में आदेश पारित किया जा चुका है। जिसमें से 186 में जाति प्रमाण पत्र सही एवं 184 में जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया है।

2.7 अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :–

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनाः–

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अध्ययन एवं सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है । नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के अध्ययन के लिए **''आस्था''** योजना के तहत प्रभावित परिवारों के कुल 310 विद्यार्थी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित आवासीय विद्यालय में पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

''निष्ठा'' योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों के बच्चे राजनांदगांव जिले में निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं । वर्तमान में कुल 153 विद्यार्थी कक्षा 1ली से 12वीं तक कुल 16 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं । **''प्रयास''** नक्सल प्रभावित जिलों के 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अध्यापन के साथ–साथ जे.ई.ई (मेन/एडवांस)/ए.आई.पी.एम.टी/पी.एम.टी/पी.ई.टी की कोचिंग देने हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है । जिसमें कुल 1615 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ।

विशिष्ट उपलब्धि के रूप में इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों के 21 विद्यार्थी आई.आई.टी. हेतु क्वॉलीफाई हुए हैं तथा 10 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज हेतु चयनित हुए हैं ।

निष्ठा :– नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से उनके अध्ययन की व्यवस्था ''निष्ठा'' के तहत की गई है। वर्तमान में राजनांदगांव में यह व्यवस्था है जहां 199 विद्यार्थी राजनांदगांव जिले के 15 निजी संस्थाओं में अध्ययनरत है।

प्रयासः–नक्सल प्रभावित जिलों कांकेर/कोण्डागांव/बस्तर/नारायणपुर/बीजापुर/सुकमा दंतेवाड़ा/जशपुर/बलरामपुर/अंबिकापुर/बालोद/कोरिया/गरियाबंद/महासमुंद/धमतरी एवं राजनांदगांव के कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान/गणित विषय के अध्यापन के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में संचालित है जिसमें 1144 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्ष 2010 से 2015 तक कुल 04 बैच इस संस्था से पासआउट हो चुके हैं जिनका 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम लगभग शत प्रतिशत रहा है तथा कुल 07 विद्यार्थी आई.आई.टी., 47 एन.आई.टी. तथा 334 विद्यार्थी शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने में सफल हुए है। वर्ष 2015–16 में कांकेर जिला मुख्यालय पर 200 सीटर नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। जिसमें कक्षा 9वीं एवं 10वीं में छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत है।

सहयोग :–इसके अंतर्गत उक्त योजनाओं से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

2. जवाहर उत्कर्ष :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्कृष्ठ आवासीय विद्यालयों में 6वीं एवं 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत विगत 09 वर्षो में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1948 एवं अनुसूचित जाति के 309 छात्र–छात्राओं को इस प्रकार कुल 2257 छात्र–छात्राओं का चयन कर उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण का लाभ दिलाया गया है। इनमें से अनुसूचित जनजाति एवं जाति के 891 बच्चे 12वी उत्तीर्ण हुए है।

3. प्री–इंजीनियरिंग एवं प्री–मेडिकल कोचिंग योजना :– कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता न हों, को बेहतर राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेजों (आई.आई.टी. तथा एन.आई. टी) में प्रवेश दिलवाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014–15 तक कुल 215 अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के द्वारा प्री इंजीनियरिंग कोचिंग ली गई जिसमें से 38 विद्यार्थियों के द्वारा ए.आई.ई.ई.ई. के माध्यम से वे देश के विभिन्न एन.आई.टी. में प्रवेश लिये है। वर्ष 2015–16 में कुल 726 अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के द्वारा प्री इंजीनियरिंग कोचिंग ली गई जिसमें से 30 विद्यार्थियों के द्वारा जे.ई.ई.(मेंस/एडवांस) के माध्यम से वे देश के विभिन्न आई.आई.टी./एन.आई.टी./ए.आई.ई.ई.ई./राज्य इंजीनियरिंग में कुल 135 विद्यार्थी प्रवेश लिये है तथा 10 विद्यार्थियों पी.एम.टी. से चयनित होकर राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लिये है।

4. आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनाः–

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की प्रतिभाशाली छात्राएँ जिनकी विज्ञान एवं वाणिज्य में अभिरूचि है, किन्तु वनांचल क्षेत्रों में गुणवत्ता–परक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें पूर्ण संसाधनों के साथ अवसर उपलब्ध करा कर विज्ञान/वाणिज्य विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों के रूप में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013–14 से अभिनव योजना के रूप में प्रारंभ की गई है ।

उक्त योजनांतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में वर्ष 2013–14 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 330 बालिकाएँ प्रवेशित हैं तथा 500 सीटर बालक विज्ञान विकास केन्द्र जगदलपुर जिला मुख्यालय में स्थापित करने हेतु भवन निर्माणाधीन है ।

5. आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :–

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से 500 सीटर छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

6. वनबंधु कल्याण योजना :–

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उदेश्य से ''वनबंधु कल्याण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत लाइवलीहुड, कौशल परीक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएं तथा विद्यार्थियों को को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे है। वर्ष 2015–16 में योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल है को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 10 आश्रत विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब तक रू.1416.50 लाख की स्वीकृति दी गई है।

7. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :–

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास–आश्रम में ''खाद्यान्न सुरक्षा योजना'' लागू की गई है।

8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयः– राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना,उनमें प्रतिस्पर्घा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। उक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 06 बालक तथा 02 कन्या एवं 08 संयुक्त आवासीय विद्यालय इस तरह कुल 16 आवासीय विद्यालय प्रदेश के विभिन्न जिलो में संचालित किए जा रह है। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वी तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 4452 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ. ग. बोर्ड के पाठयक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। निकट भविष्य में इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठयक्रम संचालित करने की विभाग की योजना है।

शिक्षा सत्र 2016 कक्षा 10वी परीक्षफल 98 प्रतिशत रहा इसी तरह कक्षा 12 का परीक्षाफल 91 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा अंतर्गत 21 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं में हुआ।

9. सरस्वती सायकिल प्रदाय योजना :– महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को कक्षा 8वीं पास कर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल प्रदाय की जाती है।

अब तक 120 विद्यार्थियों ने आई.ए.एस.02 से आई.ई.एस तथा 05 ने उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है। वर्ष 2015–16 में युवा कैरियर निर्माण अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये 44 अभ्यर्थी तथा 04 विशेष जनजाति वर्ग के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक ऑनर्स से सफलतापूर्वक अध्ययनरत है।यहां प्रवेशरत सभी छात्र–छात्राएं पूरे उत्साह, लगन तथा परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

10. निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना :– प्राथमिक स्तर की अनु.जनजाति एवं अनु.जाति की समस्त बालिकाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1ली से 8वीं तक के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है।

11. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना :– कक्षा 1ली से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वितरित की जाती है। विभाग द्वारा 9वीं एवं 10वी की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है।

12. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों में सतत् उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने हेतु पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने एवं प्रतियोगिता की भावना जागृत करना हैं यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के 700 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 300 छात्र–छात्राओं को प्रति विद्यार्थी राशि 15,000/– पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता हैं।

13. नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– देश–विदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास एवं विस्तार परिलक्षित हो रहे है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों मे अस्पताल, नर्सिंग होम स्थापित होने के फलस्वरूप इनमें योग्य एवं प्रशिक्षित नर्सो की मांग बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की युवतियों को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा दिलाकर रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने हेतु यह योजना वर्ष 2009–10 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं योजनांतर्गत

प्रतिवर्ष 400 युवतियों का चार वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चयन किया जाकर प्रशिक्षण हेतु विभिन्न निजी संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता हैं। वर्ष 2015–16 में योजनाअंतर्गत अनुसूचित जाति मद में रू.450.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में रू.720.00 लाख का बजट प्रावधानित है।

14 **छात्र भोजन सहाय योजना** :– विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु प्रति छात्र –छात्रा रू. 400/– प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 हेतु रू1186.80 लाख का बजटीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 23278 है।

15. **विशेष शिक्षण योजना** :– अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रवीणता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

16. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना** :– विभागीय छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि वे कम्प्यूटर के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सी.डी. आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं सूचना आदान–प्रदान की नवीन तकनीकों से परिचित हो सके।

17. **स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना)** :– चिकित्सा सुविधा अप्राप्त/विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015–16 में लगभग 66000 छात्र/छात्राएं लाभान्वित रहे है।

18. **आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण** :– आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं परिवर्धन की दृष्टि से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु एक वित्तीय वर्ष में किसी एक जनपद पंचायत से अधिकतम 05 सांस्कृतिक दलों को रू. 10,000/– की सहायता राशि दी जाती है। वर्ष 2015–16 में राशि रू.100.00 लाख का बजटीय प्रावधान उपलब्ध रहा है।

19. **जनजातियों के पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना** :– राज्य के समस्त आदिवासी ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु

श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। योजना के तहत प्रति ग्राम रू. 50,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

20. युवा कैरियर निर्माण योजना :–

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुख्य रूप से शासकीय शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर की जाती थी जिसके कारण योजना में सफलता का प्रतिशत कम रहता था। उक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2006 में युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को Out sourcing करके देने का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसका परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा है। वर्तमान में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में संचालित की जा रही है। वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए बैंकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग के कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2008 की राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में कुल 26 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयन किया गया है। वर्ष 2012–13 में बैंकिग, रेल्वे भर्ती इत्यादि परीक्षाओं में 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। उल्लेखनीय है इनमें से 4 प्रतिभागियों का प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में चयन हुआ है वर्ष 2011 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में कुल 09 अभ्यर्थी, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयनित हुए है। वर्ष 2012 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की 02 माह की अल्पावधि में कोचिंग संचालित की गई जिसमें कुल 32 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया गया । जिसमें 04 अभ्यर्थी अंतिम रूप से विभिन्न पदों पर चयनित हुए है जिसमें कु. आराध्या कमार, विशेष पिछड़ी जनजाति की अभ्यर्थी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद हेतु हुआ है। युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 से नई दिल्ली स्थित सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निजी कोंचिंग संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान की जा रही है। योजनांतर्गत वर्ष 2015–16 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में 100, रायपुर में 100 तथा जगदलपुर में 100 प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वर्ष 2014 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 अभ्यर्थियों में से 16 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए। एसएसएस, बैंकिंग, व्यापम, रेल्वे भर्ती आदि अन्य परीक्षाओं की

कोचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों में से 19 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में अभ्ययर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2012 के धोषित परिणाम में से 08 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गये।एसएससी, बैंकिंग, व्यापक, रैलवे भर्ती आदि अन्य परीक्षाओं की कोंचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों में से 21 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ।परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जगदलपुर में एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, रैलवे भर्ती आदि इन परीक्षाओं की कोचिंग हेतु जून 2015 से प्रशिक्षण संचालित किया गया है जिसमें प्राप्त परिणाम के आधार पर 09 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है।

21. **ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :—** देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए द्वारका नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हास्टल संचालित किया जा रहा है। इस संस्था का उददेश्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए प्रोत्साहित करते हुए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। साथ ही संस्था में पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठयक्रम में प्रवेश लेकर उत्कृष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्यन की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है जहां आवास करने वाले बच्चों को भोजन, आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है।

अब तक 120 विद्यार्थियों ने आई.ए.एस.02 से आई.ई.एस तथा 05 ने उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है। वर्ष 2015—16 में युवा कैरियर निर्माण अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये 44 अभ्यर्थी तथा 04 विशेष जनजाति वर्ग के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक ऑनर्स से सफलतापूर्वक अध्ययनरत है।यहां प्रवेशरत सभी छात्र—छात्राएं पूरे उत्साह, लगन तथा परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

22. **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :—** सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पालक आयकर दाता नहीं है उन्हे लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 10,000/— एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 20,000/— तथा यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 1,00,000/— की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। अब तक 117 विद्यार्थियों को राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु एवं 10 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु लाभान्वित किया गया है।

23. मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :–

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले में 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदेश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं

वर्ष 2015–16 में जिले से प्रेषित प्रस्ताव राशि रू.5002.95 लाख के विरूद्ध शासन द्वारा राशि रू.2884.79 लाख की स्वीकृति दी जाकर राशि रू.1442.88 लाख (केन्द्रांश राशि रू.1004.75 लाख एवं राज्यांश राशि रूपए 438.145 लाख) का आबंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देश में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है।

2.8 परियोजना सलाहकार मण्डल :–

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ–23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए हैं तथा सदस्य सचिव, परियोजना प्रशासकों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. अध्यक्ष –राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष।
2. सदस्य –

क. जिला पंचायत अध्यक्ष।

ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।

ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होंगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।

ञ. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।

च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।

छ. कलेक्टर।

ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।

झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।

ञ. अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ–23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलो के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि के उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :–

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कूलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज–सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.9 परियोजना क्रियान्वयन समिति :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य हैः–

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यो में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.10 आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन :– वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उददेश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिये प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, विकास कार्यो से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

(अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर) तथा दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा) को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005–06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका विस्तार किया गया।

(ब) **सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–** राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005–06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया।

बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण, से उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत प्रमुख कार्य :–

- ✓ आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संपादन के लिए सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन एवं रंगमंच निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ आवागमन व्यवस्था को सामान्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए तात्कालिक महत्व के छोटे–छोटे पुल–पुलियों के निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विद्युत विस्तार एवं असाध्य पंपों के उर्जीकरण के लिए स्वीकृतियां।
- ✓ शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ पहुंच विहीन क्षेत्र में बारहमासी खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु खाद्यान्न के भंडारण के लिये गोदाम निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करने के लिए पुलिस संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु बैरक निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि कार्यो की स्वीकृतियां।
- ✓ आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना एवं एयर होस्टेस, एवियेशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

प्राधिकरण की बैठकों में क्षेत्रीय मांग पर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

- ➢ अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।

- जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय स्तर पर चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- विकास की गतिविधि को तेज करने तथा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजापुर तथा नारायणपुर को राजस्व जिला बनाने का निर्णय।
- अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- प्राधिकरण के निर्देश पर जिला बस्तर के जगदलपुर में एन.एम.डी.सी. के सहयोग से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई।
- जिला बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में 39 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण का निर्णय।
- प्राधिकरण क्षेत्र के हाट बाजारों में चलित चिकित्सालय के संचालन हेतु मोबाइल वाहन की स्वीकृति का निर्णय।
- अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए जिला बस्तर में इन्द्रावती नदी, जिला दंतेवाड़ा के शंखिनी नदी तथा जिला कांकेर के दूध नदी में एनीकट निर्माण का निर्णय।
- स्थानीय युवक जिन्हे बस्तर की भाषा, बोली भौगोलिक क्षेत्र तथा सामाजिक संवेदनाओं का ज्ञान है, पटवारी पद की भर्ती में प्राथमिकता प्रदान का निर्णय।
- अंचल के विकासखंड मुख्यालयों में 100 सीटर आश्रम शालाओं की स्थापना का निर्णय।
- जिला दंतेवाड़ा में प्राधिकरण एवं एन.एम.डी.सी. के सहयोग से लघु वनोपजों के गोदामीकरण के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।
- जिला बीजापुर तथा नारायणपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना, लाख पालन, शहद पालन, औषधि संस्करण एवं प्रसंस्करण साथ ही राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, कम्बल बुनाई प्रशिक्षण तथा एयर होस्टेज, एवियेशन हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय।
- बस्तर संभाग अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कुपोषण को दूर करने के लिए 5 रूपए प्रति किलो देशी चना प्रदान का निर्णय।

- ➢ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

सरगुजा एव उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

- अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।
- अंचल के दुर्गम क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने तथा मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी–दस्त, पेचिश, मलेरिया से त्वरित गति से निपटने के लिए चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना, राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, एयर होस्टेस, एवियेशन हॉस्पीटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय।
- कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला सरगुजा के सूरजपुर व बलरामपुर को नया पुलिस जिला बनाया गया है।
- अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- अंचल के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर की बसाहटों में 100 व्यक्तियों की आबादी पर ही हैंडपंप लगाए जाने के सिद्धांत पर छूट देते हुए कम आबादी की बसाहटों में हैंडपंप खनन के निर्देश दिए गए। इसके तहत 180 हैंडपंपों की स्थापना की गई।
- बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराए जाने के निर्देश निजी संस्थाओं के साथ शासकीय उपक्रमों जैसे – बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी एवं जिंदल प्रबंधन को दिए गए।
- चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शासकीय चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक मेडिकल कालेज के प्राध्यापक चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
- जिला जशपुर में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने तथा पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाने की स्वीकृति।

- कोरबा में बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. एवं जिंदल के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

अनुसूचित जनजाति– अनुसूचित जाति बहुल अंचलों में विकास के नये प्रयास

नए जिलों का गठन :–

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 01 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। जिलों के क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण जिला प्रशासन की सेवाओं को दूरस्थ गांवों तक पहुंचाना मुश्किल काम था। इसी तरह जिलों के सीमावर्ती अंचलों में रहने वाले लोगों जिनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बसाहटें ज्यादा है, इन वर्गो की आर्थिक स्थिति सामान्यतः कमजोर होने के कारण अपने छोटे–बड़े कामों के लिये जिला मुख्यालय तक पहुंचना इनकी प्रमुख समस्या थी। कई क्षेत्रों में तो जिला प्रशासन तक पहुंचनें में लोगों को 200 कि.मी. तक सफर करना पड़ता था जिसमें उनका बहुत समय, धन, श्रम खर्च होता था। छत्तीसगढ़ शासन ने छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन के लिए जिलों के युक्तियुक्तकरण का अभियान चलाया। जिसके तहत पहले सन 2007 में 02 नए जिले बनाए गए। इसी तरह जनवरी 2012 से 09 जिले गठित किए गए। इस पूरी प्रकिया मे 11 नए जिलों का गठन किया गया है। इसका लाभ मुख्यतः अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों और उनकी बसाहटों को मिल रहा है।इस तरह अब राज्य में 16 से बढ़कर 27 जिले हो गए है। जिला मुख्यालय से जिले के अंतिम गांव का दायरा सीमित हो गया है। इससे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग में सुविधा हुई है। वहीं दूरस्थ गांवों के लोगों को अपनी बात या अपने काम लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचना आसान हो गया है।

2.11 अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :–

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन–

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन)

	क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग–9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129–ड में निम्न प्रावधान रखे गये है– अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129–ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है– 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में	धारा 170–ख–आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़

	ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रारूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2–क)–यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह

		मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।
4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरूद्ध तथा अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा–170–ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2–क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है:– (2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू–स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी: (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी

1.विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9–8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि,छ.ग.राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब्स) जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एंव चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हों तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे।

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 02 (प्रधान पाठक) मे, 263 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 एवं 12 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1385 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1672 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :–

छ.ग.शासन,वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक/772/एफ–3/1/2004/वित्त/ब–4/चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत्

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क./एफ–14–53/ 25–3/ 2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से

जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 5137 एवं चतुर्थ श्रेणी के 5043 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

4. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावा प्रकरणों के हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के नियम 6 के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जावे अर्थात :—

''(ढ) उप—खंड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वतः याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खंड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।''

❋❋❋❋❋

अध्याय – 4

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है। इन वर्गों के हित–संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को निर्देश देने बाबत् संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 46 में व्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए अनु.जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 वन विभाग :–

1 बिगड़े वनों का सुधार

आबादी से घिरे तथा अत्यधिक चराई एवं निस्तार आपूर्ति का दबाव सहते हुए ऐसे वन क्षेत्रों जिसका घनत्व कम हो गया है, उसे सामान्यतः बिगड़े वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन विरल वनक्षेत्रों को पुनः सघन क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए, इन क्षेत्रों में उपलब्ध जल भंडार तथा रिक्त क्षेत्रों में वृक्षरोपण कर वन आवरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास इस योजना में किया जाता है। साथ ही यह प्रयास भी किया जाता है कि क्षेत्र में मृदा एवं जल का संरक्षण करते हुए इन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाया जाये। ऐसे कार्यो की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब स्थानीय निवासियों का सहयोग क्षेत्रों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यो में प्राप्त किया जाये। इस योजना में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है और सुधार कार्य के प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली वनोपज को समितियों को प्रदान किया जाता है। क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बिगड़े वनों के सुधार की योजना में निर्धारित राशि इन समितियों को प्रदान की जाती है। राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	रोपण / रोपण सहित कार्य (हे.मे)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रखरखाव
2012–13	27900	154400
2013–14	24600	249400

2014—15	45247	269803
2015—16 (दिसंबर 2015)	38055	257972

2 बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बांस वनों का चयन किया जाकर कार्य आयोजना में उनके उपचार का प्रावधान किया जाता है जिसमें बांस के भिर्रे—शीर्ण हो गए है अथवा अत्यधिक गुंथ गए है और जिसके फलस्वरूप उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है। इन चिन्हांकित बांस क्षेत्रों में मुख्यतः गुथे इस बांस भिर्रे की सफाई, भिर्रो की परिधि में मृदा कार्य तथा विरल बांस के क्षेत्रों में बांस के राईजोम आदि से रोपण का कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मृदा संबंधी कार्य से अविकसित भिर्रो को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है जिनसे नये बांसों के कल्ले निकलते हैं तथा उनकी गुणवत्ता एवं संख्या में सुधार होता है।

वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण :—

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का सर्वे सीमांकन एवं आर. डी.बी. एफ.कार्य (हे.मे.)
2012—13	33250
2013—14	36057
2014—15	32992
2015—16 (दिसंबर 2015)	33210

3 पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क आदि के विकास का कार्य लिया जाता है जिसके कि, शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार हो तथा प्रदूषण की रोकथाम प्रभावी तौर पर हो एवं स्थानीय निवासियों में पर्यावरण चेतना जागृत हो।

4 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधि रोपण

प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संवर्धन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है।

5 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास

वन प्रबंधन समितियों की वनों से निर्भरता कम करते हुए उन्हे अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से समिति क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा आस्थामूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों में कार्य स्वीकृत किये गये है।

6 लघुवनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है।

7 पौधा प्रदाय योजना

इस योजना के तहत निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' के नाम से एक योजना संचालित है। इस योजना के निजी भू–स्वामी को उसके स्वत्व की भूमि पर पौधा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभाग द्वारा 1 रूपये प्रति पौधा की रियायती दर पर प्रति भू–स्वामी 1000 पौधे की अधिकतम सीमा तक पौधे उपलब्ध कराए जाते है। वर्ष 2014–15 में 30.55 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण का कार्य किया गया। वर्ष 2015–16 में 8.12 लाख पौधा का रखरखाव एवं वितरण किया गया है।

8 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

9 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण से रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाये रखने के उद्‌देश्य से विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है।

10 सामाजिक वानिकी

इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है।

11 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है।

12 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है।

13 **वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण :–** इस योजना में वऩक्षेत्रों से गुजरने वाले वनमार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे दूरस्थ अंचलों में निवासरत वनवासियों/ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन तथा वनोपज निवासी में सुविधा हो सके। वर्ष 2014–15 में 455 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया गया। इस वर्ष 2015–16 में 289 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

14 **राष्ट्रीय बांस मिशन :–** प्रदेश में वनों में बांस के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए बांस रोपण एवं बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया है। बांस मिशन द्वारा बसोड़, कमार, कंडरा, बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा जाति के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

मिशन के उद्देश्य:–

1. वन क्षेत्र, गैर वन क्षेत्र में बांस रोपण, बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार एवं किसानों के निजी पड़त भूमि में बांस की खेती को प्रोत्साहित करना।
2. बसोड़ एवं बांस उद्योग से जुड़े परंपरागत समुदायों के क्षमता का उन्नयन क्षमता।
3. राज्य स्तर पर बांस एवं बांस के नवीनतम उत्पाद को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजना करना।

4.2 ऊर्जा विभाग (विद्युत मंडल)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन/केन्द्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएं संचालित है :–

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (6825) :–

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हेतु केन्द्र/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजनांतर्गत 90 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 10 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(2) कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758) :–

इस योजना के अंतर्गत कृषि पंपों का उर्जीकरण कर नए पंप कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं इस कार्य के संपादन हेतु विद्युत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण किया गया है तथा असाध्य कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305) :–

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है।

(4) एकलबत्ती (बीपीएल) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान :–

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 40 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

(5) शासकीय स्कूलों/अस्पतालों का विद्युतीकरण :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शासकीय स्कूलों/अस्पतालों का विद्युतीकरण किया जाना है, इस बाबत् वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलबध कराई जाकर अस्पतालों/शासकीय स्कूलों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

4.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की वर्ष 2015–16 की प्रमुख योजनाओं का विवरण :–

1 ग्रामीण विद्युतीकरण :– इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरे–टोलों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाता है। जो वनबाधित है तथा जिनका पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नही है।

2 घरेलु/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना :– ग्रामों में उपलब्ध पशुधन के गोबर तथा पानी के मिश्रण का उपयोग कर बायोगैस संयंत्रों का संचालन किया जाता है। इन बायोगैस संयंत्रों में उत्पादित गैस का उपयोग भोजन तैयार करने तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु किया जाता है एवं अपशिष्ट के रूप में प्राप्त उत्तम कोटि की खाद का उपयोग खेती में किया जाता है।

3 सौर संयंत्रों की स्थापना :– इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों, अर्धसैनिक बलों के कैम्प, स्कूल/कालेज, बैंक, आर.टी.ओ., चेकपोस्ट तथा राहत शिविरों में एवं आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में सौर संयंत्र स्थापित किये गये है।

4 अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों का सौर विद्युतीकरण :– इस योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजाति के 3 छात्रावासों/आश्रमों को फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकृत किया गया है।

5 सोलर टास्क एवं सोलर स्टडी लैंप :– प्रदेश के भौगोलिक रूप से पहुंचविहीन वाले ऐसे क्षेत्रों एवं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में सम्मिलित राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के 10 विकासखंडों तथा अनुसूचित क्षेत्र के चिन्हित 85 विकासखंडों के ग्रामों में निवासरत परिवारों को सोलर टास्क लैंप एवं स्कूलों में कक्षा 4थी से 12वी तक के छात्र–छात्राओं को सोलर स्टडी लैंप का निःशुल्क प्रदाय किया गया है।

6 सोलर पम्प :– छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे अनेक ग्राम हैं, जो सघन वन क्षेत्र में होने के कारण अविद्युतीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहॉ नियमित विद्युत प्रदाय की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के कई लघु एवं सीमांत कृषक विद्युत पम्प की व्यवस्था न होने के कारण खेतों में सिंचाई नही कर पा रहे हैं। इन सौर जलपम्पों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ पेयजल के लिये कर रहे हैं।

7 बायोमॉस गैसीफायर कुक स्टोव्ह :– लकड़ी के छोटे–छोटे टुकड़ों का उपयोग कर खाना बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है यह स्टोव्ह धुंआ रहित होता है।

4.3 महिला एवं बाल विकास विभाग

1 आयुष्मति योजना :– ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता हैं ।

2 महिला जागृति शिविर :– महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारो, प्रावधानो तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते है। योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओ की जानकारी देकर उन्हे जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओ के विरूद्ध महिलाओं को संगठित करना है।

3 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :– इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व.सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाता है।

4 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :– पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड़, प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम

राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़, प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है।

5 एकीकृत बाल विकास योजना :— भारत शासन द्वारा सर्वोत्तम बाल हित तथा बच्चों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ की गई है।

6 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :— इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन—देन की रोकथाम करना है। योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15,000/— की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।

8 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :— गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जून 2009 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है।

4.4 कृषि विभाग

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ—साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

1 अक्ती बीज संवर्धन :—यह राज्य पोषित योजना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये रू.500/— प्रति क्विंटल तथा वितरण पर रू.500/— प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाता है।

2 रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। राज्य में रामतिल के उत्पादन की वृद्धि के लिये आधार/ब्रीड सीड, उर्वरक, प्रदर्शन एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जशपुर, कोण्डागांव, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में क्रियान्वित है।

3 राज्य गन्ना विकास योजना :—यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज क्रय, टिश्यू कल्चर पौध, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।

4 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :—यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5 शाकम्बरी योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को 0.5 से 5 हार्स पॉवर तक विद्युत तथा ओपन वेल, सबमर्सिबल पंप एवं डीजल पंप क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 16,875/— अनुदान एवं कूप निर्माण पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू.22,500/— अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

6 सूक्ष्म सिंचाई योजना :— यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

7 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./ अ.ज.जा. कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

8 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना स्थानीय जरुरतों/ फसलों के अनुकुल योजनाए तैयार करना कृषि और समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना उपज अंतर को कम करना उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रावधान है।

9 आईसोपाम विकास योजना :— यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खण्ड प्रदर्शन, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

10 मेक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान :— यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत् गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यू इंटरवेशन, एवं कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित है।

11 ग्रीष्मकालीन धान को छोड़कर मक्का, दलहन, तिलहन फसल प्रोत्साहन योजना :– यह योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 से क्रियान्वित की जा रही है। योजनांतर्गत रू 2,000/–प्रति एकड़ की दर से एक कृषक को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन एवं मक्का फसल लगाने वाले कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं

12 कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना :– कृषि मजदूरों को कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र किट जिसकी लगभग कीमत रू 42,000/– है, निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

13 वन ग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित धान/ हाईब्रिड मक्का एवं उर्वरक वितरण :– वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनभूमि पट्टा आबंटित वनवासियों को एक एकड़ तक 30 कि.ग्राम प्रमाणित धान अथवा 8 कि.ग्राम हाईब्रिड मक्का बीज एवं 50 कि. ग्राम एन.पी. के उर्वरक निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है।

14 खलिहान अग्नि दुर्घटना राहत योजना :– प्रदेश में खलिहान में मिसाई हेतु रखी गई फसलों/उपज के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है जिसके तहत वास्तविक अथवा अधिकतम रू. 25,000/–देय है।

15 उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन योजना :– केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत कृषकों को आधा एकड़ (0.2 हे.) के लिए सभी फसलों के आधार/प्रमाणित बीज, कीमत के 50 प्रतिशत, बीज भंडार कोठी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 33 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया जाता है। जो कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं उन्हे प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

16 पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मैनेजमेंट योजना :–भारत सरकार के केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित थ्रस्ट एरिया में कृषि विपणन में सुधार एवं कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन का कार्य पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

17 नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम :– कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2007–08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे है उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

4.4.1 उद्यानिकी :–

1 घरेलू बागवानी की आदर्श योजना :– इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को उनके निवास के साथ उपलब्ध भूमि में रोपण हेतु 4 से 5 प्रकार के सब्जी बीज कुल रूपये 25.00 के उपलब्ध कराये जाते हैं ।

2 फलोद्यान विकास योजना :– प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित करना है।

3 नर्सरी में उन्नत एव प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :– यह कार्यक्रम अ.ज.जा. क्षेत्र के शासकीय विभागीय रोपणियों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलू एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

4 उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :– प्रदेश में अ.ज.जा. क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है।

5 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :– वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका संचालन 85 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि से होता है। योजनांतर्गत वर्ष 2015–16 में कियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास
2. फल पौध उत्पादन की योजना
3. कार्बनिक कृषि
4. जल संसाधन स्त्रोतो का निर्माण
5. फसल कटाई के प्रबंध
6. संरक्षित खेती कार्यक्रम
7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम
8. अन्य गतिविधियां – (पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, आई.पी.एम. को बढ़ावा देना, रोग प्रतिरोधक यूनिट शा.क्षेत्र)

6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रदेश मे संचालित है, योजनांतर्गत सब्जी विकास हेतु 3125 हेक्टेयर, मसाला विकास हेतु 2460 हेक्टेयर, पुष्प विकास के अंतर्गत 131 हेक्टेयर, आई.पी.एम. मे 6400 हेक्टेयर, तथा जैविक खेती 1400 हेक्टेयर तथा संरक्षित खेती के विकास हेतु 2710 यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

4.5 पशुपालन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकासखंडों में 85 विकासखंड अनुसूचित विकासखंड एवं 03 विकासखंड बैगा प्री–मेटीव अंतर्गत आते है। इन आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन्नत जीवन यापन के लिए विभाग द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय जनगणना 2011 प्रदेश में कुल 56.50 लाख परिवार संख्या (House Hold) है, जिसके अंतर्गत कुल 29.72 लाख परिवार (56.60%) पशु पालन का कार्य करते है। इसमें से कुल 6.29 लाख (21.03%) परिवार भेड़, बकरी, पालन एवं 0.92 लाख(3.08%) परिवार सूकर पालन करते है।

उक्त श्रेणी के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा भेड–बकरियों में फैलने वाले रोग पी.पी.आर. के विरूद्ध एवं सूकरो में होने वाले रोग स्वाईन फीवर के विरूद्ध सघन प्रतिबंधात्मक टीकाकरण प्रतिवर्ष निष्पादित किया जा रहा है, भेड़,बकरियों एवं सूकरों की मृत्यू दर में कमी आयी है।

अनुसूचित जन जाति वर्ग के पशुपालकों का निम्नानुसार विभागीय योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2015–16 में लाभान्वित किया गया है–

(1) बैकयार्ड कुक्कुट इकाईः–

योजना अंतर्गत प्रत्येक चयनित आदिवासी परिवार को 28 दिवसीय 45 रंगीन चूजे दाना सहित 90 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। चयनित आदिवासी परिवार को लगभग 31400.00 सालाना आय संभावित है। योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 199.93 लाख का अनुदान दिया जाकर 6850 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(2) सूकरत्रयी वितरण योजनाः—

योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी परिवारों को 01 नर एवं 02 मादा उन्नत नस्ल के सूकर प्रदाय किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 95.80 लाख अनुदान के रूप में व्यय की जाकर 1065 आदिवासी परिवारो को लाभान्वित किया गया है।इस योजना से प्रत्येक परिवार को औसतन रू. 24000.00 की सालाना आय होती है।	

(3) शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदायः—नस्ल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना है। योजनांतर्गत शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों के प्रदाय योजना अंतर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के सांडों को प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 156 सांड वितरित किया गया है एवं राशि रू. 39.20 लाख अनुदान के रूप में व्यय हुई है।	

(4) बस्तर संभाग एकीकृत पशुधन विकास परियोजना :— बस्तर संभाग एकीकृत पशुधन विकास परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी में उन्नति कर रहे है। योजनांतर्गत राशि रू. 134.91 लाख व्यय हुई है।

(5) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु कार्यक्रम :—

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 1187.60 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में बकरी प्रजाति में होने वाले संक्रामक रोग पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु सुनियोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।	

(6) नाबार्ड पोषित उद्यमिता विकास योजना :– नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत डेयरी, बकरी एवं कुक्कुट पालन हेतु राज्य शासन से 33.3 प्रतिशत अनुदान दिया गया है, जिसके अंतर्गत डेयरी–12 इकाई, बकरी– 01 इकाई एवं कुक्कुट– 26 इकाई हेतु राशि रू. 35.00 लाख अनुदान वितरित किया गया है।

(7) राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना :–

राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना हेतु राज्य शासन द्वारा 33.3% अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष में डेयरी की 117 इकाई हेतु राशि रू. 93.27 लाख अनुदान वितरित किया गया है।	

4.6 मत्स्योद्योग विभाग

(अ) आदिवासी उपयोजना

I. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है । राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रग्रहण मात्स्यिकी (केप्चर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यो के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 131.96 लाख प्रावधानित राशि में से रू. 131.86 लाख का व्यय कर उन्नत किस्म के 198.88 लाख स्टे.फ्राई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है । उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों में संचयन, नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है । अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली,

पानी आदि की व्यवस्था की जाती है । लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है ।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है । उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 111.70 लाख प्रावधानित राशि के विरूद्ध रू. 111.25 लाख का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 4500 लाख स्टे. फ्राई का उत्पादन कर 6740 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 20.27 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 10.13 केन्द्रांश तथा रू. 10.13 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 10.13 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''फिशकोपफेड'' नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 10.13 प्रति हितग्राही राज्याशं राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है । अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 16.65 लाख के विरूद्ध राशि रू. 6.79 लाख व्यय कर 49655 हितग्राहियों को बीमित किया गया। बीमा की प्रीमियम राशि कम होने से व्यय कम हुआ है।

IV. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

आदिवासी जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 6.25 लाख के विपक्ष में रूपये 5.70 लाख का व्यय कर 223 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1–मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विकय उपकरण कय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

2–संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।

3–मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता– शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।

4–मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण कय हेतु आर्थिक सहायता– सभी वर्ग मत्स्य पालक/ मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल कय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट कय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5–मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।

6–तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यकम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फाई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।

7–प्रदर्शन इकाई–तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धी हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रू 1.48 लाख (रू 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रू 0.37लाख हितग्राही अंश) दी जाती है।

8–नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव–जाल – मछुआरों को नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव जाल प्रदाय करने हेतु रू 0.40 लाख तक (रू 0.30लाख शासकीय एवं 0.10 लाख हितग्राही का अंश) सहायता दी जाती है।

9–तालाबों में चूना प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोंग हेतु रू 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

10–अध्ययन भ्रमण– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यकम हेतु रू. 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।

11–कोल्ड चेन निर्माण– मत्स्य कृषकों को मत्स्य का उचित मूल्य दिलवाने एवं मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध करवाने के उददेश्य से कोल्ड चेन निर्माण हेतु रू 1.00 लाख प्रति इकाई

व्यय करने का प्रावधान है। घटक में प्रशीतन उपकरण, विक्रय स्थल तैयार करने आदि पर व्यय किया जाता है।

12–विस्तार सेवाएं– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्टि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इसके तहत् योजनान्तर्गत रूपये 640.00 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध 639.94 लाख व्यय कर 5688 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत</u>

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) **झींगा पालन** – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) **नाव जाल आबंटन** – प्रति मछुआ एक बार रू 10000/–का नाव जाल प्रदाय किया जाता है ।

(स) **फिंगरलिंग संचयन** – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(द) **नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन** – नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामिण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है ।

(इ) **मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(फ) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना–**सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना/ कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 196.17 लाख में से रू. 196.00 लाख का व्यय कर 6328 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. मत्स्य पालन प्रसार (मीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम)

केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्रःराज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी जाति

हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड–मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है

स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबकि योजना व्यय 75:25 (के:रा) के अनुपात में वहन किया जाता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू.32.00 लाख में से रूपये 16.00 लाख व्यय किए गए । योजना के कार्यक्रमों अंतर्गत 128 हितग्राहियों को ऋण राशि रू.64.00 तथा 16.00 लाख का अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया गया ।

III. शिक्षण और प्रशिक्षण

आदिवासी जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से षिश्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 67.50 लाख में से 67.46 लाख व्यय कर 4153 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

IV. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत आदिवासी मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 65.00 लाख में से राशि रू. 64.996 लाख व्यय कर 85 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

(ब) अनुसूचित जाति उपयोजना

I. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 20.27 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 10.13 केन्द्रांश तथा रू. 10.13 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राषि रू. 10.13 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''फिशकोपफेड'' नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 10.13 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है । अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 3.58 लाख के आंवटन के विपक्ष में रूपये 1.138 लाख व्यय कर 10666 हितग्राहियों को बीमित किया गया। बीमा की प्रीमियम राशि कम होने से व्यय कम हुआ है।

II. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देष के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 3.75 लाख के आंवटन के विपक्ष में राषि रूपये 3.75 लाख व्यय कर 150 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

I. **मत्स्य पालन प्रसार** अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) **झींगा पालन** – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) **फिंगरलिंग संचयन** – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(स) **मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(द) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना**–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना/ कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 60.23 लाख में से रू. 59.99 लाख का व्यय कर 1394 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. मत्स्य पालन प्रसार (मीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत म.कृ.वि. अभि. कार्यक्रम)

केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्रःराज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड–मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है ।

स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबकि योजना व्यय 75:25 (के:रा) के अनुपात में वहन किया जाता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 16.00 लाख में से रू. 8.00 लाख व्यय किए गए। योजना के कार्यक्रमों अंतर्गत 64 हितग्राहियों को ऋण राशि रू. 32.00 तथा रू. 8.00 लाख का अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया गया।

III. शिक्षण और प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राषि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 17.50 लाख के विपक्ष में रू. 17.13 लाख व्यय कर 1075 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

IV. मछुआ सहकारिता

अनुसूचित जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देष्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 16.20 लाख के विपक्ष में रू. 16.19 व्यय कर 39 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1– **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना–** सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

2– **संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता** – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं तृस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।

3– **मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता**– शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रू.3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।

4– **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता**– अनुसूचित जाति वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/ जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5–मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।

6–तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।

7–प्रदर्शन इकाई–तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धी हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रूपये 1.48 लाख (रूपये 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रू 0.37लाख हितग्राही अंश) दी जाती है ।

8–तालाबों में चूना प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोंग हेतु रू 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

9–अध्ययन भ्रमण– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।

10–विस्तार सेवाएं– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्टि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इसके तहत् योजनान्तर्गत रूपये 198.94 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू.198.935 लाख व्यय कर 1473 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

4.7 संस्कृति विभाग –

विभाग द्वारा पुरखौती मुक्तांगन पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कार्य किया गया। पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय राज्य का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो नया रायपुर के 200 एकड़ क्षेत्र में जन जाति उपयोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य के पारंपरिक जनजाति शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति, संस्कृति, कला शिल्प, प्राकृतिक संरचना, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण जैव विविधता को प्रदर्शित करते हुये विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं। पुरखौती मुक्तांगन में लोक जनजाति के शिल्प निर्माण कार्यशालाओं में पुरातन और नवाचार के अनेक उपदानों को संकलित किया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के पुरखों के विविध कालखण्डो को जीवन मूल्य की विरासत को एक ही स्थान में देखा और समझा जा सकता है। वर्ष 2015–16 में बजट राशि रू. 485.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 425.17 लाख का व्यय किया गया है, जो 88% के लगभग है, जिसमें बस्तर संभाग के आदिवासी कलाकारों द्वारा मृदा शिल्प, काष्ट शिल्प, लौह शिल्प, गड़वा शिल्प का निर्माण, धुरवा गृह निर्माण, माड़िया गृह निर्माण, मारिया गृह निर्माण, घोटूल गृह का निर्माण, अबुझमाड़िया गृह का निर्माण, बस्तर के पुरातन संरचना (नारायण पाल मंदिर) निर्माण, ढोल काल गणेश (पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना भवन) का निर्माण, बस्तर के जंगल, पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना (ऊचांई 25 फिट, 4000 वर्ग

मीटर) का निर्माण, जगदलपुर के प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर का आकर्षक प्रवेश द्वार का निर्माण, आदिवासी युक्त प्रदर्शनी शिल्प का निर्माण, बस्तर में दशहरा रथ की मृदा में अंकित चित्र का कहानी का प्रदर्शन स्थल (गोल घर) का निर्माण किया गया है।

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव–सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक षिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम– उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

लगभग 200 एकड़ में परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलाषिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृष्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्षित करने हेतु विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं।

4.8 गृह विभाग (पुलिस)

1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न के त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क. शाखा कार्यरत हैं, यह शाखा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/सहायक पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में है।

2) जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबध्द प्रकरणों के विचारण के लिए जिला – जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ सरगुजा, राजनांदगांव, जांजगीर, जषपुर, कोरबा एवं कोरिया में विशेष न्यायालयों द्वारा अ. जा.क. से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

3) राज्य में 13 अ.जा.क. थाने क्रमशः जिला– रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर, सूरजपुर एवं कोरबा में तथा शेष अन्य 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में अजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है।

4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम – 15 के अंतर्गत की गई है।

6) पुलिस द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पूनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

4.9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागः–

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयान कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्यपर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप–तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है ।

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली :– राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 125 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12 हजार 360 उचित मूल्य दुकानों के जरिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह 58.72 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12 हजार 360 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,547 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,260 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 3,359 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 154 तथा नगरीय निकाय द्वारा 40 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा 1 हजार 216 नवीन पंचायतें गठित की गई तथा इनमें से 1 हजार 208 पंचायतों में नवीन राशन दुकान खोला गया। इन दुकानों में से बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 171 दुकानें खोली गई हैं जिससे इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का दायरा पहले से अधिक मजबूत हुआ है।

राशनकार्ड –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 58.72 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इनमें से 14 लाख 94 हजार 630 अन्त्योदय गुलाबी राशनकार्ड, 43 लाख, 3 हजार 280 प्राथमिकता राशनकार्ड, 58 हजार 534 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 8 हजार 107 अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड तथा 8 हजार 92 निःशक्तजन हरा राशनकार्ड कुल 58 लाख 72 हजार 643 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डो में पात्रता अनुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है।

2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए 84 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2.14 करोड़ लोगों को न्यूनतम 7 किलो प्रति सदस्य के मान से चावल वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.72 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार है :–

(1) अन्त्योदय परिवार, (2) प्राथमिकता परिवार,

1. अन्त्योदय परिवार :–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों । विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह में शामिल हैं– केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया

लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के है और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है, मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे। वर्तमान में अन्त्योदय श्रेणी के कुल 14.94 लाख राशनकार्ड हैं।

2. **<u>प्राथमिकता वाले परिवार</u>** :–

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हे प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में प्राथमिकता श्रेणी के कुल 43.78 लाख राशनकार्ड हैं।

3. **<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना</u>** :–

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में अप्रैल 2007 से किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य को प्रतिमाह 1.15 लाख टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है जबकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह 1.70 लाख टन चावल का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिमाह 55 हजार टन चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

4. **<u>अन्त्योदय अन्न योजना</u>** :–

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है । राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य के 7.75 लाख अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.94 लाख राशनकार्ड प्रचलित है ।

5. **<u>रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना</u>** :–

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.72 लाख परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड

आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किया जा रहा है तथा इसके वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन से विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिला है एवं घेंघा रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिली है।

6. <u>अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय</u> :–

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों के 24 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है । चना वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को किया जाता है ।

7. <u>अन्नपूर्णा योजना</u> :–

यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनांतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है । छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों को स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड जारी किया गया है । स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड में हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क तथा 25 किलो चावल 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्राप्त करने की पात्रता है । प्रदेश में इस योजना से लाभाविन्त होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 8,098 है ।

4.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :–

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती है। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती है। इसके अतिरिक्त पी.आई.पी. में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर तथा हाट बाजार का संचालन शामिल है। अन्य कार्यक्रमों में मामले में आदिवासी क्षेत्रों को माना जाता है कि जैसे इस वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में बिना बिजली वाले 200 से अधिक उप केन्द्रों को सोलर बिजली दिये जाने का प्रस्ताव था। जटिल क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.आर.एम.सी. की सुविधा बढाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

<u>बुनियादी सुविधाओं का विकास :–</u>

आदिवासी जिला अस्पतालों में 12 स्वीकृत केन्द्रों में से 06 एमसीएच केन्द्र (इकाई लागत 15 करोड़)

आदिवासी जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 23 स्वीकृत केन्द्रों में से 12 एमसीएच केन्द्र (इकाई लागत 09 करोड)

समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।

आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 108 सोलर हैंड पंप स्वीकृत किया गया।

समस्त जिलों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 नये ब्लड बैंक स्वीकृत किया गया।

बस्तर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उन्नयन हेतु 1 करोड़ एवं सुकमा नवीन जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु 4 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया।

आदिवासी जिलों में निरंतर बिजली सप्लाई की सुवधि सुनिश्चित करने हेतु 255 सोलर सिस्टम स्थापित किया गया।

पोषण पुनर्वास केन्द्र :–

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर तीव्र कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में तीव्र कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र संस्थानों को मापन किया जा रहा है। राज्य में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है। यहां बच्चों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप भर्ती की जाती है तथा चिकित्सा एवं पोषक

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदमः–

- आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छरदानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
- आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकितसा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।

- आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के इलाज एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 20 स्वीकृत पोषण पुनर्वास केन्द्र में से 18 नये पोषण पुनर्वास केन्द्र।
- आदिवासी क्षेत्र, जो मलेरिया प्रभावित चिन्हित क्षेत्र में अवस्थित है में प्रयोगशाला एवं चिकित्सा सुविधा को बल देने हेतु 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम :–

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी चिकित्सा प्रदाता के समान सुविधा जैसे विशेषज्ञ सेवा एवं रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप) नीति को स्वीकृति दी गई। राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चें एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया गया है।

कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया गया है।

सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे– ब्लैंकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं। समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है। स्वीकृत पदों के 80 प्रतिशत तक मानव संसाधनों जैसे योग्य विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों की कमी।ुनियादी सुविधाओं जैसे बिल्डिंग एवं स्टॉफ क्वार्टर की कमी।

आदिवासी क्षेत्रों की सुदुरता एवं कानून व्यवस्था की समस्या सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को रोकती है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम :–

राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अंतर्गत कुओं, हैंण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन–रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 27 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी

पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजनाः–

इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये है। प्रायः यह देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते है, अत बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेंवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

स्वास्थ्य मितानिन योजनाः– राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में है कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहूचना कठिन है, राज्य में 20,379 गांव एवं लगभग 54,000 टोला और 5186 उप स्वास्थ्य केन्द्र है। इनमें बरसात में कई अगम्य हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे, बुढ़े, महिला, पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 से भी अधिक मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है। विभाग अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं :–

क	संस्था (संख्या)	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

विभाग को वर्ष 2015–16 में राशि रू 87342.17 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू 66472.77 लाख का व्यय किया गया।

क्रं	योजना का नाम	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	131.10	120.33	97.51	

2	छततीसगढ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	1300.00	1300.00	1300.00	
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	4995.10	4738.10	3824.15	
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	1938.00	1938.00	1456.60	7.13 लाख एपीएल परिवार
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	200.00	80.00	0.00	
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	4104.00	4104.00	4104.00	34.28 लाख एपीएल परिवार
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	69.00	69.00	69.00	60000 मितानिन प्रशिक्षण
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	154.80	119.64	80.36	
9	राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	38720.00	38720.00	27619.64	
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4568.90	4568.90	4306.80	
11	उप स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना	3275.00	3275.00	3005.45	
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	7407.80	7407.80	7128.04	
13	शीत ज्वर	1494.00	762.40	719.08	
14	छत्तीसगढ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	950.00	950.00	835.00	4092 हितग्राही
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	500.00	200.00	0.00	
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1000.00	400.00	300.00	

चिकित्सा शिक्षा

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुसार 1000 जनसंख्या में 01 चिकित्सक होना चाहिए। परन्तु छ.ग. में वर्तमान में 2500 जनसंख्या में 01 चिकित्सक उपलब्ध है। प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कर इस अंतर को पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है, जिसमें वर्ष 2014 में 100 सीट प्रवेश क्षमता के साथ चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की स्थापना की गई है तथा चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में प्रवेश क्षमता में 50–50 सीट वृद्धि की गई है। साथ ही अंबिकापुर में 100 प्रवेश क्षमता वाले चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास किये जा रहे है तथा निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी को भिलाई में, लार्ड बुद्धा एजुकेशन सोसायटी नोएडा को रायपुर में तथा ड्रीम रीयलटर्स प्रायवेट लिमिटेड कलकत्ता (निजी संस्था) को अभनपुर में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु Essentiality & Desirability Certificate शासन द्वारा जारी किये गये है। जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुरूप प्रदेश में चिकित्सक हो सके।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुसार 01 लाख की आबादी पर 255 नर्सेस की आवश्यकता है। देश में 1 लाख आबादी पर केवल 75 नर्सेस उपलब्ध हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप नर्सों की उपलब्ध संख्या कम हैं। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुसार लक्ष्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्रदेश में 08 शासकीय बीएससी नर्सिंग कालेज पूर्व से संचालित है, जिसकी प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 370 है तथा 65 निजी संस्था के नर्सिंग कॉलेज संचालित है, जिनकी प्रवेश क्षमता 2900 है। मानक को पूर्ण करने सतत् प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है।
3. राज्य में डॉ.भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें आवश्यक सभी प्रकार के उच्च तकनीक उपकरण स्थापित किये गये है। राज्य में कैंसर के ईलाज हेतु बिलासपुर में State Cancer Institute तथा अंबिकापुर में Tertiary Care Cancer Centers स्थापना के प्रयास किये जा रहे है। जिससे कि मरीजों को राज्य में कैंसर से संबंधित बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।
4. केन्द्र शासन द्वारा टेलीमेडिसीन प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल मेडिकल कालेज नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 35 मेडिकल कालेज को जोडे जाने की योजना में छ.ग.प्रदेश से सिम्स बिलासपुर को भी इस योजना में जोड़ने हेतु अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है। जिससे कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, सामग्री वितरण, दक्षता उन्नयन तथा स्वास्थ्य सेवा को

देश के उन्नत संस्थान जैसे एम्स, नई दिल्ली से जोड़कर राज्य में चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन किया जा सके।

5. छ.ग.आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी डायलिसिस टेक्नालाजी एवं एमएससी (रीनल साइंस एण्ड डायलिसिस टेक्नालाजी) के नये पाठ्यक्रम का समावेश किये गये है।

संचालनालय के अधिनस्थ संचालित संस्थायें

1/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान

क0	नाम	प्रवेश क्षमता
01	पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	150
02	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर	150
03	स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	100
04	स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	50
05	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	100
06	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	100
07	शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर	50
08	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर	50
09	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर	60
10	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर	40
11	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़	40
12	स्व0 श्रीमती सुधादेवी स्मृति नर्सिंग महाविद्यालय कबीरधाम	40
13	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर	60
14	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दुर्ग	50
15	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय राजनांदगांव	30

2/ निजी संस्थायें–

क0	नाम	प्रवेश क्षमता
01	चन्दू लाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग	150
02	05 निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय	500
03	02 फिजियोथेरेपी चिकित्सा महाविद्यालय	120
04	65 निजी नर्सिंग चिकित्सा महाविद्यालय	2900

3/ चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालय

क.	नाम	बिस्तर संख्या
01	डॉ0 भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर	750
02	सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर	500
03	महारानी अस्पताल जगदलपुर	500
04	किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय रायगढ़	300
05	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	300
	योग	2350

<u>प्रस्तावित योजनायें</u>

- **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा–** सत्र 2016–17 में अंबिकापुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (100 छात्र प्रवेश क्षमता) प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आवेदन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित किया जा रहा है। कलेक्टर जिला सरगुजा के आदेश दिनांक 12.09.2013 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा की स्थापना हेतु ग्राम खलिबा, तहसील– अंबिकापुर स्थित खसरा क्रमांक 988 रकबा 43.65 एकड़ तहसील व जिला सरगुजा स्थित शासकीय भूमि स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अग्रिम आधिपत्य दिया गया है। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 5.00 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव** – शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव के लिये शासन द्वारा ग्राम पेण्ड्री में आबंटित 50.44 एकड भूमि में वर्ष 2015–16 में भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 10.00 करोड़ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्य शासन का हिस्सा राशि रूपये 17.00 करोड़ एवं केन्द्रीय हिस्सा राशि रूपये 52.00 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- **छ.ग.आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर** – विश्वविद्यालय द्वारा 02 फार्मेसी महाविद्यालय, रायपुर एवं राजनांदगांव में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा की स्थापना हेतु सैनिक स्कूल भवन का चयन किया गया है, सैनिक स्कूल में एम.सी.आई. के मापदण्ड के अनुरूप परिवर्तन/

परिवर्धन/निर्माण कराने हेतु रूपये 971.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर रूपये 5.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत संस्थाओं को बजट प्रावधान

- वर्ष 2015–16 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, सरगुजा के लिये कुल राशि रूपये 16,55,00,000.00 (कुल रूपये सोलह करोड़ पचपन लाख मात्र) का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय, दवाई, उपकरण, निर्माण आदि कार्य सम्मिलित है। वर्ष 2015–16 में एम.सी.आई. को 100 सीट के लिये आवेदन किया गया था। एम.सी.आई. के मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर अनुमति प्राप्त नहीं हो सका। परंतु वर्ष 2016–17 में 100 सीट की अनुमति प्राप्त हुआ है।
- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अम्बिकापुर कॉलेज एवं छात्रावास भवन पूर्णता की ओर है। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में सीट क्षमता क्रमशः 40–40 है। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अम्बिकापुर/जगदलपुर को वर्ष 2015–16 में कुल राशि रूपये 6,01,40,000.00 (रूपये छः करोड़ एक लाख चालीस हजार मात्र) का बजट प्रावधान था।
- वर्ष 2015–16 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, जगदलपुर के लिये कुल राशि रूपये 72,76,10,000.00 (कुल रूपये बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख दस हजार मात्र) का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय, दवाई, उपकरण, निर्माण आदि कार्य सम्मिलित है। कॉलेज भवन नये निर्माणाधीन भवन में शिफ्ट हो गया है। वर्ष 2015–16 में एम.सी.आई. से 100 सीट की अनुमति प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2015–16 में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय, बिलासपुर के लिये कुल राशि रूपये 71,77,50,000.00 (कुल रूपये इकहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें वेतन भत्ते, कार्यालयीन व्यय, दवाई, उपकरण, निर्माण आदि कार्य सम्मिलित है। वर्ष 2015–16 में एम.सी.आई. से 150 सीट की अनुमति प्राप्त हुआ है।
- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर कॉलेज की सीट क्षमता 60 है। महाविद्यालय को वर्ष 2015–16 में कुल राशि रूपये 1,87,90,000.00(रूपये एक करोड़ सत्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) का बजट प्रावधान था।
- पं.जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में अध्ययनत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पी.जी. छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16

में छात्रवृत्ति हेतु कुल राशि रूपये 3,20,00,000.00 (रूपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र) का बजट प्रावधान था।

4.11 जनशक्ति नियोजन विभाग

<u>शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना</u>

बेराजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश के लिये प्रतिवर्ष एक विज्ञापन संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रसारित किया जााता है एवं उसमें आदेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र सहपत्रों सहित अपने विकास खण्ड अथवा स्थानीय नगरीय संस्था को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें । बेरोजगारी भत्ता पात्र शिक्षित बेरोजगारों को रूपयें 1000/ प्रतिमाह प्रथमतः एक वर्ष के लिये दिया जाता है, किन्तु आवश्यकता अनुसार इसकी अवधि एक वर्ष और बढाई जा सकती है। बेरोजगारी भत्ता योजना का कियान्वयन जिला जनपद पंचायतों/नगरीय संस्थाओं के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता की पात्रता भत्ता का निर्धारण, भत्ता के भुगतान, रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण की अनुशंसा एवं भत्ता बंद करने का निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है। पात्रता निर्धारण का कार्य जनपद/नगरीय संस्थाओं की **सामान्य प्रशासन समिति** द्वारा किया जाता है।

1.योजना का उददेश्य

योजना का मुख्य उदेश्य शिक्षित बेरोजगारों को अंतरिम अवधि में बेरोजगारी भत्ता तथा इस अवधि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना है जिससे कि प्रदेश को विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन का नोडल विभाग, जनशक्ति नियोजन विभाग है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छ0ग0 द्वारा जिला रोजगार कार्यालयों की मांग के अनुसार बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाता है तथा उनके द्वारा जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों को आवदकों की संख्या के अनुसार बजट आबंटन किया जाता है।

2.पात्रता के मापदण्ड

(क) आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।

(ख) आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) आवेदक का दिनांक 01.01.2014 को रोजगार कार्यालय में पंजीयन विगत दो वर्ष से जीवित रहा हो।

(घ) आवेदक उच्चतर माध्यमिक या उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ड) आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सर्वेसूची में सम्मिलित हों।

(च) आवेदक की स्वतः की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं वह अपने पिता/पालक पर पूर्णतः आश्रित हो।

(छ) एक परिवार के केवल एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिये पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिये बेराजगारी भत्ता देय होगा यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन उपलब्ध नहीं हो पाता तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन देते है तो प्राथमिकता उसे दी जायेगी जिसके द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीयन पहले करवाया गया हो।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से जनपद/नगरीय निकाय की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के उपरांत देय होगा । यदि अप्रैल 2013 की किसी भी दिनांक को अनुशंसा की जाती है तो 01.04.2013 तथा यदि मई 2013 के किसी दिनांक को अनुशंसा की जाती है तो भी 01.04.2013 से भत्ता देय होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जनशक्ति नियोजन विभाग नोडल विभाग है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छ0ग0 द्वारा जिला रोजगार कार्यालयों की मांग के अनुसार बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाता है तथा उनके द्वारा जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों को आवदकों की संख्या के अनुसार बजट आबंटन किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता राशि का वितरण स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं जनपद पंचायतों के द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र आवेदक के बैंक खाते में प्रत्येक माह भत्ता स्वीकृत होने पर अभ्यर्थी द्वारा बताये गये बैंक खाते में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राशि जमा कर दी जाती है।

(ख) वर्ष 2015–16 की स्थिति में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी निम्नानुसार है–

स.क्र.	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (रूपयों में)
1	शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना	2179	1,88,31,000 (रूपये एक करोड़ अठासी लाख इक्तीस हजार मात्र)

प्रशिक्षण पक्ष

पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर माननीय राज्यपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 से संबंधित जानकारी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित कुल 163 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 58 संस्थायें (35.58%) अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) मद अंतर्गत संचालित थी। शासन के नियमानुसार सामान्य योजनान्तर्गत संचालित संस्थाओं में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रकार इन 163 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षण हेतु कुल 18184 सीट्स स्वीकृत थी, जिसमें से 19327 सीटों पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया। कुल प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों में 6599 प्रशिक्षणार्थी (34.14%) अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मिलित थे।

अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराने एवं कौशल उन्नय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) मद अंतर्गत 05 नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें प्रारंभ करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इन 05 नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रारंभ होने पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) मद अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 63 (38.65%) हो जाएगी। राज्य शासन द्वारा आगामी वर्षों में राज्य के सभी आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में कम से कम एक–एक शासकीय आई.टी. आई. खोलने की योजना है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत विभाग की विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है –

(a) आई.टी.आई. की स्थापना :

क्र.	वर्ष	कुल ITI संख्या	TSP मद अंतर्गत संचालित ITI	प्रारंभ किये गये कुल नवीन ITI	TSP मद अंतर्गत प्रारंभ किये गये नवीन ITI
1	2013–14	129	35	11	04
2	2014–15	146	46	17	11
3	2015–16	163	58	17	12

(b) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण :

क्र.	वर्ष	संचालित ITI	कुल स्वीकृत सीट्स	कुल प्रशिक्षणार्थी	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थी		
					पुरूष	महिला	योग
1	2013—14	129	16488	13483	3408	1068	4476
2	2014—15	146	17140	15944	3798	1377	5175
3	2015—16	163	18184	19327	4790	1809	6599

टीप : संस्थाओं में स्वीकृत स्थान का 30% संख्याधिक सीटों में प्रवेश का प्रावधान है।

(c) योजना बजट :

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	रिमार्क
1	2013—14	6762.00	3022.68	44.70 %
2	2014—15	8548.90	5179.57	60.59 %
3	2015—16	5737.80	2721.40	47.51 %

4.11.1 तकनीकी शिक्षा :—

1. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./ एस.टी. छात्रों को संध्याकालिन विशेष कोचिंग का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित TEQIP-II परियोजना के अंतर्गत भी। cademically weak Students हेतु विशेष कक्षाओं का प्रावधान है एवं योजनांतर्गत छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रस्तावति बजट राशि को पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु मांग के अनुरुप पुनःनियोजित कर अपेक्षाकृत मांग एवं व्यय में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।
2. प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी छात्रों हेतु बुक बैंक योजना के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है। समस्त संस्थाओं में योजनांतर्गत प्रगति संतोषजनक है।
3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो

पाने के कारण वेतन एवं भत्तों में व्यय अपेक्षाकृत कम है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 832 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। विभिन्न संस्थाओं में अलिपिकीय पदों की भर्ती की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयास से आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय के प्रतिशत में संतोषजनक वृद्धि होने की संभावना है।

4. केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य बजट के अंतर्गत प्रदेश में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य यथा– मशीन, यंत्र उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकें हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय में संतोषजनक प्रगति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में त्वरित रूप से संस्थाओं को राशि आबंटन किया गया है तथा समय सीमा में आबंटित राशि के उपयोग की शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से सतत् निगरानी की जा रही है।
5. केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित 11 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि 06 शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर एवं बिलासपुर में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। शेष 05 शासकीय पॉलीटेक्निक, रायपुर, बस्तर, कोण्डागांव, सूरजपुर एवं रामानुजगंज में भी जल्द ही भूमि आबंटन प्राप्त कर निर्माण आरंभ कर दिया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि रुपये 1400.00 लाख (रुपये चौदह करोड़ मात्र) बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रुपये 312.00 लाख (रुपये तीन करोड़ बाहर लाख मात्र) का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राषि रुपये 1400.00 लाख (रुपये चौदह करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अधोसंरचना के उन्नयन एवं भौतिक संसाधनों के विकास हेतु योजनाओं के प्रावधानों के अनुरुप सतत् प्रयास किया जा रहा है।

4.12 सहकारिता विभाग

प्रदेश के अन्तर्गत पंजीकृत जिला बैकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी समितियों को व्यवसाय विकास हेतु आर्थिक सहायता (धनवेष्ठन/अनुदान/ऋण) उपलब्ध कराया जाता है। जिससे बैंको/संस्थाओं के कृषक सदस्यो को लाभांवित किया जा सके।

प्रदेश में 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैके, 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 122 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां एवं 03 सहकारी शक्कर कारखाना पंजीकृत है। जिसमे से 02 जिला केन्द्रीय बैंक, 476 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां, 47 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां एवं 01 सहकारी शक्कर कारखाना अनुसूचित क्षेत्र में पंजीकृत है। इन समितियों/उनके सदस्यो को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभांवित किया जाता है :–

1. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को लैम्पस के अंशक्रय करने हेतु अनुदान :–**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय हेतु अनुदान हेतु प्रति सदस्य रू. 500/– उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि उपलब्ध न होने के कारण किसी सदस्य को लाभांवित नही किया जा सका।

2. **जनजातिय सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान :–**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रू. 10000/– अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि स्वीकृत न होने के कारण किसी भी संस्था को लाभांवित न किया जा सका।

3. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को विपणन के अंशक्रय करने हेतु अनुदान :–**

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र की प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषक वर्ग को नये सदस्य बना कर समितियों मे इस वर्ग की सहभागिता बढ़ाने हेतु राज्य शासन अनुदान उपलब्ध कराती है, जो प्रति सदस्य रू. 100/– है।

वर्ष 2015–16 मे 01 विपणन सहकारी समिति को 500 सदस्य बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराया गया।

4. **कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान :–**

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सहकारी कृषि ऋणो पर कृषको को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज के अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि उपलब्ध नही कराया जा सका।

5. **प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो को बहुउद्देशीय में उन्नयन :–**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को अन्य कार्य व्यवसाय करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रति समिति राशि रू. 10.00 लाख उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि उपलब्ध नही कराया जा सका।

6. <u>विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण :–</u>

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र की प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं को कार्य व्यवसाय/गोदाम निर्माण, अन्य कार्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 01 विपणन सहकारी संस्था को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई।

7. <u>सहकारी शक्कर कारखाना को ऋण :–</u>

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे स्थापित सहकारी शक्कर कारखाना को स्थापना एवं व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर को गन्ना पेराई हेतु कार्यशील पूंजी राशि रू. 2500.00 लाख ऋण उपलब्ध कराया गया।

8. <u>सूखा प्रभावित कृषको के लिए कृषि ऋण राहत योजना :–</u>

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 117 सूखा प्रभावित क्षेत्रो के सहाकरी कृषि ऋणो पर राज्य शासन 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र कुल 42180 कृषक सदस्यो को राशि उपलब्ध कराया गया।

9. <u>सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूंजी :–</u>

इस योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, सहकारी शक्कर कारखाना एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के अंशपूंजी में राज्य शासन निवेश करती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि स्वीकृत न होने के कारण किसी भी संस्था के अंशपूंजी में निवेश नही किया गया।

10. <u>प्रस्तावित जिला सहकारी बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान :–</u>

जिला रायगढ़ एवं जशपुर के कृषक सदस्यो को सुगमता से ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो इस कारण नवगठित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर का संचालन हेतु राज्य शासन राशि रू. 10.00 करोड़ उपलब्ध करायेगी। इस हेंतु इस योजना मे राज्य प्रावधानित किया गया है।

प्रस्तावित बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग हेतु लायसेंस प्राप्त न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि उपलब्ध नही कराया गया।

4.13 समाज कल्याण विभाग

1 **निःशक्तजन छात्रवृत्ति :–** अनुसूचित जन जाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/– प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6वी से 8वीं तक रूपये 60/– प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं से 12 वीं तक रूपये 70/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 9वीं से 12 वीं एवं आई.टी.आई. तक दैनिक छात्र 85 रू., छात्रावासी रू. 140 रू., स्नातक दैनिक छात्र स्तर तक 125 रू., छात्रावासी 180 रू. तथा स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक दैनिक छात्र 170 रू. छात्रावासी 240 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

2 **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :–** निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

3 **स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान :–** निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

4 **निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएं :–** विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित है, जिसमें निःशक्तजन बच्चों को निःशुल्क छात्रावास शिक्षण प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधा उपलबध कराकर उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

5 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :** – राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को रू 300/– प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रू 600/– प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है इनमें राशि रू 100/–राज्य शासन का अंशदान है।

6 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–** राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को 300/— प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है तथा राशि रू 300/— केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है।

7 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :—** राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को 300/— प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है तथा राशि रू. 300/—केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है।

8 **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :—** राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को 20,000/— की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

4.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ—साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे हैं।

1 **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :—** ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम —2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 150 दिवस का श्रम रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

2 **स्वर्ण जयंती ग्राम स्व—रोजगार योजना :—** योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शासकीय अनुदान स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराया जाता हैं जिसके अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान परियोजना के लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम

राशि 7500/–देय है, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10000/– दिये जाने का प्रावधान है।

3 **इन्दिरा आवास योजना :–** ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन– यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को नये आवास निर्माण हेतु प्रति आवास राशि रू. 45,000 एवं नक्सल प्रभावित जिलों के लिये राशि रू. 48,500 का सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। दिनांक 01.04.2013 से सामान्य जिले के लिए प्रति आवास इकाई लागत राशि रू.70,000/– एवं नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 75,000/– का प्रावधान है। वर्ष 01.04.1999 से केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 है।

4 **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–**इस योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गो को प्राप्त हो सके।

5 **जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम :–** ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका मुख्य रूप से वर्षा सिंचिंत कृषि पर ही आधारित है। एकीकृत जलग्रहण जल प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करना है।

IWMP की एक परियोजना का उपचार योग्य क्षेत्रफल लगभग 5,000 हेक्टेयर के आसपास होता है। परियोजना की लागत सामान्य जिलों में रू 12,000/– प्रति हेक्टेयर और आई.ए.पी. जिलों में रू 15,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।

6 **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :–** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों का गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। इस योजना में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 75:25 है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल

उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना, इत्यादि कार्य शामिल है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था प्रस्तावित है।

7 **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षमता विकास :–** विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। अधिसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण/पठन सामग्री में प्रचलित पेसा नियमों यथा ग्राम सभा आदि के शक्तियों संबंधी विषय आवश्यक रूप से शामिल होते है।

4.15 ग्रामोद्योग विभाग

4.15.1 रेशम प्रभाग :–

उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, मलबरी, ईरी एवं धागाकरण के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर, मलबरी, ईरी स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर, मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधियॉ संपादित की जाती है।

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 51 विभागीय कर्मचारियों को एवं 949 कृमिपालक हितग्राहियों को प्रषिक्षण दिया गया है।

<u>प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना क्रमांक 2731 अन्तर्गत प्रावधानित एवं आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय</u>

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009–10	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	27.00	26.99
2	2010–11		27.00	27.00
3	2011–12		30.00	17.38
4	2012–13		30.00	29.98
5	2013–14		32.00	31.98
6	2014–15		35.55	32.58
7	2015–16		33.50	33.47

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009.10 से 2014.15 तक कुल लाभावित हितग्राही एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों की संख्या का विवरण :–

क्र.	वर्ष	विवरण	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.
1	2009–10	मलबरी एवं टसर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नर्सरी एवं पौधरोपण पद्धति तथा संधारण प्रकिया,कृमिपालन भवन का निरोगीकरण, चॉकी कृमिपालन, नवीनतम तकनीक, संस्थागत गतिशीलन, जागरूकता एवं पौधों पर होने वाली बीमारियों के संबंध में रोकथाम के उपाय, टसर ग्रेनेज की उन्नत तकनीक (निजी ग्रेन्यूर) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर रेशम रोजगार हेतु परिपक्व बनाना।	500	126	292
2	2010–11		845	225	452
3	2011–12		1240	140	857
4	2012–13		801	144	476
5	**2013–14**		1075	123	793
6	**2014–15**		1405	265	1140
7	**2015–16**		1010		

पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना

प्रदेश के व्यवसायिक पालित टसर कृमिपालकों को विभाग द्वारा कृमिपालक हितग्राहियों को मात्र रू0 1/– प्रति स्वस्थ समूह की दर पर स्व.समूह (अण्डे) प्रदाय किया जाता है। तथ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय फसल में इस वर्ष रू0 6/– प्रति स्वस्थ समूह की दर सहायता राशि प्रदान की जाती है एवं उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेष में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 218 विभागीय केन्द्रों/नये विस्तार स्थलों में 5847 हेक्टेयर एवं 151 परियोजना केन्द्रों पर 2222 हेक्टेयर तथा प्राकृतिक वन खण्डों पर 5461 हेक्टेयर कुल उपलब्ध क्षेत्र 13230 हेक्टेयर है, जिसमें ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों को अण्डे देकर कृमिपालन कार्य कराया जाता है। तथा उनसे उत्पादित ककून शासकीय दर से विभाग द्वारा गठित ककून बैकों द्वारा कर लिया जाता है।

टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना क्रमांक 5662 अन्तर्गत आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009–10	टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना/ योजना क्रमांक 5662	80.00	75.35
2	2010–11		100.00	77.75
3	2011–12		110.00	66.62
4	2012–13		120.00	116.49
5	2013–14		155.00	121.54
6	2014–15		155.00	145.14
7	2015–16		155.00	144.51

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के उपयोगित टसर स्वस्थ समूह एवं कृमिपालक हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	इकाई	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
1	पालित टसर ककून उत्पादन हेतु स्व. समूह प्रदाय	लाख नग में	18.61	18.76	22.32	22.041	22.25	22.56	28.12
2	टसर स्वस्थ समूह से कुल लाभांवित हितग्राही	संख्या में	10188	11890	10457	10925	10093	9323	13837
	अ.जा.		1881	1851	1186	1374	1149	939	1327
	अ.ज.जा.		7749	7342	7028	7031	6907	6117	7914

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 5146)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 11797 हेक्टेयर साजा, अर्जुना का टसर खाद्य पौधरोपण कुल क्षेत्र है, जिसका उपयोग टसर योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 5146 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009–10	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम/ योजना क्रमांक 5146	723.00	710.82
2	2010–11		1131.86	899.56
3	2011–12		1138.20	1015.90
4	2012–13		1297.80	1291.45
5	2013–14		1351.60	1278.71
6	2014–15		1332.60	1322.62
7	2015–16		1706.85	1690.80

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क	विवरण	इकाई	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
1	पालित टसर ककूनउत्पादन	लाख नग में	438.692	440.650	587.012	581.44	583.026	634.026	769.367
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	19511	20596	16962	20872	18493	22525	32599
	अ.जा.		2666	2763	1815	2078	2092	2713	3181
	अ.ज.जा.		11844	12376	10668	14060	12017	13380	18110

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत विभाग द्वारा हितग्राहीयों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनांतर्गत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय बोल्टाइन) रू. 168/–एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी बोल्टाईन) रू. 144/– प्रति किलोग्राम है। विभागीय

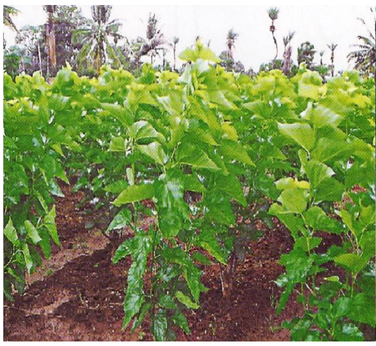

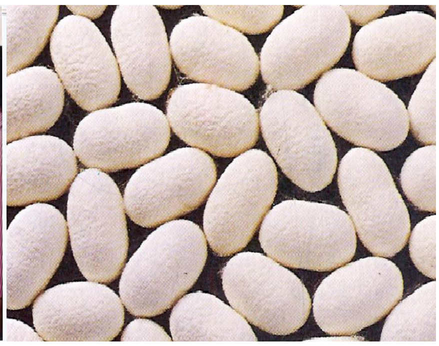

रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009—10	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777	224.25	217.51
2	2010—11		327.30	228.61
3	2011—12		252.75	236.80
4	2012—13		271.00	270.29
5	2013—14		307.50	306.68
6	2014—15		320.00	316.82
7	2015—16		383.65	350.21

विगत छः वर्षों की मलबरी ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क	विवरण	ईकाई	tim	10 .11	11.12	12.13	**13.14**	**14.15**	**15.16**
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा. में	35125	44280	52340	54488	64911	66278	68918
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	2179	1909	1639	2436	2596	3457	3242
	अ.जा.		313	218	143	119	285	361	349
	अ.ज.जा.		1109	1159	1058	1461	1559	2144	2242

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जगदलपुर, (बस्तर), उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, कोरिया जिलें में हरितिमा का परिधान ओढ़े वनों से अच्छादित क्षेत्र है। उक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते है जो कि समाज के मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नही है। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहे है। इसी क्रम में उक्त जिले में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नैसर्गिक बीज का प्रगुणन किया जाकर, उसे सघन वन क्षेत्रों में फैलाया जाता है जिससे वनवासी हितग्राही द्वारा नैसर्गिक कोसा संग्रहण किया जाकर आय का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सके। इस क्षेत्र में निवास करने वाले उक्त परिवार मूलतः वनों पर आधारित उपज का विपणन कर अपना जीविकोपार्जन करते है। उक्त जिले वन खण्डों में प्राकृतिक रूप से साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते है। इन वृक्षों में टसर कोसा की रैली, लरिया एवं बरफ प्रजाति के कोसाफल नैसर्गिक रूप से उत्पादित होते है।

नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं सघन विकास कार्यक्रम–केम्प की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिताः–

प्राकृतिक वन खण्डों से ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा नैसर्गिक कोसाफल के लगातार दोहन से वनों में बीज हेतु कोसाफलों की संख्या न्यून हो जाने के कारण नैसर्गिक प्रगुणन की प्रक्रिया धीमी होने से नैसर्गिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होने लगाता है तथा उत्पादन कम होते जाता है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने हेतु ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन खण्डों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कार्यक्रम (इंटेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बीज कोसाफल की मालाएॅ सघन वन क्षेत्रों के मध्य लगाई जाकर उनसे प्राप्त नर–मादा तितलियॉ एवं निषेचित अण्डे प्राकृतिक वन खण्डों में छोड़ा जाता है। मादा तितलियों के द्वारा उत्सर्जित अण्डो में हेंचिग उपरांत साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर की पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन चक्र 45 दिवस में पूर्ण कर कोसाफल बनाते है। नर–मादा तितलियॉ एवं युग्मित अण्डे छोडे जाने से उत्पादन में आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए है।

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164) अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009–10	नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम योजना क्रमांक 164	156.80	156.54
2	2010–11		439.13	284.04

3	2011–12		376.00	369.75
4	2012–13		495.30	327.92
5	2013–14		534.75	521.56
6	2014–15		534.75	152.38
7	2015–16		530.75	301.28

नैसर्गिक कोसा का उत्पादनः–

सामान्यतः इस प्रजाति के टसर कोसा का उत्पादन वर्ष में दो बार प्राप्त होते है। जिसे स्थानीय संग्रहक हितग्राही भादवीं एवं चैती फसल कहते गत छः वर्षो में अनुमानित नैसर्गिक ककून संगहण एवं अनुमानित संग्राहक हितग्राही की जानकारी निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	इकाई	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	809.158	870.08	1636.27	1999.77	2048.40	657.85	693.818
2	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	44276	38802	52366	62869	83866	21469	29042
	अ.जा.		8702	3773	5299	5844	12271	3187	3905
	अ.ज.जा.		27063	30352	35300	45079	53409	12221	19083

4.15.2 ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (हाथकरघा) में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :–** प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत हाथकरघा विकास योजना को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेष के 10 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास/उत्थान के लिये बकावण्ड जिला – जगदलपुर क्लस्टर के लिए कुल प्रोजेक्ट राशि 60.00 लाख स्वीकृत है।

4.15.3 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :–

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु परिवार मूलक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन

कार्यक्रम एवं कारीगर प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी निम्नानुसार है :–

अ) **परिवार मूलक योजना :–** इस योजनांतर्गत अधिकतम रू. 1.00 लाख तक की परियोजनायें स्वीकार की जाती है। जिन्हें बैंकों द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत रू. 13500.00 अनुदान हितग्राही को दिया जाता है।

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
2015–16	अ.जा.	1161	156.735	2322
	अ.ज.जा.	1259	169.965	2518

ब) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (केन्द्र सरकार) :–** इस योजनांतर्गत अधिकतम रू. 25.00 लाख तक की परियोजनायें स्वीकार की जाती है। जिन्हें बैंकों द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत 35 प्रतिशत अनुदान हितग्राही को दिया जाता है।

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
2015–16	अ.जा.	23	31.692	88
	अ.ज.जा.	15	26.113	67

स) **कारीगर प्रशिक्षण :–** इस योजनांतर्गत अधिकतम युवक–युवतियों को CSSDA के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत VTP के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रषिक्षण प्रदाय किया जाता है। प्रषिक्षित होने से हितग्राहियों को उनके स्वरोजगार की स्थापना में सहायता मिलती है।

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	प्रशिक्षार्थी संख्या	प्रशिक्षण में व्यय राशि
2015–16	अ.जा.	59	14.996
	अ.ज.जा.	74	14.315

4.16 लोक शिक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रशासकीय व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त 27 राजस्व जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित है। प्रदेश में 146 विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। सभी विकासखंडों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से विभाग की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन होता है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है :–

छात्र दुर्घटना बीमा

योजना का उद्देश्य	–	छात्र–छात्राओं को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
हितग्राही की पात्रता	–	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्राऐं एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राऐं
मिलने वाले लाभ	–	मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10000 रूपयें (दस हजार) की क्षतिपूर्ति आंशिक अपंगता पर 5000 रूपयें (पॉच हजार) की क्षतिपूर्ति एवं भैषंजिक उपचार हेतु 500 रूपयें (पॉच सौ)
सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख/स्कूल शिक्षा विभाग

सरस्वती सायकल योजना

योजना का उद्देश्य	–	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त हुई स्कूलों की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना।
हितग्राही की पात्रता	–	शासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूलों में कक्षा नवमी में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्त छात्राऐं एवं पिछड़ें वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की छात्राएं।
मिलने वाले लाभ	–	निःशुल्क सायकल

सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख / स्कूल शिक्षा विभाग
हितग्राही की पात्रता	–	शासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों के विद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त मदरसों में कक्षा पहली से आंठवीं तक अध्ययनरत् विद्यार्थी।
मिलने वाले लाभ	–	पका हुआ ताजा एवं पौष्टिक भोजन।
सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख / स्कूल शिक्षा विभाग

सूचना संचार प्रौद्योगिकी

योजना का उद्देश्य	–	हाईस्कूलों तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना।
हितग्राही की पात्रता	–	हाईस्कूलों तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत् सभी छात्र–छात्राएं
मिलने वाले लाभ	–	कम्प्यूटर द्वारा शिक्षण एवं कौशल का विकास
सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख / स्कूल शिक्षा विभाग

निःशुल्क गणवेश योजना

योजना का उद्देश्य	–	कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को गणवेश प्रदाय करना जिससे बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन मिले।
हितग्राही की पात्रता	–	कक्षा 1 से 8 तक अध्यययनरत् समस्त छात्र–छात्राऐं।
मिलने वाले लाभ	–	दो सेट निःशुल्क गणवेश।
सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना

योजना का उद्देश्य	–	प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण कक्षा पहली से दसवीं तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना
हितग्राही की पात्रता	–	कक्षा एक से दसवीं तक सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल के विद्यार्थी।
मिलने वाले लाभ	–	सभी विषयों की एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें निःशुल्क।

सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख

पुस्तकालय योजना

योजना का उद्देश्य	–	कक्षा 6वीं से 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र तथा छात्राओं को अध्ययन के लिए सभी प्रकार की पुस्तकें शिक्षा सत्र के लिए पुस्तकालयों के माध्यम से उपलब्ध कराना।
हितग्राही की पात्रता	–	शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत् छात्र तथा छात्राएं
मिलने वाले लाभ	–	सभी विषयों की एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें निः शुल्क
सम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख

व्यावसायिक शिक्षा योजना

योजना का उद्देश्य	–	शिक्षा को रोंजगारोन्मुखी बनाना और विद्यार्थियों को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना।
हितग्राही की पात्रता	–	हायर सेकेण्ड्री स्तर के सभी विद्यार्थी
मिलने वाले लाभ	–	कृषि, वाणिज्य, गृह उद्यान, पैरामेडिकल, तकनीकी शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यकमों में प्रवेश
सम्पर्क	–	संबंधित विद्यालय के प्राचार्य

विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा योजना

योजना का उद्देश्य	–	प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा से वंचित विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोंडने और सामान्य समुदाय के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करना ताकि वे समाज के साथ समायोजित होकर संघर्ष का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सकें। दक्षता प्राप्त शिक्षकों द्वारा विकलांग बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कर न्यूनतम रोधक वातावरण सुलभ कराना।
हितग्राही की पात्रता	–	6 से 14 वर्ष आयु के विभिन्न प्रकार के विकलांग– श्रवण बाधित दृष्टि बाधित एवं अस्थि विकलांग तथा बहु

		विकलांग छात्र–छात्राएं।
मिलने वाले लाभ	–	1200 रूपयें प्रति वर्ष तक की सहायता। यह सहायता नगद न होकर शैक्षिक सुविधाओं के रूप में होती है। इसके अलावा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्र एवं उपकरण भी प्रदान किए जाते है।
संम्पर्क	–	संबंधित शाला प्रमुख/राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)

छात्रवृत्ति योजना

राज्य छात्रवृत्ति–	कक्षा तीसरी से पांचवीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत अ.जा.एवं अ.ज.जा. की बालिकाओं को तथा छठवीं से दसवीं तक अध्ययनरत अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के बालक–बालिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रदान की जाती है।
मेट्रीकोत्तर छात्रवृत्ति–	कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं में अध्ययनरत अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के बालक–बालिकाओं को शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रदान की जाती है।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति	कक्षा छठवीं में अध्ययनरत अ.जा., अ.ज.जा. के बालिकाओं को एकमुश्त 500 रूपयें की राशि प्रदान की जाति है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना

योजना का उद्देश्य	–	दूरस्थ अंचलों में सर्व सुविधायुक्त आवासीय शाला के माध्यम से बालिका शिक्षा को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाने वाली बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना तथा बालिकाओं के अनुरूप शालेय वातावरण का निर्माण।
हितग्राही की पात्रता	–	6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बालिकाएं। पलायन करने वाले परिवारों की बालिकाएं। कामकाजी बालिकाएं। आर्थिक दृष्टि से

		कमजोर वर्ग की बालिकाएं।
मिलने वाले लाभ	–	आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सा की सुविधा। छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री। व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा सीखने के कौशलों का प्रशिक्षण।
संम्पर्क	–	सर्व शिक्षा अभियान (स्कूल शिक्षा विभाग)

ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन शत–प्रतिशत महिला स्व–सहायता समूहों के हाथों में। प्रदेश के सभी स्कूली विद्यार्थियों हेतु गणवेश की सिलाई एवं प्रदाय का कार्य भी महिला स्व–सहायता समूहों को सौपा गया। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त तथा स्थानीय निकायों और बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन। योजना से वर्ष 2015–16 में प्रदेश के 31 हजार 375 प्राथमिक तथा 13 हजार 589 माध्यमिक स्कूलों के 33 लाख 93 हजार 897 बच्चे लाभान्वित।

राज्य सरकार द्वारा गणवेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 42 करोड़ रूपयें का अतिरिक्त प्रावधान कर प्रदेश के कक्षा आठवीं तक के सभी वर्गों के छात्रों को गणवेश प्रदान करने का निर्णय।

प्रदेश में कक्षा पहली से दसवीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करायी जा रही है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 78 करोड़ 60 लाख रूपयें का प्रावधान। इससे प्रदेश के लगभग 58 लाख स्कूली बच्चे होंगे लाभान्वित। प्रदेश में सरस्वती सायकल योजना से बालिका शिक्षा को मिला बढ़ावा। इस योजना के पूर्व हाई स्कूलों में बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत 65 था, जो अब बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया।

राज्य में चिन्हांकित 86 हजार 37 निःशुल्क बच्चों को शालाओं में प्रवेश दिलाया गया। एक हजार 678 गंभीर रूप से निःशुल्क बच्चों को गृह आधारित शिक्षा और कटे–फटे होंठ व तालु से ग्रसित तथा गंभीर शल्य चिकित्सा वाले 527 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 84 हजार 415 शिक्षक प्रशिक्षित। राज्य में 45 हजार 223 अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जिनमें से 40 हजार 95 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण तथा शेष 5128 शिक्षकों को चालू सत्र में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में वाणिज्य तथा अन्य पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ।

मातृभाषा में शिक्षा के लिए गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुडूक तथा बैगा भाषाओं में कक्षा पहली और दूसरी की पुस्तक तैयार कर कराया जा रहा क्षेत्र परीक्षण।

प्रदेश में छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 262 एन.आई.टी. केन्द्र कार्यरत। इस तरह प्रदेश में सभी 146 विकास खण्ड एस.सी.ई.आर.टी. से जुड़े, जिसके माध्यम से कैरियर गाइडेंस, पी.एम.टी. तथा पी.ई.टी. कोचिंग की व्यवस्था।

सर्व शिक्षा अभियान में दो हजार 279 विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 100 हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन का निर्माण।

प्रदेश के 23 जिलों में 15 उससे अधिक उम्र समूह के 18 लाख 85 हजार असाक्षरों को साक्षर बनाने साक्षर भारत कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन। वर्तमान में 97656 असाक्षर हुए साक्षर।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 25875 बच्चों को प्रदेश के निजी शालाओं में नर्सरी और पहली कक्षा में दिलाया गया प्रवेश।

शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से लागू विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता तथा बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शिक्षा सत्र 2015–16 से सभी स्कूलों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन।

प्रदेश के शालाओं के शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन हेतु डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गुणवत्ता शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत लगभग 16000 विद्यालयों को चिन्हांकित कर उनका पर्यवेक्षण राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, मान. मंत्रीगण, निगम, मण्डलों के अध्यक्ष, राज्य के वरिष्ठ एवं समस्त सचिव, तथा समस्त सेवारत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के द्वारा कराया गया। द्वितीय चक्र के पुनः उपरोक्त विद्यालयों का पर्यवेक्षण कार्य जनवरी 2016 में किया गया।

4.17 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन
2. विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का 2 वर्ष तक आरक्षण ।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ ।

4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 65.00 लाख, व्यय राशि रू. 54.42 लाख, व्यय का प्रतिशत 83.72

5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –

1–ब्याज अनुदान– सावधि ऋण पर पर ब्याज का 75 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रू. 20 लाख वार्षिक से लेकर रू. 120 लाख वार्षिक तक, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 1165.00 लाख, व्यय राशि रू. 722.02 लाख एवं व्यय का प्रतिशत 61.97

2–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान– 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 40 लाख से 500 लाख तक, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 2100.00 लाख, व्यय राशि रू. 1383.63 लाख एवं व्यय का प्रतिशत 65.88

3–परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 19.00 लाख, व्यय राशि रू. 15.08 लाख एवं व्यय का प्रतिशत 79.36

4–विद्युत शुल्क छूट – 10 वर्ष से 12 वर्ष तक

5–गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.25 लाख, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 4.00 लाख, व्यय राशि रू. 0.40 लाख एवं व्यय का प्रतिशत 10

6–तकनीकी पेटेन्ट अनुदान – व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 6.00 लाख, वर्ष 2015–16 में प्रावधानित राशि रू. 0.10 लाख, व्यय राशि 0.00

7–प्रौद्योगिक क्रय अनुदान – व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 6.00 लाख

8–अनुसूचित जाति/ जनजाति पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 51,000 एवं रू. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएं –

1– स्टाम्प शुल्क से छूट –

1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

2– भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट – अधिकतम 5 एकड़ के लिए ।

3– प्रवेश कर छूट – 5 से 7 वर्ष तक

4– विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक का 25 प्रतिशत ।

5— इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान — लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख

4.18 उच्च शिक्षा विभाग :—

समाज के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा अनिवार्य तत्व है। यदि बात उच्च शिक्षा की हो तो उसका महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसके सहयोग से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि होती है। वैयक्तिक उन्नति तथा विकास प्राप्ति के साधन रूप में उच्च शिक्षा का महत्व निःसंदेह बढ़ा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर युवा पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की सहज उपलब्धता अनिवार्य है। प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर कदम उठा रहा है। वर्ष 2015—16 में विभाग द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि निम्नानुसार है:—

1. वर्ष 2015—16 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 177570 छत्र—छात्राऐं अध्ययनरत थे जिनमें लगभग 25497 सामान्य वर्ग, 27130 अनुसूचित जाति, 41568 अनुसूचित जनजाति तथा 83375 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र—छात्राऐं अध्ययनरत् थे।

2. वर्ष 2015—16 में विभाग द्वारा 05 शासकीय आदर्श महाविद्यालय (रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, जगदलपुर) प्रारंभ किये गये है इनमें से दो आदर्श महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत संचालित है। इस प्रकार कुल शासकीय महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 214 हो गयी है। आदिवासी विकास खण्डो एवं पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य हेतु रूसा अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय के लिये राशि रू. 12 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

3. छात्राओं की उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राज्य शासन ने शासकीय संस्थाओं में छात्राओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

4. 40 शासकीय महाविद्यालयों में क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त कक्ष—निर्माण के लिए राशि रू. 40 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है जिसमें से 13 करोड रूपये मांग संख्या 41 एवं 64 अंतर्गत स्वीकृत किये गये है।

5. 05 शासकीय महाविद्यालयों में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन—निर्माण हेतु राशि रू. 13.64 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। जिनमें से 02 कन्या छात्रावास शासकीय पी.जी. महाविद्यालय कोरबा एवं शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर में प्रारंभ किये जाने है जो कि अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत संचालित है।

6. इसी प्रकार कन्या महाविद्यालयों में सुरक्षा के महत्व को समझते हुये बाउण्ड्रीवाल के लिये राशि रू. 1 करोड़ 90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी 54 महाविद्यालयों में क्षमता विस्तार हेतु कक्ष निर्माण एवं 7 विश्वविद्यालयों के लिये भी धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

8. राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2012 के तहत नैक (NAAC) द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा नैक को LoI (आशय पत्र) प्रेषित किये गये हैं। विभाग के लिये यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के चार महाविद्यालयों (शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय सी.एम.डी. महाविद्यालय, बिलासपुर) तथा एक राजकीय विश्वविद्यालय (इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़) को नैक ने **'A'** ग्रेड से मूल्यांकित किया है।

9. इसी तरह अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य प्रतिभाशाली छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ दिये जाने का समुचित प्रावधान किया गया है।

10. राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों, वनांचलों में उच्च शिक्षा का विस्तार करते हुये सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) में वृद्धि का सतत प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्य में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के साथ–साथ निजी तौर पर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मिला दिया जावे तो राज्य का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो जाता है। राज्य के समस्त महाविद्यालयों का अपना भवन हो, पर्याप्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की व्यवस्था हो, इस हेतु प्रति वर्ष बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

11. अध्ययन–सुविधा को विस्तार देते हुये 35 शासकीय महाविद्यालयों में 39 नवीन विषय प्रारंभ किये गये तथा 36 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रारंभ करने हेतु प्राध्यापकों के 72 पद सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 29 अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है। उच्च शिक्षा में अधिकाधिक

छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 48 शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट–संख्या में 1215 की वृद्धि की गयी है एवं 11 अशासकीय महाविद्यालयों में भी सीट–वृद्धि की अनुमति दी गयी है।

12. सभी महाविद्यालयों में प्रवेश–प्रक्रिया में सरलता एवं एकरूपता लाने हेतु Student Life Cycle Management (SLCM) लागू किया जा रहा है। NMEICT योजना के तहत 108 शासकीय महाविद्यालयों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी बीएसएनएल के माध्यम से प्रदान की जा रही है तथा चयनित महाविद्यालयों में छात्रों के लाभार्थ निःशुल्क Wi-fi सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ किया गया है।

13. शैक्षणिक सत्र 2015–16 में 35 शासकीय महाविद्यालयों में 39 नवीन विषय प्रारंभ किये गये तथा 36 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रारंभ करने हेतु प्राध्यापकों के 72 पद सृजित किये गये हैं।

14. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारकों के 150 नये पद स्वीकृत किये गये है।

15. कुल 214 शासकीय महाविद्यालयों में से 174 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन हैं, 35 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं, जिनमें 02 महाविद्यालय–भवनों के निर्माण हेतु बजट वर्ष 2015–16 में राशि का प्रावधान किया गया है शेष 05 महाविद्यालय इसी वर्ष प्रारंभ किये गये हैं।

16. 05 शासकीय महाविद्यालयों में 100 सीटर कन्या छात्रावास हेतु कुल 25 पदों जिसमें छात्रावास अधीक्षिका 05 पद, भृत्य 10 पद, स्वच्छक 05 पद एवं अंशकालीन स्वच्छक 05 पद का सृजन किया गया। इस हेतु बजट में रू. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है। छात्रावास भवन–निर्माण हेतु बजट में रू. 16.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कन्या महाविद्यालयों में सुरक्षा को समझते हुए बाउण्ड्रीवाल के लिये राशि रू. 2 करोड़ 90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत भी 54 महाविद्यालयों में क्षमता विस्तार हेतु कक्ष निर्माण एवं 7 विश्वविद्यालयों के लिये भी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

17. सत्र 2015–16 में 40 शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष–निर्माण के साथ–साथ पुरूष एवं महिला टॉयलेट हेतु प्रति महाविद्यालय के हिसाब से 40 महाविद्यालयों के लिये राशि रू. 40 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

18. दुर्ग संभाग में नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार एवं अन्य अमले की पदस्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय के लिये राशि रू. 2 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
19. छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र–छात्राओं को लगभग 43626 टेबलेट वितरित किया गया।
20. सभी महाविद्यालयों में Student Life Cycle Management (SLCM) लागू करने हेतु चिप्स के माध्यम से साफ्टवेयर तैयार कर प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं का प्रवेश तथा अन्य सभी अभिलेख ऑन–लाईन करने का प्रयास किया जा रहा है।
21. शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 27130 एवं अनुसूचित जनजाति के 41568 विद्यार्थी (कुल–68698) पाठ्य पुस्तकें एवं मुफ्त स्टेशनरी प्रदान करने की योजना से लाभान्वित हो रहे है।
22. इस शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 02 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय एवं 01 शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय तथा गृह विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की अनुमति देने के साथ–साथ 14 सहायक प्राध्यापक, 09 प्रयोगशाला तकनीशियन और 09 प्रयोगशाला परिचारक के पद सृजित किये गये हैं।

<u>उच्च शिक्षा विभाग की नवीन प्रस्तावित योजनाऐंः–</u>

- **मुख्यमंत्री युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रमः**

उपरोक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास हेतु उनमें नैतिक जीवन मूल्य एवं सामान्य व्यवहार कौशल, अंग्रेजी भाषा संचार दक्षता एवं कम्प्यूटर आधारित दक्षता का विकास करना तथा स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों में रोजगारपरक क्षमताओं का विकास कर उनमें रोजगार हेतु आत्मविश्वास की वृद्धि करना तथा प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का विकास करना है। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के घटक के रूप में संचालित किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुयी है तथा प्रथम चरण में इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 5 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। इसमें 40 प्रतिशत राशि राज्यांश सम्मिलित है।

- **सभी जिला मुख्यालय के महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयनः**

उपरोक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में 8 जिले यथा बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गरियाबंद एवं मुंगेली जिला मुख्यालय के महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर

महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनमें से मात्र कोण्डागांव एवं गरियाबंद में स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार पॉच विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं स्वीकृत होने पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने का प्रावधान है। विभाग की योजना है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के अग्रणी महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये। इस हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में 3 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन होने की स्थिति में उन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाना विचाराधीन है। इस हेतु बजट प्रावधान उपरांत क्रमशः कार्यवाही की जावेगी।

- **मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन फेलोशिप कार्यक्रमः**

इस योजना अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान छात्र–छात्रायें जिन्होंने खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों अथवा सेवा क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता/पुरस्कार दिये जाने का प्रस्ताव है। इससे छात्र–छात्राओं में पाठय–क्रमेत्तर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी एवं उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार की जा रही है तथा विहित प्रक्रिया स्वीकृति उपरांत योजना लागू करने की कार्यवाही की जायेगी।

- **महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास कार्यक्रमः**

1. विभागीय अधिकारियों के द्वारा महाविद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि महाविद्यालयों के शौचालय का रख–रखाव ठीक नहीं है। इसी प्रकार कई महाविद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का भी अभाव है। इसे देखते हुए एवं छात्र–छात्राओं को पढ़ने का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग के द्वारा एक 'महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास कार्यक्रम' की परिकल्पना की गयी है। इसके अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों में स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ एवं सुंदर परिसर(भवन का रखरखाव तथा नियमित सफाई), वाई–फाई की सुविधा एवं शैक्षणिक ऑडिट का कार्य संपादित किया जायेगा। इससे महाविद्यालयों में बेहतर पठन–पाठन के साथ ही महाविद्यालय अद्योसंरचना का बेहतर रख रखाव भी हो सकेगा। इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कुछ धनराशि भी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान विचाराधीन है।

4.19 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत

से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तथापि विभाग की अनेक योजनाओं द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ।

4.19.1 सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉइस केन्द्र) :–

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 6 ग्रामों के समूह में एक केन्द्र प्रारंभ किया गया है। इन केन्द्रों से ग्रामीणों को ऑनलाईन सेवा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें निजी एवं शासकीय सुविधाएं प्रदान की जायेगी। ऑनलाईन दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :–

शासकीय सेवाएं–

1. जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. शासकीय फार्म की प्रदायगी
6. भू – अभिलेख दस्तावेज की प्रदायगी
7. रोजगार पंजीयन
8. जनशिकायत निवारण
9. बिजली बिल का भुगतान
10. टेलीफोन बिल का भुगतान
11. परीक्षा परिणाम की प्रदायगी

निजी सेवाएं–

1. बीमा संबंधित सेवाएं।
2. बैंकिंग संबंधित सेवाएं।
3. कृषि संबंधित सेवाएं।
4. मोबाइल सेवाएं।
5. अन्य जनोपयोगी सेवाएं।

राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 887 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जहां से उपरोक्त दर्शायी सेवाएं दी जाने की व्यवस्था है। यह केन्द्र स्थानीय उद्यमी द्वारा स्ववित्त से प्रारंभ किये गये हैं यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम 2003 के आधार पर संचालित हैं।

4.20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में कुल 73,848 बसाहटें हैं जिनमें से 50,082 बसाहटें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं 3122 बसाहटें अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 31.03.2016 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कुल बसाहटें	50,082	–
2	पेयजल व्यवस्था पूर्ण बसाहटें	47,842	95%
3	आंशिक पूर्ण बसाहटें	1,099	02.%
4	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटें	1,141	02.%

31.03.2016 की स्थिति में 95% बसाहटों में आवश्यकता के अनुरुप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 2% बसाहटों में आंशिक रुप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 2% बसाहटों में गुणवत्ता की समस्या है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं जैसे आई.आर.पी, एफ.आर.पी., आर. ओ. इत्यादि बसाहटों में स्थापित कराये जा रहे हैं।

पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए सभी पंचायतों को FTK उपलब्ध कराया गया है तथा ग्राम के कुछ लोगों को नमूना जांच का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 मोबाईल वेन से भी जल नमूना का जांच किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला संचालित है। इस प्रकार जल नमूनों की जांच की पर्याप्त व्यवस्था है एवं गुणवत्ता जांच सतत किया जा रहा है।

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रोग्राम मद में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि एवं व्यय की गई राशि (31 मार्च 2016 की स्थिति में) का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	छत्तीसगढ़	(राशि रु. लाख में)
1	पूर्व अवशेष	281.76
2	उपलब्ध राशि (राज्यांश)	5313.34
3	उपलब्ध राशि (केन्द्रांश)	1940.53

4	कुल उपलब्ध राशि	**7535.63**
5	कुल व्यय राशि	**7171.78**
6	व्यय का प्रतिशत	**95.17%**

इस वित्तीय वर्ष में व्यय का प्रतिशत अब तक 95.17% है।

4.21 लोक निर्माण विभाग

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 15 सड़क कार्य पूर्ण और 58 सडक कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो के अंतर्गत 595.31 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इनके अलावा हवाई पट्टी के 03 कार्य प्रगति पर रहे एवं 29 पुल पूर्ण एवं 96 पुल कार्य प्रगति पर थे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 91 कार्य पूर्ण एवं 121 कार्य प्रगति पर थे। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहॉ आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासीयों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या –42)

(अ). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :– इस योजना में 05 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 23 सड़क कार्य प्रगति पर रहे इस योजना के अंतर्गत 131.37 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू 66.10 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ब). कॉरीडोर योजना के तहत :– इस योजना के अंतर्गत 1 पुल कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2015–16 में इस योजना में रू. 4.18 करोड़ व्यय किया गया है।

(स). राज्य मार्ग :– इस योजना के अंतर्गत 05 सड़क पूर्ण 05 सड़क कार्य प्रगति पर थे। जिसमें रू. 104.90 करोड़ का व्यय हुआ एवं 183.75 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(द). मुख्य जिला मार्ग :– इस योजना के अंतर्गत 02 सड़क कार्य पूर्ण एवं 14 सड़क कार्य प्रगति पर थे, जिसमें रू. 102.47 करोड़ का व्यय हुआ है तथा 219.59 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(य). वृहत पुलों का निर्माण :– इस योजना के अंतर्गत 28 पुल कार्य पूर्ण तथा 96 पुल के कार्य प्रगति पर रहे तथा रू. 108.68 करोड़ का व्यय किया गया है।

(र). हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार :– इस योजना के अंतर्गत 03 कार्य प्रगति पर थे। इन पर रू. 7.24 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ल) नाबार्ड :– इस योजना में 03 सड़क पूर्ण तथा 16 सड़क कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2015–16 में रू. 12.85 करोड़ व्यय हुआ है जिसमें 60.60 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है।

<u>मांग संख्या –76 :–</u>

(अ). ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत):– इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाना है। इसमें द्वितीय फेस में 3 कार्य लिये गये है, जिसमें से 02 कार्य प्रगति पर है तथा 01 कार्य निविदा पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित हैं। इसमें वर्ष 2015–16 में रू. 31.98 लाख का व्यय हुआ है।

<u>2. भवन कार्य (मांग संख्या – 68)</u>

(अ). मांग संख्या–68 :– मांग संख्या–68 में भवन कार्यो के तहत 91 नग भवन पूर्ण किये तथा 121 कार्य प्रगति पर रहे, इन कार्यो पर वर्ष 2015–16 में रू. 183.41 करोड़ व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन निम्नानुसार है :–

- 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 01 आदिवासी छात्रावास,
- 29 शैक्षणिक संस्थान
- 14 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन
- 02 माध्यमिक शाला भवन
- 03 महाविद्यालय भवन
- 03 भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण
- 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन
- 01 पॉलीटेक्निक भवन
- 01 रोजगार कार्यालय भवन
- 21 विशेष अधोसंरचना विकास योजना

- 02 लोक निर्माण विभाग
- 01 खनिज प्रषासन
- 01 भू–राजस्व
- 01 पुलिस निर्माण कार्य
- 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 01 चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि
- 01 जिला/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भवन

❋❋❋❋❋

अध्याय – 5

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए ''आदिवासी उपयोजना'' (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय **वर्ष 2015–16**)

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	राज्य आयोजना		
		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	कृषि	37607.30	20593.56	54.76
2	उद्यानिकी	5293.10	5053.59	95.48
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें	2880.22	2099.95	72.91
4	मत्स्योद्योग	1267.23	1239.99	97.85
5	सहकारिता	11125.00	5573.22	50.10
6	वन	24237.00	20405.28	84.19
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	218107.36	125373.51	57.48
8	ऊर्जा			
	(अ) छ.रा.वि.वि.कंपनी	125927.01	115602.64	91.80
	(ब) क्रेडा	3441.20	3397.70	98.74
	योग	**129368.21**	**119000.34**	**91.99**
9	ग्रामोद्योग (अ) रेशम उद्योग	685.75	445.79	65.01
	(ब) हाथकरधा	170.52	170.50	99.99
	(स) खादी ग्रामोद्योग	243.38	243.38	100.00
	(द) हस्तशिल्प विकास बोर्ड	203.51	42.68	20.97
	योग	**1303.16**	**902.35**	**69.24**
10	जल संसाधन	61618.00	54094.10	87.79
11	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	215398.63	148810.54	69.09
12	स्कूल शिक्षा	127177.19	70091.63	55.11

13	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	246531.21	173126.03	70.22
14	उच्च शिक्षा	13392.70	6644.88	49.62
15	जन शक्ति नियोजन (अ) तकनीकी शिक्षा	4153.00	1168.91	28.15
	(ब) रोजगार पक्ष	715.20	234.24	32.75
	(स) प्रशिक्षण पक्ष	5737.80	2721.40	47.43
	योग	**10606.00**	**4124.55**	**38.89**
16	(अ)समाज कल्याण	11279.65	11156.07	98.90
	(ब)पंचायत	29767.00	26059.61	87.55
	योग	**41046.65**	**37215.68**	**90.67**
17	महिला एवं बाल विकास	64576.07	42467.45	65.76
18	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण	87342.17	66472.77	76.11
19	लोक निर्माण	110384.77	62497.26	56.62
20	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय	2900.00	2847.05	98.17
21	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	21987.42	18642.44	84.79
22	चिकित्सा शिक्षा	9693.00	6573.00	67.81
23	संस्कृति	485.00	425.17	87.66
24	नगरीय प्रशासन	13156.23	7647.84	58.13
25	वाणिज्य एवं उद्योग	2942.00	1785.54	60.69
26	विधि एवं विधायी	189.47	19.93	10.52
27	जनसम्पर्क	300.00	125.36	41.79
28	आयुर्वेद,योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी	3389.58	2191.52	64.65
29	भौमिकी तथा खनिकर्म	5922.58	601.93	10.16
	महायोग	**1470227.25**	**1006646.46**	**68.47**

5.1 कृषि विभाग

वर्ष 2015–16 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रूपये 37607.30 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध रूपये 20593.56 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/ योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जाति लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषक समग्र विकास योजना	2418.70	2096.21	540099	481617	145599
2	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	60.00	39.70	3228	2628	4350
3	जैविक खेती मिशन	542.00	375.50	4917	3233	4728
4	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	140.00	136.27	-	-	-
5	फसल प्रदर्शन योजना	817.00	752.92	19285	19083	35340
6	खलिहान बीमा योजना	1.50	0.00	-	-	-
7	मॉडिफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.10	0.00	-	-	-
8	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1899.90	1899.90	-	-	-
9	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना	570.00	559.50	70	18	-
10	सिंचाई हेतु डीजल अनुदान	87.16	86.69	-	-	-
11	कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान	209.00	206.50	464	464	464
12	भू–जल संवर्धन	100.00	71.55	2000	1424	1424
13	मृदा परीक्षण प्रयोग शाला का रखरखाव	24.00	23.81	-	-	6288
14	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	1000.00	999.49	35	18	-
15	शाकम्भरी योजना	1350.00	1338.49	9285	10080	10080

16	किसान समृद्धि हेतु अनुदान	760.00	668.81	1770	1874	1874
17	छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु अनुदान	0.01	0.00	-	-	-
18	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	500.00	500.00	-	-	-
19	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	5130.00	2438.05	-	-	-
20	नेशनल मिशन On oilseeds & oilpam	452.19	248.32	18645	28177	38817
21	NMAET सबमिशन ऑन सीड एवं प्लांटिंग मटेरियल योजना	250.00	118.72	1199	11081	29176
22	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5803.93	1832.21	594	582	582
23	एन.एम.एस.ए. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना	1000.00	0.00	-	-	-
24	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	450.00	381.44	-	-	-
25	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	9231.55	4339.65	189195	117373	-
26	NMSA स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	1178.33	221.54	31600	2316	2316
27	NMAET सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	1140.00	771.64	-	-	-
28	कृषि यंत्रीकरण अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	1140.00	287.64	3066	3066	849
29	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत यांत्रिकीकरण रोपाई, जुताई एवं बुआई पर अनुदान	190.00	0.00	-	-	-
30	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना	190.00	0.00	-	-	-

31	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार	190.00	0.00	-	-	-
32	उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन	22.83	21.30	-	-	-
33	NMSA रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना	734.10	177.71	-	-	-
34	NMSA क्लाईमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग	25.00	0.00	-	-	-
	योग	**37607.30**	**20593.56**			

5.1.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू.5293.10 लाख का बजट प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रू.5053.59 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जाति लाभान्वित हितग्राही
1	सघन फलोद्यान विकास योजना	200.00	197.52	882.16 (Hect.)	881.95 (Hect.)	1638
2	उद्यानिकी प्रशिक्षण	30.00	29.00	-	-	-
3	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	110.00	109.65	66.63 (Hect.)	66.63 (Hect.)	-
4	टपक सिंचाई योजना	0.10	0.00	-	-	-
5	संरक्षित खेती फसलोत्तर प्रबंधन योजना	38.00	38.00	-	-	-
6	नदी के कछार / तटों पर लघु सब्जी	38.00	37.77	323.40 (Hect.)	321.40 (Hect.)	1038

	उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना					
7	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	3130.47	2959.27	-	-	-
8	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना	625.93	561.15	384794	245818	25919
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	183.90	183.90	1449 (Hect.)	378.22 (Hect.)	348
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	936.70	936.34	41369	39271	32281
	योग	**5293.10**	**5053.59**			**61224**

5.2 पशुपालन विभाग

वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 2880.22 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध 2099.95 लाख की राशि व्यय कर निम्नानुसार प्रमुख योजनायें संचालित की गई है।

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जाति लाभान्वित हितग्राही
1	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	55.00	54.68	-	-	-
2	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	200.00	199.93	7407	6850	6850
3	सूकर वितरण अनुदान	96.80	95.88	1075	1065	1065
4	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	40.00	39.20	174	156	156
5	बस्तर जिले में पशुधन विकास	143.89	134.32	-	-	-
6	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	358.52	220.99	-	-	-
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1200.00	1187.60	-	-	-
8	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	40.00	37.82	-	-	-
10	राष्ट्रीय मिशन फॉर प्रोटीन सप्लाई फॉर गोट	165.00	1.26	-	-	-
11	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास	380.00	93.27	570	117	117

12	गौवंश योजना	1.00	0.00	-	-	-
13	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	0.01	0.00	-	-	-
14	नाबार्ड योजना अंतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	200.00	35.00	220	39	39
	योग :–	**2880.22**	**2099.95**	**9446**	**8227**	**8227**

5.3 मत्स्य विभाग

प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

वर्ष 2015–16 में मत्स्य विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रूपये 1267.23 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 1239.99 लाख व्यय किया गया है। विभाग अंतर्गत क्रियान्वित की गई मुख्य योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :– **(राशि लाखों में)**

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	131.86	131.86
2	मत्स्य बीज उत्पादन	111.70	111.25
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	6.25	5.70
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	16.65	6.79
5	आदिवासी मत्स्य/पालकों को सहायता अनुदान	196.17	196.00
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	65.00	64.99
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	67.50	67.46
8	NMPS (RKVY)	0.00	0.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	640.00	639.94
10	मत्स्य कृषि विकास अभिकरण को अनुदान	32.00	16.00
	योग –	**1267.23**	**1239.99**

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	स्टेफ्राई संख्या (लाख में)	198.88	198.88

2	मत्स्य बीज उत्पादन	स्टेफाई (लाख में)	4500	4500
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	हितग्राही संख्या	250	223
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	हितग्राही संख्या	49655	49655
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	समिति संख्या	85	85
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	हितग्राही संख्या	4153	4153
7	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनु.)	हितग्राही .संख्या	6328	6328
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	हितग्राही संख्या	1250	1250
9.	NMPS(RKVY)	केज संख्या	0	0
10	मत्स्य कृषि विकास अभिकरण को अनुदान	हितग्राही संख्या	128	128

5.4 सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को **11125.00** लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध **5573.22** लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को विपणन के अंशक्रय करने हेतु अनुदान	0.50	0.50
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो को बहुउद्देशीय में उन्नयन	0.00	0.00
3	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को लैम्पस के अंशक्रय करने हेतु अनुदान	0.00	0.00
4	जनजातिय सेवा समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	0.00	0.00
5	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	0.00	0.00
6	प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	0.00	0.00

7	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान)	6.54	6.54
8	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी	0.00	0.00
9	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	2500.00	2500.00
10	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (ऋण)	26.19	26.19
11	सूखा प्रभावित कृषको के लिए कृषि ऋण राहत योजना	3040.00	3040.00
	योग	**5573.22**	**5573.22**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	**योजना कार्यक्रम का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**भौतिक उपलब्धि**
1	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को विपणन के अंशक्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	3000	500
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो को बहुउद्देशीय में उन्नयन	संस्था	5	-
3.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यो को लैम्पस के अंशक्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	6600	-
4.	जनजातिय सेवा समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	संस्था	250	-
5.	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	सदस्य	472	-
6.	प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	बैंक	1	-
7	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान)	संस्था	3	1
8	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी	बैंक	479	-
9	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	संस्था	1	1
10	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (ऋण)	संस्था	3	1
11	सूखा प्रभावित कृषको के लिए कृषि ऋण राहत योजना	सदस्य	76657.6	42180

5.5 वन विभाग :–

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।

वन विभाग को वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या–41 में राशि 24237.00 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि 20405.28 लाख रूपये व्यय किये गये। विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	7800.00	7699.24
2	सामाजिक वानिकी	330.00	325.81
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	400.00	394.77
4.	लघु वनोपज संग्राहकों का सामुहिक बीमा	300.00	300.00
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	687.83	462.93
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	550.00	285.59
7.	पौधा प्रदाय योजना	40.00	39.99
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	450.00	740.25
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	265.00	264.04
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	237.17	235.50
11	सड़के तथा मकान निर्माण	1210.00	1144.41
12	बांस वनों का पुनरूद्धार	2400.00	1676.27
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	250.00	247.46
14	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	1950.00	1926.07
15	प्रसंस्करण इकाई	60.00	60.00

16	वन अधिकारों की मान्यता	50.00	45.72
17	हरियाली प्रसार योजना	3000.00	2209.14
18	भू–जल संरक्षण कार्य	275.00	257.26
19	लाख विकास योजना	210.00	210.00
20	कर्मचारी कल्याण योजना	130.00	71.28
21	लघु वनोपज कार्ययोजना हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1522.00	1522.00
22	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	1500.00	21.99
23	राष्ट्रीय बांस मिशन	120.00	65.56
24	लघु वनोपज कार्ययोजना हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षे.यो.)	200.00	200.00
	योग	**24237.00**	**20405.28**

वन विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाों की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	**योजना कार्यक्रम का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**भौतिक उपलब्धि**	**लाभान्वित अनु.जनजाति की संख्या**
1	पर्यावरण वानिकी	प्रथम वर्ष हे.			
		द्वितीय वर्ष हे.	300	300	
		रखरखाव हे.	10	10	46293
2	बिगड़े वनों का सुधार	प्रथम वर्ष हे.	28576	28576	
		द्वितीय वर्ष हे.	15808	15808	
		रखरखाव हे.	159767	159767	769924
3	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास	प्रशिक्षण	3	3	24746
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	प्रथम वर्ष हे.	60	60	
		द्वितीय वर्ष हे.	830	830	
		रखरखाव हे.	675	675	

		रखरखाव (पौधे लाख में)			28559
5	हरियाली प्रसार योजना	प्रथम वर्ष (पौधें लाख में)	1.00	1.00	
		द्वितीय वर्ष (पौधें लाख में)	119.05	118.62	
		रखरखाव (पौधे लाख में)	35.62	35.62	220914
6	पौधा प्रदाय योजना	पौधें लाख में (तैयारी)	8.00	8.00	
		पौधें लाख में (वितरण)			3999
7	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	प्रथम वर्ष हे.	115	115	
		द्वितीय वर्ष हे.	397	397	
		रखरखाव हे.	783	783	39477
8	बांस वनों का पुनरोद्धार	प्रथम वर्ष हे.	7948	7948	
		द्वितीय वर्ष हे.	10400	10400	
		रखरखाव हे.	15568	15568	167627
9	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	प्रथम वर्ष हे.			
		द्वितीय वर्ष हे.	166	166	
		रखरखाव हे.	726	726	23550
10	वन अधिकारों की मान्यता	मुनारा (संख्या)	8521	8366	4572
11	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	भवन संख्या	92	83	
		सड़क निर्माण कि.मी.	76ण00	76ण00	114441
12	कर्मचारी कल्याण योजना	भवन (संख्या में)	16	15	7128

13	भू–जल संरक्षण कार्य	प्रथम वर्ष हे.	11058	11058	
		द्वितीय वर्ष हे.	9558	9558	
		रखरखाव हे.	8327	8327	25726
14	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/ औषधी रोपण	प्रथम वर्ष हे.	655	655	
		द्वितीय वर्ष हे.	730	730	
		रखरखाव हे.	3396	3396	74025
15	लोक संरक्षित क्षेत्राों की स्थापना	प्रथम वर्ष हे.	9664	8664	
		द्वितीय वर्ष हे.	3000	3000	
		रखरखाव हे.	1000	1000	26404
16	सामाजिक वानिकी	प्रथम वर्ष हे.	260	260	
		द्वितीय वर्ष हे.	125	125	
		रखरखाव हे.	876	876	32581
17	वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण	रपटा / पुलिया संख्या)	453	438	192607
18	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	–			2199
19	राष्ट्रीय बांस मिशन	–			6556
20	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	प्रीमियम राशि			30000
21	लाख विकास योजना	हितग्राहियों का प्रशिक्षण (संख्या में)			21000
22	लघु वनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान	लघु वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण			152200
23	लघु वनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान (के.क्षे.)				20000
24	प्रसंस्करण ईकाई	प्रसंस्करण ईकाई			6000

5.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2015–16 में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 218107.36 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध रू. 125373.51 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	स्वच्छ भारत अभियान	11400.004	10437.632
2	इंदिरा आवास योजना	19000.000	7080.240
3	आई.डब्लू.एम.पी.	2850.000	422.222
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन	5700.000	2527.946
5	डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)	392.890	392.876
6	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	104500.000	46686.274
7	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (बेरोजगारी भत्ता)	6.200	0.000
8	म.गां.नरेगा अन्तर्गत मातृत्व भत्ता	0.100	0.000
9	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2018.170	1969.569
10	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पूलों का निर्माण	1800.000	1800.000
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वृहद निर्माण कार्य)	3000.000	3000.000
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वृहद निर्माण कार्य) सड़क एवं पुल निर्माण	28500.000	28499.000
13	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वृहद निर्माण कार्य) सड़क एवं पुल निर्माण **(तृतीय अनुपूरक)**	3040.000	2967.000
14	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	26400.000	12450.000
15	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	9500.000	7140.750
	योग	**218107.364**	**125373.509**

5.7 ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रूपये **125927.01** लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। आबंटित राशि के विरूद्ध रू. **115515.72** व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	10222.00	10221.70
2	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	37740.00	46740.00
3	कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	7940.00	5271.20
4	शासकीय स्कूलों / अस्पतालों का विद्युतीकरण	2500.00	1264.88
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	0.00	797.74
6	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में सब्सिडी	17100.00	17100.00
7	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतिकरण योजना	1900.00	573.92
8	मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतिकरण योजना	1900.00	342.10
9	छीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	2280.00	139.18
10	एकीकृत विद्युत विकास योजना	2280.00	0.00
11	उदय योजना अंतर्गत अनुदान	33065.00	33065.00
	योग–	**125927.01**	**115515.72**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु.ज.जा. लाभा.हित.
1	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	हितग्राही	694322	666481	666481

2	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	हितग्राही	96576	89068	89068
3	कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	पंप	4830	9439	9439
4	शासकीय स्कूलों/आंगनबाड़ी / अस्पतालों का विद्युतीकरण	स्कूलों/ आंगनबाड़ी/ अस्पतालों	4148	11498	-
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	ग्राम विद्युतिकरण	81	129	
		एकल विद्युतिकरण	38000	13991	13991
		सघन विद्युतिकरण	418	417	
6	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में सब्सिडी	.	-	-	-
7	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतिकरण योजना	.	-	-	-
8	मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतिकरण योजना	मजराटोला	190	75	-
9	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	अविद्युतिकरण ग्राम	108	5	-
		घरेलु निवासियों को विद्युत उपलब्धता	59642	1107	1107
		फीडर पृथकरण	24	-	-
10	एकीकृत विद्युत विकास योजना	नगर	0	0	0
11	उदय योजना अंतर्गत अनुदान	.	-	-	-

5.8 ग्रामोद्योग विभाग

5.8.1 रेशम

राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ–साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते है।

वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या–41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 685.00 लाख के विरूद्ध रू. 445.79 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :– **(राशि लाखों में)**

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	530.75	301.28
2	पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	155.00	144.51
3	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	0.00	0.00
	योग–	**685.00**	**445.79**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1. पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	लख नग स्व. समूह	25.85	25.91	7914
	हित. संख्या कृमिपालक	12923	12812	
2. नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	कैंप संख्या	165	168	998
	लाभान्वित संख्या		1554	
3. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	हितग्राही संख्या	0	0	0

5.8.2 खादी :– वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को रू. 243.38 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा रू. 243.38 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	30.25	30.25	0	0	0
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	17.05	17.05	198	198	198
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	176.00	176.00	2606	2606	2606
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण	15.13	15.13	180	68	68
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	4.95	4.95	385	385	385
	योग–	**243.38**	**243.38**	**3369**	**3257**	**3257**

5.8.3 हाथकरघा :– वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 170.50 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 170.50 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	बााजार अध्ययन	16.00	16.00	120	120	120
2	रिवाल्विंग फण्ड	4.50	4.50	30	30	30
3	समग्र हाथकरघा योजना	100.00	100.00	323	300	300
4	कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	50.00	50.00	500	500	500
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना	0.00	0.00	0	0	0
	योग–	**170.50**	**170.50**	**973**	**950**	**950**

5.8.4 हस्तशिल्प विकास बोर्ड :– वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 203.51 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 42.68 लाख व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान	4748	
	अ. विकास केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान (5020)	39.70	15.88
	ब. हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान (4748)	26.40	10.56
	स. हस्तशिल्पियों को औजार, कर्मशाला अनु. (9204)	9.70	3.88
	द. हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान (5635)	25.40	10.16
	इ. हस्तशिल्प में राज्य पुरस्कार योजना (4751)	2.20	2.20
2	सहकारी संस्थाओं, समितियों को आर्थिक सहायता	0.01	0.00
3	बस्तर हस्तशिल्प विकास परियोजना	0.10	0.00
4	कोण्डागांव में शिल्प सिटी की स्थापना	100.00	0.00
		203.51	**42.68**

5.9 जल संसाधन विभाग

वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 61618.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 54094.10 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
	वृहद परियोजना		
1	(03) सोंढूर परियोजना–बांध तथा संलग्न कार्य	1089.10	793.09
2	सोंढूर परियोजना–बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण	912.90	710.33
3	वृहद सर्वे	100.00	0.00
	मध्यम परियोजना		
4	(08) खरखरा	1410.00	1268.22
5	(16) झुमका	0.00	0.00
6	(17) गेज	0.00	0.00
7	(22) कुंवरपुर	0.00	0.00
8	(23) बांकी	0.00	0.00
9	(24) श्याम घुनघुट्टा	10.00	0.00

10	(25) परालकोट	60.00	0.00
11	(29) माण्ड व्यपवर्तन	101.00	0.00
12	(31) बरनई	5.00	0.00
13	(33) कोसारटेड़ा	105.00	89.60
14	(34) मोंगरा परियोजना	650.00	649.73
15	मध्यम परि. का सर्वेक्षण	10.00	0.00
16	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	5.00	0.00
17	लघु सिंचाई योजना (सामान्य)	0.00	0.00
18	सर्वेक्षण	0.00	0.00
19	मरम्मत, पुनर्नवीनीकरण एवं पुनरोध्दार	0.00	0.00
20	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	0.00
21	एनीकट/स्टापडेम का निर्माण	10.00	0.00
22	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	60.00	0.00
23	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	101.00	0.00
	लघु परियोजना		
24	लघु सिंचाई योजना (सामान्य)	24600.00	23653.97
25	सर्वेक्षण	800.00	406.72
26	मरम्मत, पुनर्नवीनीकरण एवं पुनरोध्दार	5000.00	157.67
27	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	250.00	0.00
28	एनीकट/स्टापडेम का निर्माण	23000.00	22901.10
29	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	3500.00	3463.67
30	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	10.00	0.00
	योग	**61618.00**	**54094.10**

5.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

वर्ष 2015–16 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 215398.63 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 148810.54 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर आयोडाइज नमक वितरण	3762.00	838.87
2	अन्नपूर्णा योजना	3.04	2.58
3.	अंत्योदय अन्न योजना	1710.00	0.00

4.	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना प्रदाय	42000.00	10500.00
5	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	159600.00	131661.13
6	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	0.10	0.10
7	छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण	0.10	0.10
8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	77.39	0.00
9	पीली मटर दाल वितरण योजना	1736.00	1816.72
10	शक्कर वितरण योजना	1710.00	1191.80
11	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	3800.00	2799.44
	योग	**215398.63**	**148810.54**

5.11 स्कूल शिक्षा विभाग

वर्ष 2015–16 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत रू. 127177.19 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। इसके विरूद्ध राशि रू. 70091.63 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	सर्व शिक्षा अभियान	46443.67	46443.67
2	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय (प्रायमरी, अपर प्रायमरी)	1800.00	0.00
3	पुस्तकालय योजना	250.00	249.78
4	छात्राओं को गणवेश	1900.00	137.41
5	प्रा.शाला विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	4667.00	4077.92
6	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	3665.00	3197.63
7	हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय		
8	यूरोपियन कमीशन	1369.80	1072.00
9	माध्यमिक शालाओं में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	1300.00	1300.00
	योग –	**127177.19**	**70091.63**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	छात्र	855000	855000
पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	छात्र	524000	524000
निःषुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय	विद्यार्थी	855000	117455
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय माध्यमिक	बालिका	298811	298811
छात्राओं को निःशुल्क गणवेश (प्रायमरी, अपर प्रायमरी)	विद्यार्थी	559265	559265
पुस्तकालय योजना	शाला	285	285

5.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु जनहितकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं इन योजनाओं के अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान हेतु सक्षम हो रहे हैं । विभाग द्वारा संचालित उपलब्धि मूलक योजनाएँ निम्नानुसार हैं :–

वर्ष 2015–16 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संस्थाओं का प्रकार	संस्थाओं की संख्या
1	कन्या शिक्षा परिसर (आवासीय)	14
2	एकलव्य आवासीय विद्यालय	16
3	गुरूकुल विद्यालय (आवासीय)	01
4	खेल परिसर	14
5	प्री–मैंट्रिक जनजाति छात्रावास	1288
6	पोस्ट मैट्रिक जनजाति छात्रावास	301
7	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (प्राथमिक)	1175
8	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (माध्यमिक)	83

जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक संस्थाएं संचालित की जा रही है :–

1 **आवासीय संस्थाएं** :– घर से दूर रहकर विद्या अर्जन करने वाले जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु 301 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 1288 प्री मैट्रिक छात्रावास एवं 1175 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है।

2 **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति** :– कक्षा 11वी एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रू.2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के 126943 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है। छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excliding amount refundable to the student after completion of the course) की भी पात्रता होती है।

3 **खेल परिसर** :– अध्ययन के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 14 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 6 परिसर कन्याओं के लिए है। प्रत्येक परिसर में 100 छात्र/छात्राएं आवासीय सुविधासहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2015–16 में कुल 1367 छात्र/छात्राओं कीडा परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू.850 शिष्यवृत्ति, 500 रू. पोषण आहार, वर्ष में एक बार रू. 3000 संपूर्ण खेल पोषाक के लिये जिसमें ड्रेस, जूता, मोजा तथा संबंधित खेल की पोशाक शामिल है तथा रू.500 शाला गणवेश के लिए दिए जाते हैं।

4 **अशासकीय संस्थाओं को अनुदान** :– छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उददे्श्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम बनाया गया है।

राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 33 अशासकीय संस्थाएं इस विभाग से अनुदान प्राप्त कर रही है। शिक्षण संस्थाओं में 32 संस्थाएं एवं चिकित्सा क्षेत्र में 01 संस्था अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कार्य कर रही है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उ.मा. शालाएं, छात्रावास, आश्रम, बालबाड़ी, औषधालय आदि प्रवृत्तियों पर कार्य किया जा रहा है। उक्त अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि रू. 3502.82 लाख अनुदान स्वीकृत किया

गया है। वर्ष 2015–16 से शैक्षणिक प्रवृत्तियों से संबंधित अशासकीय संस्थाओं को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

5 **जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना** :–राज्य में ऐसे प्रतिभावान आदिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 5वीं, तथा 8 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों इस योजना के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर राज्य के बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 925 लाख का प्रावधान रखा गया था तथा कुल 868 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है।

राहत योजनाएं –

1 **आकस्मिकता योजना :–**

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुनर्वास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वर्ष 2015–16 में राशि रू.141.45 लाख की राहत सहायता प्रदान कर 531 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

आर्थिक योजनाएं

1 **स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :–** छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाईयां एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह–उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंश पूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धारित मापदंड में आने वाले अनुसूचित जनजाति हितग्राही वर्ग के आर्थिक उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है।

क्षेत्रीय विकास योजनाए :—

1 **स्थानीय विकास कार्यक्रम** — योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विकास विभागों द्वारा जिला के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, लघु अंचल क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गो, पुल—पुलियों एव रपटों का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वस्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सक आवास गृह के निर्माण कार्य कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।

2 **विभागीय संस्था के भवनों का निर्माण :—**

योजनान्तर्गत भवन विहीन विभागीय छात्रावासों/आश्रमों, उ.मा.शालाओं हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं संधारण कार्य विभागीय एवं अन्य निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :—

वित्तीय वर्ष 2015—16 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 246531.21 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू.169278.03 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	उपलब्धियां	
		वित्तीय	भौतिक हितग्राही
शैक्षणिक योजनाएं —			
1	राज्य छात्रवृत्ति	6938.11	*
2	छात्रावासों का संचालन	6602.07	59273
3	आश्रमों का संचालन	10048.79	73387
4	युवा कैरियर निर्माण योजना	262.37	146
5	निःशुल्क गणवेश प्रदाय	662.63	*
6	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	9514.33	125426
7	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	3502.82	8 नियमित, 135 एकमुश्त तदर्थ अनुदान
8	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	710.50	2076

9	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	1206.33	*
10	मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा	666.92	791
11	छात्र भोजन सहाय योजना	653.98	13593
12	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	37.18	26130
13	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	93.00	700
14	व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	299.62	
15	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	341.06	2 पुरस्कार, 565 देवगुड़ी, 700 लोककला दलों को सहायता, 03 आदिवासी लोक कला महोत्सव
16	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	450.00	*
17	बस्तर विकास प्राधिकरण	246..88	914 कार्य 04 हितग्राही मूलक कार्य
18	सरगुजा विकास प्राधिकरण	2208.01	903 कार्य, 03 हितग्राही मूलक कार्य

टीप :– कॉलम 04 में उल्लेखित * योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होने के फलस्वरूप जानकारी नहीं दी गई है।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :–

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके।

परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्राप्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि	आबंटन राशि	स्वीकृत कार्य
1.	एकीकृत आदिवासी विकास योजना	9593.56	9593.56	1009
2.	माडा पाकेट	368.47	368.47	131
3.	लघु अंचल	34.77	34.77	26
4.	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण	240.61	240.61	183
5.	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी.प्लान)	1809.63	1809.63	316
6.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	11904.21	11904.21	381

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट 5 (अ), (ब), (स), (द), (इ) में संलग्न है।

परियोजनाओं को प्रदत्त आबंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

5.13 उच्च शिक्षा विभाग :–

उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनाओं के संचालन के लिए राशि रू. 13392.70 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध 6644.88 लाख रू. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	4180.00	386.22
2	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	100.00	99.92

3	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	7059.70	5472.32
4	आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय	78.00	66.42
5	सरगुजा में विश्वविद्यालय हेतु	300.00	200.00
6	सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना	350.00	250.00
7	बस्तर विकास विश्वविद्यालय हेतु	525.00	170.00
8	विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनःभुगतान	800.00	0.00
	योग –	**13392.70**	**6444.88**

5.14 जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5.14.1 तकनीकी शिक्षा विभाग :– तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में रूपये 4153.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 1168.91 लाख की राशि व्यय की गई है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	1500.00	0.00
2	वेतन भत्ते इत्यादि (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर,	976.00	748.56

	कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)		
3	विशेष कोचिंग प्रतियोगिताएं (समस्त शास.इंजी.महा. एवं पॉली. संस्थाएं)	12.00	7.81
4	बुक बैंक योजना (समस्त शास.इंजी.महा.)	10.00	4.48
5	मशीन और उपकरण (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	190.00	64.29
6	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #28 मशीन और उपकरण (शास.पॉली., धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, तखतपुर, महासमुंद, जांजगीर–चांपा एवं कन्या पॉली., राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर)	65.00	31.77
7	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #97 निर्माण कार्य (शास.पॉली., कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बस्तर, रामानुजगंज एवं कोण्डागांव)	1400.00	312.00
	योग	**4153.00**	**1168.91**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विभाग/योजना का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (शास. पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	संस्था	14	-
2	वेतन भत्ते इत्यादि (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर,	संस्था	14	13

	नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)			
3	विशेष कोचिंग प्रतियोगिताएं (समस्त शास.इंजी.महा. एवं पॉली. संस्थाएं)	संस्था	3	3
4	बुक बैंक योजना (समस्त शास.इंजी.महा.)	संस्था	3	3
5	मशीन और उपकरण (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	संस्था	14	5
6	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #28 मशीन और उपकरण (शास.पॉली., धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, तखतपुर, महासमुंद, जांजगीर–चांपा एवं कन्या पॉली., राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर)	संस्था	10	7
7	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #97 निर्माण कार्य (शास.पॉली., कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बस्तर, रामानुजगंज एवं कोण्डागांव)	संस्था	9	2

5.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग :– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में रूपये 5737.80 लाख आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 2721.40 लाख व्यय की गई है। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी)	2420.50	1601.76
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी) (सी.ओ.ई.)	126.30	89.88
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी)	940.00	78.84

4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी) (सी.ओ.ई.)	250.00	0.00
5	स्टेट स्किल डेवलपमेन्ट मिशन (सी.ओ.ई.) (LWE)	303.00	61.01
6	स्टेट स्किल डेवलपमेन्ट मिशन (सी.ओ.ई.) (LWE)	650.00	295.91
7	लाइवलीहुड कालेज की स्थापना	272.00	108.08
8	लाइवली हुड कालेज की स्थापना	776.00	485.92
	योग	**5737.80**	**2721.40**

रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी)	46	3072	3072
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी) (सी.ओ.ई.)	5	20	20
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी)	46	46	-
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ (टीएसपी) (सी.ओ.ई.)	5	5	-
5	स्टेट स्किल डेवलपमेन्ट मिशन (सी.ओ.ई.) (LWE)	21	21	7
6	स्टेट स्किल डेवलपमेन्ट मिशन (सी.ओ.ई.) (LWE)	21	21	7
7	लाइवलीहुड कालेज की स्थापना	14	14	-
8	लाइवली हुड कालेज की स्थापना	14	14	-

5.15 पंचायत

पंचायत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिये आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2015–16 में राशि रू. 29333.20 लाख आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रू. 26059.61 लाख राशि व्यय की गई। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अटल समरसता योजना	83.00	83.00
2.	छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास योजना	22800.00	21811.57

3.	भवन निर्माण	500.00	500.00
5	जिला/ग्राम पंचायतों में वैकल्पिक भवन व्यवस्था	380.00	380.00
6	मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	3496.00	1537.79
7	मिनी स्टेडियम	1480.64	1367.60
9	ईटीसी/पीटीसी सशक्तीकरण	380.00	379.65
10	ई–पंचायत	213.56	0.00
	योग	**29333.20**	**26059.61**

5.16 महिला एवं बाल विकास

आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं के लिए वर्ष 2015–16 में विभाग को राशि रू. लाख रूपयें का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू.64576.07 लाख व्यय किये गये। जिसके विरूद्ध राशि रू. 42467.45 लाख रू.व्यय किये गये है। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क.	**योजना का नाम**	**बजट प्रावधान**	**व्यय राशि**	**व्यय का प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	निराश्रित बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान	20.00	0.00	0.00
2	समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुदान	0.00	0.00	0.00
3	ग्रामीण महिलाओं को दिशा दर्शन एवं भ्रमण	50.00	45.39	90.78
5	महिला जागृति शिविर	140.00	93.11	66.51
6	निर्धन युवक– युवतियों के विवाह	400.00	400.00	100.00
7	न्युनतम आवश्कता पोषाहार कार्यक्रम	1748.78	1155.03	66.05
9	अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	10.00	1.02	10.20
10	आ.बा. कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का मानदेय	3420.00	2864.03	83.74
12	आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय	114.00	36.95	32.41
13	नोनी सुरक्षा योजना	2975.00	4.28	0.14
15	आंगनबाड़ीयों का सुधार एवं निर्माण	0.10	0.00	0.00

16	परियोजना कार्यालय सहसंसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00
17	आंगनबाड़ीयों का सुधार एवं निर्माण	990.10	538.91	54.43
18	नारी निकेतन भवन निर्माण	100.00	71.79	71.79
19	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसी घटक	1873.40	49.05	2.62
	योग	**11841.38**	**5259.56**	**44.42**
	केन्द्र प्रवर्तित योजना			
20	आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार कार्यक्रम	18100.00	15323.90	84.66
21	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	20293.33	14109.72	69.53
22	एकीकृत बाल विकास सेवाओं को परिवीक्षण योजना	437.09	256.66	58.72
23	सबला योजना	5700.00	4720.27	82.81
24	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत)	1349.10	530.54	39.33
25	आंगनबाड़ीयों का सुधार एवं निर्माण	0.00	0.00	0.00
26	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	3800.00	272.30	7.17
27	किशोरी शक्ति योजना	55.17	37.26	67.54
	योग	**49734.69**	**35250.65**	**70.88**
27	फुलवारी योजना	3000.00	1957.24	65.24
	योग	**3000.00**	**1957.24**	**65.24**
	महायोग	**64576.07**	**42467.45**	**65.76**

5.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर

उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए है, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेंत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैंः–

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3.	उप–स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

विभाग को वर्ष 2015–16 में राशि रू. 87342.17 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 66472.77 लाख का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा प्रमुख संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	120.33	97.51
2	छततीसगढ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	1300.00	1300.00
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	4738.10	3824.15
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	1938.00	1456.60
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	80.00	0.00
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	4104.00	4104.00
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	69.00	69.00
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	119.64	80.36
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	38720.00	27619.64
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4568.90	4306.80

11	उप स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना	3275.00	3005.45
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	7407.80	7128.04
13	शीत ज्वर	762.40	719.08
14	छत्तीसगढ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	950.00	835.00
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	200.00	0.00
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	400.00	300.00

चिकित्सा शिक्षा :–

वर्ष 2015–16 में चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल राशि रू. 9692.50 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 6573.00 लाख का व्यय किया गया।

क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	155.00	65.37
2	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	2214.30	1935.18
3	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	160.00	87.17
4	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	3357.80	2554.80
5	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	300.00	0.00
6	नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर, अंबिकापुर	601.40	327.62
	योग 41–2210	**6788.50**	**4970.14**
7	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	100.00	0.00
8	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	804.00	736.42
9	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	400.00	366.44
10	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	600.00	500.00
11	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	500.00	0.00
12	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	500.00	0.00
13	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	0.00	0.00
	योग 41–4210	**2904.00**	**1602.86**
	कुलयोग	**9692.50**	**6573.00**

5.18 लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा ''नेट वर्क'' विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाऐं चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेंगी।

वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत संचालित योजनाओं हेतु रूपये 110384.77 लाख आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 62497.26 लाख का राशि व्यय की गई। **प्रमुख योजनाओं की जानकारी** निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	1628.00	724.64
2	वृहद पुलों का निर्माण	11180.00	10868.98
3	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	425.00	418.47
4	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	0.00	0.00
5	राज्यों के राज्य मार्ग	10414.00	10490.74
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	110.00	39.67
7	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	12204.00	6610.87
8	भू–अर्जन मुआवजा भारित	250.00	220.63
9	मुख्य जिला सड़कें	27508.00	10247.86
10	सर्वेक्षण	150.00	50.40
11	सड़क एवं पुलों का निर्माण	0.00	
12	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	14548.00	1285.58
13	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–।।	3300.00	3198.30
14	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	100.00	45.09
15	लोक निर्माण कार्य–भवन	150.00	98.22

16	खनिज प्रशासन	800.00	791.87
17	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	110.00	107.05
18	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	2000.00	1999.13
19	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	35.00	24.68
20	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	20.00	18.56
21	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	2200.00	2170.43
22	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	725.00	260.71
23	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	85.00	0.00
24	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	300.00	297.12
25	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	300.00	174.46
26	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति.के.सहा.)	10.00	18.67
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	545.00	221.18
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	10.00	0.00
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	220.00	162.33
30	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	0.00	0.00
31	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	100.00	88.29
32	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	10.00	0.76
33	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य काएकीकरण	100.00	99.28
34	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	4600.00	4598.46
35	पुलिस प्रशासन	1200.00	1150.08
36	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	100.00	76.58
37	न्याय प्रशासन	0.00	0.00
38	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	100.00	69.10

39	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	50.00	49.42
40	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	0.00	0.00
41	छात्रावास तथा आश्रम भवन	50.00	16.34
42	शिक्षक आवासगृह	10.00	9.85
43	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00
44	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	10.00	2.43
45	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	3500.00	3144.40
46	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	2583.77	2573.09
47	रोजगार कार्यालय	75.00	65.54
48	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	10.00	8.00

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**योजना का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**उपलब्धि**		**अनु.जा. लाभान्वित (लाखों में)**
1	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	संख्या	5	0	3	1.05
2	वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	165	28	96	15.75
3	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	संख्या	1	1	0	0.61
4	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.00
5	राज्यों के राज्य मार्ग	संख्या	22	5	5	15.20
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	संख्या	2	0	1	0.06
7	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	संख्या	63	5	23	9.58
8	भू-अर्जन मुआवजा भारित	संख्या	0	0	0	0.32
9	मुख्य जिला सड़कें	संख्या	56	2	14	14.85

10	सर्वेक्षण	संख्या	0	0	0	0.07
11	सड़क एवं पुलों का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.00
12	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	संख्या	53	3	16	1.86
13	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–।।	संख्या	3	0	2	4.64
14	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	1	1	0	0.07
15	लोक निर्माण कार्य–भवन	संख्या	3	2	1	0.14
16	खनिज प्रशासन	संख्या	2	1	1	1.15
17	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	3	1	2	0.16
18	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	5	1	4	2.90
19	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	संख्या	2	2	0	0.04
20	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	3	1	2	0.03
21	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	संख्या	41	3	28	3.15
22	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	संख्या	13	1	3	0.38
23	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	संख्या	4	0	0	0.00
24	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	संख्या	1	0	1	0.43
25	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	संख्या	40	14	3	0.25

26	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति.के.सहा.)	संख्या	0	0	0	0.03
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	संख्या	16	5	5	0.32
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	0	0	0	0.00
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	10	5	2	0.24
30	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	संख्या	0	0	0	0.00
31	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	संख्या	2	1	0	0.13
32	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	संख्या	0	0	0	0.00
33	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य काएकीकरण	संख्या	1	0	1	0.14
34	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	संख्या	4	0	2	6.66
35	पुलिस प्रशासन	संख्या	1	0	1	1.67
36	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	संख्या	4	3	1	0.11
37	न्याय प्रशासन	संख्या	1	0	0	0.00
38	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	संख्या	1	0	1	0.10
39	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	0	0	0	0.07
40	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	संख्या	0	0	0	0.00

41	छात्रावास तथा आश्रम भवन	संख्या	1	0	0	0.02
42	शिक्षक आवासगृह	संख्या	0	0	0	0.01
43	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	संख्या	0	0	0	0.00
44	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	संख्या	6	1	1	0.00
45	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	संख्या	62	29	28	4.56
46	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	संख्या	63	19	32	3.73
47	रोजगार कार्यालय	संख्या	2	1	1	0.09
48	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	संख्या	2	0	1	0.01

❋❋❋❋❋

अध्याय – 6

विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

6.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख है। वर्ष 2005–06 के सर्वेक्षण आधार पर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की ग्राम संख्या, परिवार संख्या एवं कुल जनसंख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	कमार	गरियाबंद	217	3350	14386
		धमतरी	126	1454	5740
		महासमुंद	73	671	2898
		कांकेर	13	67	264
	योग		**429**	**5542**	**23288**
2	बैगा	कबीरधाम	268	7890	36123
		बिलासपुर	52	2256	9691
		कोरिया	127	4279	16811
		राजनांदगांव	35	975	3495
		मुंगेली	40	1275	5742
	योग		**522**	**16675**	**71862**
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	140	2374	9509
		जशपुर	97	3097	13011
		कोरबा	33	610	2397
		बलरामपुर	134	2986	12555
	योग		**404**	**9067**	**37472**
4	बिरहोर	रायगढ़	28	243	959
		जशपुर	14	118	414
		बिलासपुर	6	86	367
		कोरबा	34	353	1294
	योग		**82**	**800**	**3034**

5	अबूझामाड़िया	नारायणपुर	201	3895	19401
		दंतेवाड़ा	8		
		बीजापुर	41		
	योग		**201**	**3895**	**19401**
	कुल योग		**1638**	**35979**	**155057**

उपरोक्तानुसार नवीन जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पाये जाने के फलस्वरूप पूर्व से गठित अभिकरणों का पुर्नगठन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठो का गठन किया गया है।

6.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

6.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है।

6.4 नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष. 2015–16 में भी योजनाएं संचालित की गयी। प्रत्येक अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्रदत्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद अंतर्गत प्रदत्त आबंटन एवं व्यय का विवरण :-

(राशि लाखों में)

क्र.	अभिकरण	प्रदत्त आवंटन	व्यय
1	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर	226.17	226.17
2	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर	117.29	117.29
3	बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली	66.96	66.96
4	बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव	40.60	40.60
5	बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैकुण्ठपुर	196.19	196.19
6	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा	44.37	44.37
7	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा	450.99	450.99
8	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर	110.87	110.87
9	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर	157.07	157.07
10	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर	146.67	146.67
11	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, धरमजयगढ़	10.74	10.74
12	कमार विकास अभिकरण, गरियाबन्द	171.83	171.83
13	कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी	64.71	64.71
14	कमार विकास प्रकोष्ठ, भानुप्रतापपुर	3.05	3.05
15	कमार विकास प्रकोष्ठ, महासमुंद	32.12	32.12
	योग –	**1809.63**	**1809.63**

6.5 इन अभिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-.

1. उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशुपालन, मत्स्य पालन,बाडी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, कौशल उन्नयन, वन ग्रामों का विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं आवास कुटीर निर्माण करना।
2. विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भूमि क्रय कर उपलब्ध कराना।
3. तालाब निर्माण संस्थाओं की मरम्मत, शैक्षणिक संस्थाओं, गोदामों का निर्माण, विस्तार हैण्डपम्प, विद्युतीकरण, पुल-पुलिया, रपटा, मार्ग निर्माण आदि कार्य।

6.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

6.6.1 **पंडो विकास अभिकरण :–** सूरजपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वागीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय सूरजपुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2015–16 में इसके लिए रू.50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना में रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए गए।

6.6.2 **भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :–** राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुन्द जिलों के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डो में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2015–16 में इसके लिए रू 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना मद रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

6.7 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरवा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है।
2. पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में एक कन्या शिक्षा परिसर संचालित किया जा रहा हैं।

6.8 विशेष पिछड़ी जनजाति के समेकित विकास हेतु मुख्य मंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का कियान्वयन।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु राज्य में 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास
2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता

3. विद्युत विहीन ग्रामों का विघुतीकरण

4. स्वास्थ्य परीक्षण

5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना

6. 0–6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिये पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना।

7. कौशल उन्नयन

8. सामाजिक सुरक्षा

9. वन अधिकार पत्रों का वितरण

10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय

11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियों तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय।

छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा राज्य की पांच जनजातियों तथा राज्य शासन द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। वर्ष 2005–06 के बेसलाईन सर्वेक्षण के अनुसार जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पी.वी.टी.जी. का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	कमार	गरियाबंद ,धमतरी,महासमुंद, कांकेर	429	5542	23288
2	बैगा	कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, राजनांदगांव, मुंगेली	522	16675	71862
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर	404	9067	37472
4	बिरहोर	रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा	82	800	3034
5	अबूझमाड़िया	नारायणपुर , दंतेवाड़ा, बीजापुर	201	3895	19401
6	पण्डो	सूरजपूर, बलरामपूर, सरगुजा	363	6746	31814
7	भुंजिया	गरियाबंद, धमतरी	106	1606	7199
		कुल	**2107**	**44331**	**194070**

उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु घोषित मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार कार्ययोजना निम्नानुसार है :–

सूत्र 01– आवासहीन परिवारों के लिए आवास

- आवास हीन परिवारों की संख्या – 9105

- प्रति इकाई आवास की लागत – 1.00 लाख
- कुल लागत राशि – 9105.00 लाख
- लाभन्वित परिवार – 9105
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 2 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आ. जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग

सूत्र 02–पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता

पेयजल विहीन ग्रामों की संख्या – 175

- प्रति हैण्डपम्प की लागत – 1.00 लाख
- प्रति ग्राम 02 के मान से हैण्ड पम्पों की संख्या – 350
- हैण्डपम्प स्थापना की कुल लागत – 350.00 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 1 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग

सूत्र 03–विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण

- विद्युत विहीन ग्रामों की संख्या – 763
- प्रति ग्राम विद्युतीकरण की लागत – 5.00 लाख (अनुमानित)
- कुल लागत – 3815.00 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 2 वर्ष
- कियान्वयन एजेंसी – ऊर्जा विभाग

सूत्र 04– स्वास्थ्य परीक्षण

- सिकलसेल एनीमिया परीक्षण
- लाभन्वित जनसंख्या – 1,94,070
- हेल्थ कार्ड /स्मार्ट कार्ड
- लाभान्वित जनसंख्या – 1,94,070

- प्रति व्यक्ति लागत – 15 रू. (सिकलसेल एनीमिया परीक्षण हेतु)
- कुल लागत – 29.11 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 1 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सूत्र 05– खाद्य सुरक्षा प्रदान करना

- प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराना
- लाभान्वित परिवार – 44,331
- कव्हरेंज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 1 वर्ष
- कियान्वयन एजेंसी – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

सूत्र 06 0–6 वर्ष आयु के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना

- 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या– 41500
- प्रति इकाई पोषण आहार की लागत – 20/– रू.(प्रतिदिन)
- कुल लागत – 3029.50 लाख
- समय सीमा – 1 वर्ष
- नवीन फुलवारी केन्द्रों की स्थापना – 300 केन्द्र
- समय–सीमा – 2 वर्ष
- कियान्वयन एजेंसी – आ.जा.तथा अनु.जा.वि. विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग

सूत्र 07–कौशल उन्नयन

- प्रति परिवार – एक व्यक्ति
- कुल लाभान्वित परिवार – 44331
- प्रति ईकाई लागत – 0.35 लाख
- कुल लागत – 15515.85 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 3 वर्ष

- क्रियान्वयन एजेंसी – जनशक्ति नियोजन एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,कृषि एवं पशुपालन विभाग

सूत्र 08 –सामाजिक सुरक्षा

- लाभान्वित परिवार – 44,331
- प्रति ईकाई व्यय – 0.05 लाख
- कुल व्यय – 2216.55 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 1 वर्ष
- कियान्वयन एजेंसी – समाज कल्याण विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

सूत्र 09– वन अधिकार पत्र का वितरण

- प्रत्येक पात्र हितग्राही को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण
- प्रत्येक ग्राम में समुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण
- कुल लाभन्वितों की संख्या – 1.94 लाख (अनुमानित)
- लाभान्वित ग्रामों की संख्या – 2107
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 1 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – वन विभाग, राजस्व विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

सूत्र 10–जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण

- प्रत्येक पी.वी.टी.जी.सदस्य को जाति एवं निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना
- लाभान्वित संख्या – 150000 (अनुमानित)
- प्रति ईकाई लागत – 200 /– रू (अनुमानित)
- कुल लागत – 3.00 करोड़
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत

- समय सीमा – 2 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – राजस्व विभाग

सूत्र 11–सूचना जागरूकता हेतु रेडिया तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय

- प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. परिवार को रेडियो(01 नग), छाता(01 नग) एवं कम्बल (02 नग) उपलब्ध कराना

- लाभान्वित परिवार संख्या – 44331
- प्रति ईकाई लागत – 2120/–रू (अनुमानित)
- कुल लागत – 939.82 लाख
- कव्हरेज – 100 प्रतिशत
- समय सीमा – 2 वर्ष
- क्रियान्वयन एजेंसी – वन विभाग (कैम्पाफण्ड), आ.जा.तथा अनु.जा.वि. विभाग

11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों की बैठक शासन स्तर पर आयोजित कर संबंधित सूत्रों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों से अवगत कराया गया ताकि लक्ष्य की पूर्ति समय–सीमा में सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही है।

मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	सूत्र का नाम	इकाई लागत	लाभान्वित परिवारों की संख्या/ जनसंख्या	संभावित लागत
1	आवासहीन परिवारों के लिए आवास	1.00	9105 (परिवार)	9105.00
2	पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता	1.00	175 X 2 ग्राम = 350 हैण्डपंप	350.00
3	विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतिकरण	5.00	763 ग्राम	3815.00
4	स्वास्थ्य परीक्षण (सिकलसेल एनीमिया)	0.00015	194070 जनसंख्या	29.11

5	खाद्य सुरक्षा प्रदान करना	-	44331 परिवार संख्या	-
6	0–6 वर्ष आयु के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय	0.00020 प्रतिदिन	41500 बच्चे	3029.50
7	कौशल उन्नयन	0.35	44331 परिवार	15515.85
8	सामाजिक सुरक्षा	0.05	44331 परिवार	2216.55
9	वन अधिकार पत्र का वितरण	-	2107 ग्राम	-
10	जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण	0.002	150000	300.00
11	सूचना जागरूकता हेतु रेडियों दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय	0.02120	44331	939.82
	कुल योग			**35300.83**

उपरोक्त 11 सूत्रीय कार्यक्रमो में से कुछ सूत्र जैसे – जाति, निवास प्रमाण पत्र का प्रदाय, पोषण आहार का प्रदाय, कौशल उन्नयन हेतु योजनाऐं संचालित की जा रही है तथा वर्ष 2015–16 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा किये जा रहे नवीन बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या एवं परिवार संख्या में परिवर्तन/वृद्धि संभावित है।

❋❋❋❋❋

<u>अध्याय – 7</u>

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

–– 00 ––

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है, तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 दिनांक 06.09.2012 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के कियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के कियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क./987/25– 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1.	मुख्य सचिव,छ.ग. शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व विभाग	–	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	–	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य

7. जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य
(माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत) – सदस्य

8 आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. – सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 15147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाकर 14871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग से समन्वय करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पात्रता रखने वाले 346200 अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 16396 अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदकों को 318514.206 हेक्टेयर, वनभूमि के व्यक्तिगत अधिकार पत्रों तथा 10863 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

❋❋❋❋❋

परिशिष्ट 1– (अ)

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़

(1) सरगुजा जिला

(2) कोरिया जिला

(3) बस्तर जिला

(4) दन्तेवाड़ा जिला

(5) कांकेर जिला

(6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला–1, गौरेला–2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

(7) कोरबा जिला

(8) जशपुर जिला

(9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।

(10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड

(11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड

(12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड

(13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

परिशिष्ट – 1 (ब)

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1 – जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2 – कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3 – नारायणपुर		
4	कांकेर	4 – भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5 – दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6 – कोन्टा		
7	बीजापुर	7 – बीजापुर		
8	गरियाबंद	8 – गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1 –बलौदा बाजार	1 – धुरीबांधा
10	धमतरी	9 – नगरी	2 – गंगरेल	
11	महासमुन्द		3 – महासमुन्द –1	
			4 – महासमुन्द –2	
12	बालोद	10 – डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11 – राजनांदगांव	5 – नचनियां	2 – बछेराभाटा
14	कवर्धा		6 – कवर्धा	
15	सरगुजा	12 – अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13 – सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14 –पाल (रामानुजगंज)		
18	कोरिया	15 – बैकुण्ठपुर		

19	कोरबा	16 — कोरबा		
20	बिलासपुर	17 — गौरेला		
21	जांजगीर—चांपा		7 — रूगजा	
22	रायगढ़	18 — धरमजयगढ़	8 — सारंगढ़	
			9 —गोपालपुर	
23	जशपुर	19 — जशपुरनगर		

छत्तीसगढ़ – उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(अ) छत्तीसगढ़ (जनगणना 2011)

1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी.
2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	255.45 लाख
3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख
4.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	30.62 प्रतिशत

(ब) आदिवासी उपयोजना :–(जनगणना 2011)

1.	आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
2.	आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
3.	कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	115.61 लाख
5.	उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	45.26 प्रतिशत
6.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का उपयोजना क्षेत्र की अनु.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	56.09 प्रतिशत
7.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	102.79 लाख
7.1	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	57.09 प्रतिशत
7.2	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	75.02 प्रतिशत
7.3	उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	90.50 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 17–12–2015 का कार्यवाही विवरण

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, जनजाति सलाहकार परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 17–12–2015 को अपरान्ह 3.00 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय स्थित मुख्य समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट **एक** एवं **दो** में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा कमांक एक :

दिनांक 08 जून, 2015 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :

सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 08–06–2015 का कार्यवाही विवरण जारी कर समस्त सदस्यों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया था। उक्त कार्यवाही विवरण की पुष्टि किया जाना प्रस्तावित है। परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा कमांक दो :

दिनांक 08जून, 2015 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

(2.1) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.1

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के जारी होने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में अनुभव की जा रही कठिनाईयों का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयों नियमों से संबंधित न हो कर नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतीत होती है अतः इनका निराकरण भी सभी जिलों में वीडियों कान्फ्रेसिग के माध्यम से कर लिया जावे तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की

जिम्मेदारी सभी कलेक्टरों को दी जाय तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ताकि सरलता से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

इस संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कलेक्टर को निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई कठिनाई आ रही है, तो उनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिया जावे। इस संबंध में शाला प्रवेश उत्सव के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाय। उक्त के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–7/2015/आ.प्र./1–3 दिनांक 10.06.2015 द्वारा शासन के समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–09–2015 को जगदलपुर में लिये गये निर्णय अनुसार कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी शाला छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

निर्णय– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय। स्कूल शिक्षा विभाग आगामी बैठक के पूर्व प्रगति से अवगत कराये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग)

(2.2) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.2)

राज्य सरकार द्वारा जिन जनजातियों को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया है, के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय को छत्तीसगढ़ में आकर बैठक आहूत करने हेतु आमंत्रित किया जावे।

इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को माननीय विभागीय मंत्रीजी, के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 12–08–2014 के द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ रायपुर छ.ग. आने हेतु अनुरोध किया गया है। तथा मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा भी मान. मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को टास्कफोर्स समिति की बैठक रायपुर में आयोजित करने हेतु दिनाक 08.05.2015 को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के नेतृत्व में माननीय मंत्री, भारत सरकार तथा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय से भेंट कर तत्काल निराकरण कराने की दिशा में पहल करें। इस प्रतिनिधि मण्डल में राज्य के माननीय सांसद भी सम्मिलित रहेंगे।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भारत सरकार, जनजातीय कार्यमंत्रालय को लिखे पत्र के संदर्भ में माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 12–06–2015 द्वारा राज्य शासन को सूचित किया गया है कि राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है तथा प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। राज्य में पृथक से टास्क फोर्स समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 09–09–2015 को माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से भेंट कर राज्य की स्थिति से अवगत कराया गया तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का निवेदन किया गया।

निर्णय– परिषद द्वारा चर्चा उपरांत कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.3) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.3)

परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि विकासखण्ड कुसमी, राजपुर तथा रायपुर के कुछ ग्राम, यथा, भराजी, महंगई, दुधव आदि न तो वन ग्रामों की सूची में सम्मिलित है और न ही राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि उक्त संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे कुछ ग्रामों को चिन्हांकित कर उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की जानकारी परिषद् को दी गई तथा परिषद् को अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 23–7–2013 को समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करने हेतु सर्वेक्षण किया जावे तथा जानकारी एक माह के अंदर भिजवाई जावे। परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए। परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सर्वेक्षण में ऐसे ग्रामों को पहले शामिल किया जा सकता है, जो मुख्य सड़कों के किनारे स्थित है।

इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 813 ग्रामों के सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया है, तथा इस कार्य में 04 माह का समय लग सकता है जिसमें अबुझमाड़ के 237 ग्राम भी सम्मिलित हैं।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं परिषद् अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही उक्त सर्वे कार्य समय–सीमा में करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के संबधं में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर बलरामपुर की अधिसूचना क्रमांक 234/वाचक/2013, दिनांक 25.01.2014 के माध्यम से ग्राम मंहगई, उधवाकठरा तथा सेमराकठरा को वनग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि–

(अ) ग्राम भराजी के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

(ब) प्रदेश के 813 ग्रामों की सर्वे की अद्यतन प्रगति से आगामी बैठक के पूर्व अवगत कराया जाये।

(स) सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(2.4) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.7)

बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटाकर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी मॉगी जावे। परिषद् को अवगत कराया गया था कि माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है । भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा अपने–अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागांव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तद्नुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

मान. केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08—10—2014 द्वारा माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलना संभव प्रतीत नहीं होने से अवगत कराया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुर्नविचार हेतु लिखा जाए।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को छ.ग.राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पत्र क्रमांक एफ 16—9/2013/38—2 दिनांक 17—12—2015 द्वारा लेख किया गया है।

निर्णय— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग का सृजन किया जाय।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग)

(2.5) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.10)

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र के नगरीय निकायों के मेयर/अध्यक्ष के पद के चुनाव में आरक्षण संबंधी विषय पर भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए MESA Act बनाने की कार्यवाही की प्रतीक्षा की जावे। इस विषय पर परिषद् को अवगत कराया गया था कि उक्त एक्ट अभी तक पारित नहीं हुआ है। परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि विषय पर चर्चा एवं निर्णय एक्ट के पारित होने तक स्थगित रखा जावे, परंतु उक्त संबंध में शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया जावे।

नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए MESA Act बनाने के संबंध में सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अतः पुनः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा जाये।

प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि पत्र दिनांक 24–07–2015 द्वारा सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

निर्णय– परिषद द्वारा चर्चा उपरांत कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.6) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.11)

समस्त वन अधिकार पत्रों के वितरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2014 निर्धारित की जावे तथा वन अधिकार पत्र जारी करने तथा वितरण की स्थिति संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा पब्लिक डोमेन में डाली जावे तथा इसे प्रकाशित कराकर ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराया जावे। उक्त के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को उक्त जानकारी विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के निर्देश दिये जा चुकें है। जिला सूरजपुर में 355 तथा महासमुन्द में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष है। अन्य जिलों में अनुमोदित समस्त व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि लंबित वन अधिकार पत्रों का वितरण यथाशीघ्र किया जाए।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि जिला सूरजपुर में 355 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष था, जिसमें से सभी पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है तथा जिला महासमुंद में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र पुनर्विचार में होने के कारण वितरण शेष था जिसमें से पुनर्विचार पश्चात 275 वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है तथा 98 आवेदन पत्र निरस्त एवं 62 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है।

निर्णय– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार की प्रकरणवार जानकारी विभागीय वेब–साईट पर तीन माह की अवधि में दर्शाने की कार्यवाही की जाये।

**(कार्यवाही आयुक्त,आ.जा.तथा अनु.जा.विकास/
समस्त कलेक्टर (दुर्ग,रायपुर एवं बेमेतरा छोड़कर)/
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र रायपुर)**

(2.7) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.12)

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि लाख, महुआ बीज, चिरौंजी, ईमली, कोसा को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित करने संबंधी जारी अधिसूचना की प्रतियॉ जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जावे। वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिसूचना की प्रतियॉ राजपत्र दिनांक 07. 03.2014 को प्रकाशित कर दिया गया है तथा जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि संग्रहित ईमली का मूल्य संवर्धन (value addition) कर विक्रय किया जाए, इससे समिति को अधिक लाभ होगा तथा इसका लाभ संग्रहणकर्ताओं को भी प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु एस.आर.एल.एम. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कि वर्ष 2014 से राज्य में भारत सरकार का समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 07 लघु वनोपजों का संग्रहण/क्रय किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार से 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 25 प्रतिशत राशि प्राप्त हो रही है। अब तक इस हेतु रूपये 179.05 करोड़ का आबंटन प्राप्त हो चुका है। योजना के कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नोडल विभाग है। लघु वनोपजों के क्रय की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ कियान्वयन एजेन्सी है।

वनोपज का नाम	समर्थन मूल्य	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	पारिश्रमिक (करोड़ में)
सालबीज 2014	रू.10	125676.05	12.57
सालबीज 2015	रू.10	102240.16	10.22
हर्रा	रू.11	34127.44	3.75
इमली	रू. 22	36187.53	7.96
महुआ बीज	रू. 22	2166.29	0.48
चिरौंजी गुठली	रू.100	5476.99	5.48
रंगीनी लाख	रू.230	1238.24	2.85
कुसुमी लाख	रू.320	1416.52	4.53
योग	—	—	**48.12**

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुरूप योजना का लाभ लेने वाले राज्यों के लिए यह शर्त अधिरोपित किया गया था कि जिन वनोपजों के समर्थन मूल्य घोषित हैं उन्हें राज्य सरकार गैर अधिसूचित वनोपज घोषित करे। अतः उक्त शर्त के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सालबी, हर्रा, चिरौंजी गुठली, इमली, महुआ बीज, कोसा कोकून एवं लाख, जो पूर्व में अधिसूचित वनोपज घोषित थे, को गैर अधिसूचित वनोपज घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय योजना के तहत लघु वनोपजों के क्रय की कार्यवाही प्रगति पर है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (जिला पंचायत) को जनजाति क्षेत्रों में ईमली के मूल्य संवर्धन एवं विपणन हेतु स्व–सहायता के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन की कार्यवाही करने हेतु जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त संबंध में जिला कोण्डागांव के माकड़ी विकास खंड में लगभग 80 स्व–सहायता समूहों के द्वारा ईमली के मूल्य संवर्धन हेतु कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 120 से 150 रू. प्रतिदिन अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। शेष जिलों में कार्यवाही प्रचलन में है।

निर्णय–परिषद द्वारा निर्णय लिया गया किः–

(अ) संग्राहकों का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जाय।

(ब) संग्रहित वनोपज का विक्रय ऑन लाईन ट्रेडिंग के माध्यम से भी करने के प्रयास किये जाये।

(स) इमली के मूल्य संवर्धन एवं वितरण हेतु क्षमतावर्धन करने हेतु प्रशिक्षण का कार्य छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाय।

(कार्यवाही वन विभाग)

(2.8) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.14)

छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होम गार्ड के लिए आई.ए.पी. मद से अनुमानित 2 लाख रूपये तक के आवास बनाने का कार्य किया जावे। इस हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 02–07–2014 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को जिले में संचालित कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों के लिये आवास निर्माण हेतु मानक इकाई लागत राशि रूपये 2.30 लाख के आधार

पर प्राधिकरण मद, बी.आर.जी.एफ, आई.ए.पी. आदि मद से राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों से जानकारी प्राप्त की जाये कि कितने आवास गृह निर्मित कराये गये हैं ।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य में संचालित 1242 कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा हेतु महिला नगर सैनिक तैनात किये गये हैं। छात्रावास/आश्रमों में ही महिला नगर सैनिकों के आवास हेतु अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा IAP मद से कबीरधाम जिले में 21 आवासगृह स्वीकृत किए गए हैं तथा अपूर्ण हैं।

निर्णय – परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास आश्रमों में सुरक्षा हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों हेतु आवास की व्यवस्था की जावे। यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत भी स्वीकृत किया जाय।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग)

(2.9) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.16)

राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में यहॉ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह जनगणना निदेशालय से किया गया है। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अन्वेषण/अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अध्ययन हेतु रूपये 10.00 लाख की मांग की गई है। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा तद्नुसार सहमति दी गई।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास के पत्र दिनांक 20–11–2015 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु रूपये 10.00 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है।

निर्णय– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की जावे।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग/उच्च शिक्षा विभाग)

(2.10) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.22)

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीवविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया था। बीजापुर में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया था तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मॉग की गई थी। आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है। जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की ईच्छानुसार गणित अथवा जीव– विज्ञान विषय में अध्ययन एवं कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।

परिषद को अवगत कराया गया कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः परीक्षण कर सीमाओं का पुनः निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सीमाओं का पुनः निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि कि बीजापुर वन मंडल अंतर्गत रकबा 43.956 हेक्टेयर में एयर स्ट्रिप निर्माण का पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, वन मंत्रालय को भेजी जावेगी। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति हेतु प्रकरण शीघ्र भारत सरकार को भेजा जावे।

इस सबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन का वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण राज्य शासन के पत्र दिनांक 30–05–2015 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। तथा इंद्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्य जीव बोर्ड की अनुमति हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र दिनांक 13–07–2015 द्वारा भेजा गया है। उक्त दोनों प्रकरण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

निर्णय— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सम्पर्क कर उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन विभाग विशेष प्रयास करे। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं संभाग आयुक्त बस्तर मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही वन विभाग / लोक निर्माण विभाग / संभाग आयुक्त बस्तर)

(2.11) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.1)

माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग द्वारा नक्सल पीड़ित परिवार के एक आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गये हैं। जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। **चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाए।**

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि गृह विभाग के पत्र दिनांक 06—10—2015 द्वारा अवगत करया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तथा नक्सल पीड़ित परिवार के 01 आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने के संबंध में कुल 176 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 112 प्रकरणों में नौकरी दी गई है। शेष 64 प्रकरण लंबित हैं।

निर्णय— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से भी निर्देश प्रसारित किया जाय।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

(2.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.2)

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी होने में आ रही कठिनाईयों से परिषद को अवगत कराया गया। किसी किसी अनुभाग में जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वांछित सभी अभिलेख मांगे जा रहे है, जबकि केवल एक ही दस्तावेज पर्याप्त है।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जारी निर्देश दिनांक 24.09.2013 अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध ना हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को भी साक्ष्य माना जा सकता है। इसका पालन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है।

वर्तमान में छोटे–छोटे ग्राम अब नगर पंचायत के रूप में परिवर्तित हो गये है। अतः नगर पंचायत के उन निवासियों को जिनके पास कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई आ रही है। अतः निर्देश दिनांक 24.09.2013 में ग्राम सभा के साथ–साथ नगर पंचायत/नगर पालिका के पारित संकल्प को भी साक्ष्य मानने पर विचार किया जाए। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग पुनः जारी निर्देश दिनांक 24.09.2013 का पालन करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को लिखे तथा ग्राम सभा के साथ नगर पंचायत/नगर पालिका के पारित संकल्प को भी मान्य करने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि नगरीय प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 9189/7136/2010/18 दिनांक 14.12.2015 के द्वारा समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिये गये है।

निर्णय – परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.13) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.3)

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग में अनेक आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाये। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक के पूर्व स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1)मान.कमिश्नर न्यायालय से पुनरीक्षण आदेशोपरांत प्राप्त कुल प्रकरण संख्या–77

2)मा.न्यायालय राजस्व मण्डल छ.ग.सर्किट कोर्ट जगदलपुर की ओर सुनवाई पूर्व मांग अनुसार प्रेषित प्रकरण –27

3)कलेक्टर न्यायालय से पुनरीक्षण की कार्यवाही में कुल निर्णित प्रकरण संख्या–50

<u>**कुल प्रकरण संख्या –77**</u>

1)अंतिम आदेश पश्चात आदिवासी पक्ष को कब्जा सौंपा गया–23

2)अंतिम आदेशानुसार निरस्त किये गये प्रकरण (भूमि आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी पक्ष को अनुमति पश्चात अंतरित न होने की स्थिति में –03

3)अनुविभाग स्तर पर कब्जा सौंपने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण संख्या –07

4)मान.उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन पर कार्यवाही स्थगित प्रकरण संख्या –17

कुल प्रकरण संख्या–50

जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव अंतर्गत कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

निर्णय– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किये जाये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(2.14) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.4)

परिषद के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ जिलों में अन्य परम्परागत वन निवासियों को जो 75 वर्षो से अधिक समय से निवास कर रहें है, उन्हें वन अधिकार पत्रों का वितरण नहीं हो रहा है। निर्णय लिया गया कि कलेक्टरों को पुनः लिखा जाये, साथ ही माननीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि विगत 5 वर्षो में अन्य परम्परागत वन निवासियों को वितरित वन अधिकारी पत्रों की जानकारी भी प्रस्तुत की जाये।

इस संबंध में सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि अन्य परंपरागत वन निवासी वर्ग के हितग्राहियों को जो 75 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं, के पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र वितरण हेतु जिला कलेक्टरों को

निर्देश दिए गए हैं तथा इस वर्ग के हितग्राहियों को अब तक 14408 वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है।

निर्णय– परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.15) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.5)

माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं परिषद् अध्यक्ष को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, को रूपये 12.00 लाख तक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, जो आज के समय के मान से बहुत कम है, क्योकि इन्हें छोटे–छोटे पुल पुलिया, तालाब निर्माण आदि का कार्य कराना होता है, ऐसी स्थिति में कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रूपये 20.00 लाख तक व्यय करने के वित्तीय अधिकार दिये जायें। इसी तरह सूदुर अंचलों में सामग्री परिवहन में अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे प्रचलित एस.ओ.आर. में कार्य कराना संभव नहीं होता है। अतः प्रस्तावित किया गया कि सूदुर अंचलों के लिए पृथक एस.ओ.आर. तैयार करने पर विचार किया जाये।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि इस दिशा में समुचित कार्यवाही कर आगामी बैठक हेतु अवगत कराया जाये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आदेश क्रमांक 4682 दिनांक 06–07–2015 द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकार की सीमा रूपये 12.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 20.00 लाख तक किया गया है। तथा पंचायत एवं ग्रामीण सेवा हेतु दिनांक 01–06–2015 से लागू दर अनुसूचि में सामग्री परिवहन हेतु सामग्री परिवहन के चेप्टर 0.1.03 में सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवहन दूरी का निर्धारण करते हुए परिवहन की दरें लागू की गई है।

निर्णय – परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.16) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.6)

माननीय सांसद श्री दिनेश कश्यप द्वारा एनएमडीसी द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में क्षेत्रीय/स्थानीय निवासियों की उपेक्षा का मामला उठाया गया।

परिषद के माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि उनकी ओर से पत्र एनएमडीसी को लिखा जाये।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि उक्त निर्णय के परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, एनएमडीसी लिमिटेड को लेख किया गया है।

एन एम डी सी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एन एम डी सी की बचेली एवं किरन्दुल इकाईयों द्वारा तृतीय व चतुर्थ वर्ग में विगत तीन वर्षो में कुल 309 नियुक्तियां की गई है जिसमें 207 कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के तथा इनमें से 137 कर्मचारी दंतेवाड़ा जिले के निवासी हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण की विगत बैठक के बाद दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप 14 अक्टूबर 2015 में ली गई लिखित परीक्षा में कुल 65 नियुक्तियों में 47 कर्मचारी स्थानीय आदिवासी चयनित हैं तथा अन्य 18 भी स्थानीय निवासी हैं। एन एम डी सी द्वारा ग्रुप 'डी' की ली जा रही परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्नों का संकलन बस्तर की भौगोलिक/ सामाजिक/ राजनीतिक/ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिदृश्य पर आधारित रखा जा रहा है। साक्षात्कार परीक्षा में गोंडी/ हल्बी भाषा के विशेषज्ञों एवं राज्य शासन के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। परीक्षा केन्द्रों को बस्तर संभाग में ही रखा जाता है।

निर्णय– परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.17) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.7)

माननीय सांसद श्री विक्रम उसेंडी द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर स्थित सूखे पेड़ों के काटने की अनुमति प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराया गया।

निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में इमारती एवं अन्य वृक्षों की कटाई हेतु छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–240 उपं 241 में प्रावधान है। गत वर्षो में अनुसूचित क्षेत्रों में यह अनुभव रहा है कि अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खाते पर स्थित इमारती लकड़ी की कटाई बिचौलिया द्वारा की जाकर भारी पैमाने में अनुसूचित जनजाति के कृषकों का शोषण किया गया है।

अतः अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि पर स्थित इमारती वृक्षों की कटाई का नियमन छत्तीस्रगढ़ आदिम जनजातियां का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 द्वारा किया जाकर अनुसूचित जनजाति के कृषकों का हित संरक्षित किया जा रहा हे।

अतः विभाग प्रचलित प्रक्रिया में किसी भी तरह के संशोधन किये जाने पर सहमत नहीं है।

निर्णय– **परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि कृषकों के खेतों में खड़े सूखे एवं मृत वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये।**

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(2.18) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.8)

माननीय सांसद श्री दिनेश कश्यप द्वारा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रहे अवैध लौह अयस्क उत्खनन तथा खनिज अमला द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व खनिज विभाग की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये। साथ ही माननीय अध्यक्ष द्वारा दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि खनिज विभाग द्वारा उक्त बिन्दु के परिपालन में पत्र दिनांक 08–06–2015 अनुसार श्री बी के शोरी, खनि अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को खनिज लौह अयस्क का अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु नियमानुसार समुचित कार्यवाही न कर दायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा एवं लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया। तदुपरान्त संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर के माध्यम से प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय उड़नदस्ता एवं उड़नदस्ता दल द्वारा जांच की गई जिसमें पत्र दिनांक 06–08–2015 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री शोरी के विरूद्व आरोपित तथ्य समुचित रूप से प्रमाणित नहीं होने पाये जाने के कारण बहाल किया गया। तथापि श्री शोरी को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से जिला मुंगेली में स्थानांतरण किया गया है।

निर्णय– **परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।**

(2.19) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.9)

माननीय सांसद श्री विक्रम उसेंडी द्वारा अवगत कराया गया कि कोड़ेकसा जिला बालोद में 149 हेक्ट. भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई द्वारा अधिग्रहित किया गया है, पर इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिन कृषकों की जमीन अधिगृहित की गई है, उन्हें संयंत्र में नौकरी भी नहीं दी गई हैं।

निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कलेक्टर, बालोद एवं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन आगामी बैठक के पूर्व वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।

भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 40 वर्ष पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र हेतु 72 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसमें कोडेकसा गांव भी सम्मिलित था। इस अधिग्रहित भूमि हेतु संयंत्र द्वारा मुआवजा तत्समय भुगतान कर दिया गया था। भारत सरकार उद्योग मंत्रालय द्वारा 1986 में यह निर्देश जारी किये गये थे कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश समाप्त कर दिए गए हैं। भारत सरकार, इस्पात एवं खनिज मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–10–1989 द्वारा भी उक्त निर्देशों को यथावत रखा गया है। अतः भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि के विस्थापितों को संस्थान में नौकरी दिया जाना संभव नहीं है।

निर्णय– परिषद द्वारा कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(2.20) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (4.10)

माननीय सदस्या श्रीमती चम्पादेवी पावले द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र में बैगा जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इनके पूर्वजों के अभिलेख में कोल जाति अंकित है।

गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेट लगा है, जिसे पार करने पर ग्रामीणों से टैक्स वसूल किया जाता है। तमोर पिंगला अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण नहीं करने दिया जाता, तथा सड़क आदि निर्माण के कार्य भी नहीं हो रहें है।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। टी.ई.टी. पास नहीं करने वाले बैगाओं को शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है।

चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि जाति प्रमाण पत्र तथा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर, कोरिया समुचित कार्यवाही करें। वन विभाग से संबधित बिन्दु पर वन विभाग कार्यवाही करें। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण से वंचित किये जाने की क्षतिपूर्ति कैम्पा मद से किये जाने पर विचार किया जाये। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को जो टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें इस शर्त के साथ नियुक्ति दिये जाने हेतु पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जाये कि ऐसे युवक पांच वर्षों में टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।

इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के अभ्यारणय, टाईगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यानों का संग्रहण पर रोक के कारण ग्रामीणों को हो रहे आर्थिक

नुकसान का आंकलन एवं प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु मैदानी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेटमनी के तौर पर बाहरी क्षेत्र के चार पहिया वाहनों से 50/– प्रति वाहन प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। दो पहिया वाहनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं ली जा रही है। इस व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में सड़क आदि निर्माण का कोई प्रस्ताव वन विभाग में पंजीकृत नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आने पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

निर्णय–

(अ) कोरिया जिला में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

(ब) आयुक्त सरगुजा संभाग को निर्देशित किया गया कि वे भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र का प्रवास कर यह सुनिश्चित करें कि कोल जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(स) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों में निवासरत 24448 संग्राहकों को रूपये 2000/– प्रतिमान बोरा की दर से तेदूपत्ता संग्राहकों को रूपये 4.84 करोड़ प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान कैम्पा मद से स्वीकृत किया जावे।

(द) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विशिष्ठ पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों को एक नग कम्बल, एक नग ट्रांजिस्टर रेड़ियो ब्रांडेड कम्पनी का एवं एक नग छाता कैम्पा मद के ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाय।

(य) विशिष्ठ पिछड़ी जनजाति (PVTG) के युवकों को टी ई टी परीक्षा की तैयारी हेतु सरकारी खर्च पर कोचिंग दिलाई जाय।

(कार्यवाही कलेक्टर कोरिया/आयुक्त सरगुजा संभाग/वन विभाग/आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग)

एजेण्डा क्रमांक तीन :

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 का अनुमोदन :

(3.1) सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक चार :

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :–

(अ) श्रीमती चम्पादेवी पावले माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम डोलकी न तो राजस्व ग्राम में है और न ही वन ग्राम में है। अतः सर्वे कराकर निराकरण किया जाय।

निर्णय – परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संबध में सर्वे कर आगामी बैठक के पूर्व स्थिति से अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही राजस्व विभाग/कलेक्टर कोरिया)

(ब) श्री चिंतामणी महराज, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को स्थानीय जनजातियों से भरे जाने पर विचार किया जाय।

निर्णय– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संबध में परीक्षण कराया जाय।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग)

अंत में सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(आशीष कुमार भट्ट)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 में उपस्थित सदस्यों का सूची

क	नाम	पद
1	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. विभाग
3	माननीय श्री रामसेवक पैंकरा	सदस्य एवं मंत्री, गृह विभाग
4	माननीय श्री महेश गागड़ा	सदस्य एवं मंत्री, वन विभाग
5	माननीय श्री शिवशंकर पैंकरा	सदस्य एवं संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं संसदीय सचिव, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
7	माननीय श्रीमती चम्पादेवी पावले	सदस्य एवं विधायक भरतपुर–सोनहत
8	माननीय श्री राजशरण भगत	सदस्य एवं विधायक जशपुर
9	माननीय श्री रोहित कुमार साय	सदस्य एवं विधायक कुनकुरी
10	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं विधायक बिन्द्रानवागढ़
11	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक सिहावा
12	माननीय श्री चिन्तामणी महाराज	सदस्य एवं विधायक लुण्ड्रा
13	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम	सदस्य एवं विधायक मोहला–मानपुर
14	माननीय श्रीमती देवती कर्मा	सदस्य एवं विधायक दंतेवाड़ा
15	श्री मंगतू राम नूरेटी	अध्यक्ष, अबूझमाड़ विकास अभिकरण (विशेष आमंत्रित)

परिशिष्ट–2

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 में उपस्थित अधिकारियों का सूची

क	नाम	पद
1	श्री विवेक ढॉड	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री एन. के. असवाल	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि. विभाग
3	श्री एम. के. राउत	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग
4	श्री आर. पी. मंडल	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं नगरीय विकास विभाग
5	श्री ए. के. सामंतरे	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
6	श्री सुनील कुजूर	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग
7	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
8	डॉ.बी.एल. अग्रवाल	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
9	श्रीमती रेणु जी.पिल्ले	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास तथा तकनीकी शिक्षा विभाग
10	श्री सुबोध कुमार सिंह	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
11	श्री सुब्रत साहू	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
12	श्री विकासशील	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
13	श्री ए.डी.गौतम	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग
14	श्री ओ.पी.यादव	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
15	श्री आशीष कुमार भट्ट	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग
16	श्री राजीव श्रीवास्तव	प्रभारी पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़
17	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास
18	श्री दिलीप वासनीकर	आयुक्त, बस्तर संभाग

19	श्री टी.सी.महावर	आयुक्त, सरगुजा संभाग
20	श्री पी.निहलानी	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
21	डॉ.सनय सिवाइत	General Resourt of Chhattisgarh Tourism
22	श्री बी.एल.शरन	MD MFP Corporation Raipur
23	श्री संतोष कुमार	AGM Bhilai Steel Plant
24	श्री एल.टी.शेरपा	ED (P&A) Bhilai Steel Plant
25	श्री एस.के.साहा	ED (Mines) Bhilai Steel Plant
26	श्री टी.जी.कोसरिया	E In C, Public Health Engineering Department
27	श्री अरूण कुमार शुक्ला	General Manager, NMDC Bacheli
28	श्री बी.के.माधव	AGM(Pers.), NMDC Bacheli
29	श्री एस.चटर्जी	DGM (Pers.) NMDC Kirandul
30	श्री एस.पी.सिंह	MGR (Pers.) NMDC Raipur
31	श्री एस वर्मा	MGR (Pers.) NMDC Kirandul
32	श्री जितेन्द्र कुमार	MGR NMDC Kirandul
33	श्रीमती रेजिना टोप्पो	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
34	श्री ए.के.सिंह	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
35	श्री ए.एन.झा	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
36	श्री एम.फिलिप	सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर

❋❋❋❋❋

परिशिष्ट–04 ''अ''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2015–16 एकी.आदि.वि.परियोजना

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
			08.43	**06.65**	**03.31**	**03.26**	**03.38**	**03.70**	**04.77**	**02.82**	**02.01**	**03.65**	**03.97**	**05.40**	**08.30**	**04.92**	**09.07**	**06.16**	**05.82**	**06.62**	**07.76**	
1	**उद्यानिकी विकास(बाडीडेव्हेलपमेंट)**																					
1.1	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	41	30	16	16	16	18	23	10	10	18	19	30	40	24	44	30	28	34	38	485
	राशि		20.50	15.00	8.00	8.00	8.00	9.00	11.50	5.00	5.00	9.00	9.50	15.00	20.00	12.00	22.00	15.00	14.00	17.00	19.00	**242.50**
1.2	बड़े शहरों के आस–पास सब्जी बीज उत्पादन	0.05	552	436	217	214	221	242	312	185	132	239	260	354	544	322	594	403	381	434	508	6550
	राशि		27.60	21.80	10.85	10.70	11.05	12.10	15.60	9.25	6.60	11.95	13.00	17.70	27.20	16.10	29.70	20.15	19.05	21.70	25.40	**327.50**
1.3	आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना	0.25	37	20	14	14	14	16	20	10	8	15	17	25	35	21	38	26	32	28	32	422
	राशि		9.25	5.00	3.50	3.50	3.50	4.00	5.00	2.50	2.00	3.75	4.25	6.25	8.75	5.25	9.50	6.50	8.00	7.00	8.00	**105.50**
1.4	फलदार पौध नर्सरी विकास	0.50	17	13	7	7	7	8	10	5	4	7	8	12	17	10	18	13	12	12	16	203
	राशि		8.50	6.50	3.50	3.50	3.50	4.00	5.00	2.50	2.00	3.50	4.00	6.00	8.50	5.00	9.00	6.50	6.00	6.00	8.00	**101.50**
1.5	वर्मी कम्पोस्ट	0.16	32	25	12	12	13	14	18	11	8	14	15	20	31	18	34	23	22	25	29	376
	राशि		5.12	4.00	1.92	1.92	2.08	2.24	2.88	1.76	1.28	2.24	2.40	3.20	4.96	2.88	5.44	3.68	3.52	4.00	4.64	**60.16**
1.6	हाईब्रिड मुनगा पौध प्रदाय एवं विकास (प्रति परिवार 02 पौधा) (प्रति पौधा रू.8.00)	0.00016	2468	1946	969	955	990	1084	1397	826	589	1069	1163	1581	2431	1441	2656	1804	1704	1939	2272	29284
	राशि		0.39488	0.31136	0.15504	0.15280	0.15840	0.17344	0.22352	0.13216	0.09424	0.17104	0.18608	0.25296	0.38896	0.23056	0.42496	0.28864	0.27264	0.31024	0.36352	**4.68544**
1.7	पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु चारा/अंजोला विकास कार्यक्रम	0.05	118	93	46	46	47	52	67	40	28	51	56	76	116	69	127	86	82	93	109	1402
	राशि		5.90	4.65	2.30	2.30	2.35	2.60	3.35	2.00	1.40	2.55	2.80	3.80	5.80	3.45	6.35	4.30	4.10	4.65	5.45	**70.10**
1.8	मधुमक्खी पालन	0.10	66	40	23	23	24	26	33	20	14	26	28	38	58	34	63	43	41	46	54	700
	राशि		6.60	4.00	2.30	2.30	2.40	2.60	3.30	2.00	1.40	2.60	2.80	3.80	5.80	3.40	6.30	4.30	4.10	4.60	5.40	**70.00**
	योग		**3331**	**2603**	**1304**	**1287**	**1332**	**1460**	**1880**	**1107**	**793**	**1439**	**1566**	**2136**	**3272**	**1939**	**3574**	**2428**	**2302**	**2611**	**3058**	**39422**
	राशि		**83.86488**	**61.26136**	**32.52504**	**32.37280**	**33.03840**	**36.71344**	**46.85352**	**25.14216**	**19.77424**	**35.76104**	**38.93608**	**56.00296**	**81.39896**	**48.31056**	**88.71496**	**60.71864**	**59.04264**	**65.26024**	**76.25352**	**981.94544**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
2.1	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थापना (रू.15,000 प्रतिमाह 12 माह हेतु)	1.80	9	7	4	4	4	4	5	3	2	4	4	6	9	5	10	7	6	7	8	108
	राशि		16.20	12.60	7.20	7.20	7.20	7.20	8.70	5.40	3.60	7.20	7.20	10.80	16.20	9.00	18.00	12.60	10.80	12.60	14.40	**194.10**
2.2	लैब टेक्निशियन प्रशिक्षण (01 वर्षीय प्रशिक्षण)	0.37	7	6	3	3	3	3	4	2	2	3	3	5	6	4	9	4	5	6	7	85
	राशि		2.59	2.22	1.11	1.11	1.11	1.11	1.48	0.74	0.74	1.11	1.11	1.85	2.22	1.48	3.33	1.48	1.85	2.22	2.59	**31.45**
	योग		**16**	**13**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**5**	**4**	**7**	**7**	**11**	**15**	**9**	**19**	**11**	**11**	**13**	**15**	**193**
	राशि		**18.79**	**14.82**	**8.31**	**8.31**	**8.31**	**8.31**	**10.18**	**6.14**	**4.34**	**8.31**	**8.31**	**12.65**	**18.42**	**10.48**	**21.33**	**14.08**	**12.65**	**14.82**	**16.99**	**225.55**
3	**अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला/महोत्सव एवं खेल कूद प्रोत्साहन हेतु सहायता**	**3.00**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**2**	**4**	**2**	**1**	**3**	**3**	**37**
	राशि		**9.00**	**9.00**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**6.00**	**6.00**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**6.00**	**9.00**	**6.00**	**12.00**	**6.00**	**3.00**	**9.00**	**9.00**	**111.00**
4	**कौशल विकास**																					
4.1	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आफिसर मैनेजमेंट, मोटर ड्राइविंग, सोलर टेक्निशियन/इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन हेण्डीक्रफट बुटिक डेव्हेलपमेंट प्लंबरिंग, मेशन, इलेक्ट्रिशियन,फिटर, वेल्डर,कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर, हार्टीकल्चर, मत्स्य, पोल्ट्री एवं कम्प्यूटर (50 प्रतिशत महिला प्रशिक्षार्थी एवं 70 प्रतिशत प्लेसमेंट सहित)	0.333	237	190	95	93	96	101	131	82	56	102	112	148	232	138	253	172	166	186	218	2808
	राशि		78.921	63.270	31.635	30.969	31.968	33.633	43.623	27.306	18.648	33.966	37.296	49.284	77.256	45.954	84.249	57.276	55.278	61.938	72.595	935.065
4.2	अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवकों द्वारा कक्षा 10वी से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कोचिंग (रू. 0,600 प्रतिमाह 04 माह हेतु रू 42,400)	0.424	58	42	22	22	22	25	32	19	13	24	26	36	55	33	60	40	39	44	52	664
	राशि		24.400	17.808	9.328	9.328	9.328	10.600	13.568	8.056	5.512	10.176	11.024	15.264	23.320	13.992	25.440	16.960	16.536	18.656	22.048	281.344
	योग		**295**	**232**	**117**	**115**	**118**	**126**	**163**	**101**	**69**	**126**	**138**	**184**	**287**	**171**	**313**	**212**	**205**	**230**	**270**	**3472**
	राशि		**103.321**	**81.078**	**40.963**	**40.297**	**41.296**	**44.233**	**57.191**	**35.362**	**24.160**	**44.142**	**48.320**	**64.548**	**100.576**	**59.946**	**109.689**	**74.236**	**71.814**	**80.594**	**94.643**	**1216.409**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
5	शासकीय आवासीय विद्यालय में वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना, स्थानीय सेनेटरी नेपकीन का निर्माण	10.00	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	11
	राशि		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	110.00
6	डेयरी विकास कार्यक्रम (OMFED - Odisha Model)		5	3	2	2	2	3	3	2	1	3	2	3	4	3	5	3	3	3	4	56
	राशि		115.00	65.00	40.00	40.00	40.00	65.00	65.00	40.00	15.00	55.00	50.00	65.00	90.00	65.00	115.00	65.00	65.00	65.00	90.00	1210.00
7	**मछली पालन एवं मुर्गीपालन**																					
7.1	मत्स्य विकास कार्यकम एवं हेचरी निर्माण	2.00	41	25	16	15	15	17	25	10	9	15	17	25	40	21	42	28	33	34	40	468
	राशि		82.00	50.00	32.00	30.00	30.00	34.00	50.00	20.00	18.00	30.00	34.00	50.00	80.00	42.00	84.00	56.00	66.00	68.00	80.00	**936.00**
7.2	बैकयार्ड पोल्ट्री विकास शेड निर्माण सहित	0.25	126	97	50	49	46	52	72	42	33	55	60	81	127	74	136	92	92	99	116	1499
	राशि		31.50	24.25	12.50	12.25	11.50	13.00	18.00	10.50	8.25	13.75	15.00	20.25	31.75	18.50	34.00	23.00	23.00	24.75	29.00	374.75
7.3	परंपरागत फसलों का विकास (कोदो, कुटकी, (रागी) मडिया रामतिल आदि)	0.03	263	208	103	102	106	116	149	88	63	114	124	169	259	154	283	192	182	207	242	3124
	राशि		7.89	6.24	3.09	3.06	3.18	3.48	4.47	2.64	1.90	3.42	3.72	5.07	7.77	4.62	8.49	5.76	5.46	6.21	7.26	93.73
	योग		**430**	**330**	**169**	**166**	**167**	**185**	**246**	**140**	**105**	**184**	**201**	**275**	**426**	**249**	**461**	**312**	**307**	**340**	**398**	**5091**
	राशि		**121.39**	**80.49**	**47.59**	**45.31**	**44.68**	**50.48**	**72.47**	**33.14**	**28.15**	**47.17**	**52.72**	**75.32**	**119.52**	**65.12**	**126.49**	**84.76**	**94.46**	**98.96**	**116.26**	**1404.48**
8	आदिवासी ग्रामों का विकास एवं स्थायी आजीविका																					
8.1	**Community Orgainization, Development of green villages, NTFP based interventions, Orgainic manuring, Energy Conservation, Income generation activity, agriculture based interventions (for 5 years Rs. 181.00 Lacs) (South Bastar Kondagaon, Forest Division South Bastar)**	36.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	राशि		0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

9	नलकूप खनन सहित सोलर सिंचाई योजना	5.72	8	4	2	2	3	4	4	3	3	3	4	6	8	4	9	8	5	7	7	94
	राशि		45.76	22.88	11.44	11.44	17.16	22.88	22.88	17.16	17.16	17.16	22.88	34.32	45.76	22.88	51.48	45.76	28.60	40.04	40.04	**537.68**
10	सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप सहित नलकूप खनन सह बिजली कनेक्शन	1.50	28	22	16	15	18	12	17	10	10	11	15	19	30	15	31	20	16	18	26	349
	राशि		42.00	33.00	24.00	22.50	27.00	18.00	25.50	15.00	15.00	16.50	22.50	28.50	45.00	22.50	46.50	30.00	24.00	27.00	39.00	523.50
11	जिला मुख्यालय में स्थित आदिवासी छात्रावासों में आधुनिक किचन की स्थापना	5.00	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	राशि		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
12	छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण	3.00	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	23
	राशि		6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	69.00
	राजस्व मद कुल योग ईकाई		**4119**	**3214**	**1621**	**1598**	**1650**	**1801**	**2326**	**1371**	**987**	**1776**	**1937**	**2638**	**4049**	**2395**	**4420**	**2999**	**2853**	**3229**	**3784**	**48767**
	राजस्व मद कुल योग राशि		**550.12588**	**421.52936**	**225.82804**	**221.22980**	**222.48440**	**259.61644**	**314.07452**	**182.94416**	**136.58424**	**235.04304**	**264.66608**	**350.34096**	**530.67496**	**318.23656**	**592.20396**	**398.55464**	**376.56664**	**421.67424**	**493.18652**	**6515.56444**
	अधोसरंचना विकास कार्यक्रम																					
13	**छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण**	**3.00**	**14**	**11**	**5**	**5**	**5**	**6**	**8**	**5**	**3**	**6**	**6**	**9**	**13**	**8**	**15**	**10**	**9**	**11**	**12**	**161**
	राशि		**42.00**	**33.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**18.00**	**24.00**	**15.00**	**9.00**	**18.00**	**18.00**	**27.00**	**39.00**	**24.00**	**45.00**	**30.00**	**27.00**	**33.00**	**36.00**	**483.00**
14	**कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधा**																					
14.1	स्टापडेम निर्माण	20.00	6	5	2	2	2	2	3	2	1	3	2	4	7	4	7	4	4	5	5	70
	राशि		120.00	100.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	40.00	20.00	60.00	40.00	80.00	140.00	80.00	140.00	80.00	80.00	100.00	100.00	1400.00
14.2	कलवर्ट कम स्टापडेम	10.00	4	6	2	2	2	1	2	2	1	1	2	3	4	2	3	4	3	4	6	54
	राशि		40.00	60.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	20.00	30.00	40.00	30.00	40.00	60.00	540.00
	योग ईकाई		**10**	**11**	**4**	**4**	**4**	**3**	**5**	**4**	**2**	**4**	**4**	**7**	**11**	**6**	**10**	**8**	**7**	**9**	**11**	**124**
	राशि योग		**160.00**	**160.00**	**60.00**	**60.00**	**60.00**	**50.00**	**80.00**	**60.00**	**30.00**	**70.00**	**60.00**	**110.00**	**180.00**	**100.00**	**170.00**	**120.00**	**110.00**	**140.00**	**160.00**	**1940.00**
15	**व्यवसायिक परिसर/बाजार शेड निर्माण**	**10.00**	**4**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**45**
	राशि		**40.00**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**20.00**	**20.00**	**30.00**	**10.00**	**10.00**	**20.00**	**30.00**	**20.00**	**30.00**	**20.00**	**45.00**	**30.00**	**30.00**	**30.00**	**40.00**	**455.00**
	पूंजीमद कुल योग ईकाई		**28**	**23**	**10**	**10**	**11**	**11**	**16**	**10**	**6**	**12**	**13**	**18**	**27**	**16**	**29**	**21**	**19**	**23**	**27**	**330**
	पूंजीमद कुल योग राशि		**242.00**	**203.00**	**85.00**	**85.00**	**95.00**	**88.00**	**134.00**	**85.00**	**49.00**	**108.00**	**108.00**	**157.00**	**249.00**	**144.00**	**260.00**	**180.00**	**167.00**	**203.00**	**236.00**	**2878.00**
	महायोग इकाई		**4147**	**3237**	**1631**	**1608**	**1661**	**1812**	**2342**	**1381**	**993**	**1788**	**1950**	**2656**	**4076**	**2411**	**4449**	**3020**	**2872**	**3252**	**3811**	**49097**
	महायोग राशि		**792.12588**	**624.52936**	**310.82804**	**306.22980**	**317.48440**	**347.61644**	**448.07452**	**267.94416**	**185.58424**	**343.04304**	**372.66608**	**507.34096**	**779.67496**	**462.23656**	**852.20396**	**578.55464**	**543.56664**	**624.67424**	**729.18652**	**9393.56444**

परिशिष्ट–04 ''ब''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2015–16 माडा पाकेट

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंन्द–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
1	उद्यानिकी विकास (बाडी डेव्हेलपमेंट)											
1.1	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	3	4	3	2	1	1	3	1	1	19
	राशि		1.50	2.00	1.50	1.00	0.50	0.50	1.50	0.50	0.50	9.50
1.2	बड़े शहरों के आस–पास सब्जी बीज उत्पादन	0.05	35	65	45	13	13	9	52	12	6	250
	राशि		1.75	3.25	2.25	0.65	0.65	0.45	2.60	0.60	0.30	12.50
1.3	आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना	0.25	2	3	3	1	1	2	3	1	0	16
	राशि		0.50	0.75	0.75	0.25	0.25	0.50	0.75	0.25	0.00	4.00
1.4	फलदार पौध नर्सरी विकास	0.50	1	1	1	1	0	1	2	1	0	8
	राशि		0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00	4.00
1.5	वर्मी कम्पोस्ट	0.16	2	2	2	1	1	1	3	1	1	14
	राशि		0.32	0.32	0.32	0.16	0.16	0.16	0.48	0.16	0.16	2.24
1.6	हाईब्रिड मुनगा पौध प्रदाय एवं विकास (प्रति परिवार 02 पौधा) (प्रति पौधा रू.8.00)	0.00016	176	327	223	65	64	43	261	60	31	1250
	राशि		0.02816	0.05232	0.03568	0.01040	0.01024	0.00688	0.04176	0.00960	0.00496	0.20000
1.7	पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु चारा/अंजोला विकास कार्यक्रम	0.05	8	10	8	3	3	5	11	4	2	54
	राशि		0.40	0.50	0.40	0.15	0.15	0.25	0.55	0.20	0.10	2.70
1.8	मधुमक्खी पालन	0.10	4	5	3	2	1	3	6	2	1	27
	राशि		0.40	0.50	0.30	0.20	0.10	0.30	0.60	0.20	0.10	2.70
	योग		**231**	**417**	**288**	**88**	**84**	**65**	**341**	**82**	**42**	**1638**
	राशि		**5.39816**	**7.87232**	**6.05568**	**2.92040**	**1.82024**	**2.66688**	**7.52176**	**2.41960**	**1.16496**	**37.84000**
2	**कन्या छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य सुविधा**											
2.1	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थापना (रू.15,000 प्रतिमाह 12 माह हेतु)	1.80	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4
	राशि		1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	7.20
2.2	लैब टेक्निशियन प्रशिक्षण (01 वर्षीय प्रशिक्षण)	0.37	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	राशि		0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	1.11
	योग		**1**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**7**
	राशि		**1.80**	**2.17**	**2.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.17**	**0.00**	**0.00**	**8.31**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुन्द–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
3	सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास											
3.1	अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला/महोत्सव एवं खेल कूद प्रोत्साहन हेतु सहायता	**3.00**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**6.00**
4	कौशल विकास											
4.1	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यकम (आफिसर मैनेजमेंट, मोटर ड्राइविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन हैण्डीक्रफट बुटिक डेव्हेलपमेंट प्लंबरिंग, मेशन, इलेक्ट्रिशियन,फिटर, वेल्डर,कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर, हार्टीकल्चर, मत्स्य, पोल्ट्री एवं कम्प्यूटर (50 प्रतिशत महिला प्रशिक्षार्थी एवं 70 प्रतिशत प्लेसमेंट सहित)	0.333	23	20	14	15	6	6	18	3	3	108
	राशि		7.659	6.660	4.662	4.995	1.998	1.998	5.994	0.999	0.999	35.964
4.2	अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवकों द्वारा कक्षा 10वी से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कोचिंग (रू.10,600 प्रतिमाह 04 माह हेतु रू 42,400)	0.424	8	4	3	2	1	2	4	1	0	25
	राशि		3.392	1.696	1.272	0.848	0.424	0.848	1.696	0.424	0.000	10.600
	योग		**31**	**24**	**17**	**17**	**7**	**8**	**22**	**4**	**3**	**133**
	राशि		**11.051**	**8.356**	**5.934**	**5.843**	**2.422**	**2.846**	**7.690**	**1.423**	**0.999**	**46.564**
5	**डेयरी विकास कार्यक्रम (OMFED - Odisha Model)**		**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**
	राशि		**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**65.00**
6	**मछली पालन एवं मुर्गीपालन**											
6.1	मत्स्य विकास कार्यक्रम एवं हेचरी निर्माण	2.00	6	0	2	2	1	1	4	1	1	18
	राशि		12.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	36.00
6.2	बैकयार्ड पोल्ट्री विकास शेड निर्माण सहित	0.25	8	12	8	5	3	2	12	6	2	58
	राशि		2.00	3.00	2.00	1.25	0.75	0.50	3.00	1.50	0.50	14.50
6.3	परंपरागत फसलों का विकास (कोदो, कुटकी, (रागी) मडिया रामतिल आदि)	0.03	17	25	20	7	6	4	25	12	4	120
	राशि		0.51	0.75	0.60	0.21	0.18	0.12	0.75	0.36	0.12	3.60
	योग		**31**	**37**	**30**	**14**	**10**	**7**	**41**	**19**	**7**	**196**
	राशि		**14.51**	**3.75**	**6.60**	**5.46**	**2.93**	**2.62**	**11.75**	**3.86**	**2.62**	**54.10**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंद–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
7	नलकूप खनन सहित सोलर सिंचाई योजना	**5.72**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**
	राशि		**5.72**	**0.00**	**5.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.72**	**0.00**	**17.16**
8	सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप सहित नलकूप खनन सह बिजली कनेक्शन	**1.50**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**7**
	राशि		**0.00**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**0.00**	**1.50**	**1.50**	**10.50**
9	जिला मुख्यालय में स्थित आदिवासी छात्रावासों में आधुनिक किचन की स्थापना	**5.00**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
	राजस्व कुल योग ईकाई		**295**	**483**	**340**	**121**	**102**	**81**	**408**	**107**	**53**	**1990**
	राजस्व कुल योग राशि		**38.47916**	**63.64832**	**32.97968**	**18.72340**	**8.67224**	**9.63288**	**57.13176**	**14.92260**	**6.28396**	**250.474**
	अधोसंरचना विकास कार्यक्रम											
10	छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण	**3.00**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**6**
	राशि		**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**18.00**
11	कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधा (अधोसंरचना विकास कार्यक्रम)											
11.1	स्टापडेम निर्माण	20.00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	राशि		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00
11.2	कलवर्ट कम स्टापडेम	10.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	राशि		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	योग		**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**
	राशि		**10.00**	**20.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
12	व्यवसायिक परिसर/बाजार शेड निर्माण	**10.00**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
	राशि		**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
	पूंजी योग		**2**	**3**	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**13**
	पूंजी योग राशि		**13.00**	**33.00**	**33.00**	**0.00**	**10.00**	**3.00**	**20.00**	**3.00**	**3.00**	**118.00**
	कुल योग ईकाई		**297**	**486**	**343**	**121**	**103**	**82**	**409**	**108**	**54**	**2003**
	कुल योग राशि		**51.479**	**96.648**	**65.980**	**18.723**	**18.672**	**12.633**	**77.132**	**17.923**	**9.284**	**368.474**

परिशिष्ट–04 ''स''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2015–16 लघु अंचल

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग
1	उद्यानिकी विकास(बाडीडेव्हेलपमेंट)				
1.1	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	2	2	4
	राशि		1.00	1.00	2.00
1.2	बड़े शहरों के आस–पास सब्जी बीज उत्पादन	0.05	16	17	33
	राशि		0.80	0.85	1.65
1.3	आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना	0.25	1	1	2
	राशि		0.25	0.25	0.50
1.4	फलदार पौध नर्सरी विकास	0.50	2	2	4
	राशि		1.00	1.00	2.00
1.5	वर्मी कम्पोस्ट	0.16	0	1	1
	राशि		0.00	0.16	0.16
1.6	हाईब्रिड मुनगा पौध प्रदाय एवं विकास (प्रति परिवार 02 पौधा) (प्रति पौधा रू.8.00)	0.00016	53	53	106
	राशि		0.00848	0.00848	0.01696
1.7	पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु चारा/अंजोला विकास कार्यक्रम	0.05	4	5	9
	राशि		0.20	0.25	0.45
1.8	मधुमक्खी पालन	0.10	3	2	5
	राशि		0.30	0.20	0.50
	योग		**81**	**83**	**164**
	राशि		**3.55848**	**3.71848**	**7.27696**
2	कौशल विकास				
2.1	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आफिसर मैनेजमेंट, मोटर ड्राइविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन हैण्डीक्रफट बुटिक डेव्हेलपमेंट प्लंबरिंग, मेशन, इलेक्ट्रिशियन,फिटर, वेल्डर,कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर, हार्टीकल्चर, मत्स्य, पोल्ट्री एवं कम्प्यूटर (50 प्रतिशत महिला प्रशिक्षार्थी एवं 70 प्रतिशत प्लेसमेंट सहित)	0.333	13	15	28
	राशि		4.329	4.995	9.324
2.2	अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवकों द्वारा कक्षा 10वी से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कोचिंग (रू.10,600 प्रतिमाह 04 माह हेतु रू 42,400)	0.424	1	1	2
	राशि		0.424	0.424	0.848
	योग		**14**	**16**	**30**
	राशि		**4.753**	**5.419**	**10.172**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग
3	मछली पालन एवं मुर्गीपालन				
3.1	मत्स्य विकास कार्यक्रम एवं हेचरी निर्माण	2.00	2	2	4
	राशि		4.00	4.00	8.00
3.2	बैकयार्ड पोल्ट्री विकास शेड निर्माण सहित	0.25	2	3	5
	राशि		0.50	0.75	1.25
3.3	परंपरागत फसलों का विकास (कोदो, कुटकी, (रागी) मडिया रामतिल आदि)	0.03	10	9	19
	राशि		0.30	0.27	0.57
	योग		**14**	**14**	**28**
	राशि		**4.80**	**5.02**	**9.82**
7	सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप सहित नलकूप खनन सह बिजली कनेक्शन	**1.50**	**1**	**2**	**3**
	राशि		**1.50**	**3.00**	**4.50**
	आवर्ती योग ईकाई		**110**	**115**	**225**
	आवर्ती योग राशि		**14.61148**	**17.15748**	**31.76896**
	अधोसंरचना विकास कार्यक्रम				
8	छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण	**3.00**	**1**	**0**	**1**
	राशि		**3.00**	**0.00**	**3.00**
	अनावर्ती योग ईकाई		**1**	**0**	**1**
	आनवर्ती योग राशि		**3.00**	**0.00**	**3.00**
	कुल योग ईकाई		**111**	**115**	**226**
	कुल योग राशि		**17.61148**	**17.15748**	**34.76896**

परिशिष्ट–04 ''द''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2015–16 विशेष पिछड़ी जनजाति

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	प.को. अंबिकापुर	प.को. जशपुर	प.को.कोरबा	प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा कवर्धा	बैगा बिलासपुर	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार गरियाबंद	कमार नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	बिरहोर प्रकोष्ठ जशपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ बिलासपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा	अबूझमाड़ नारायणपुर	योग
1	**उद्यानिकी विकास (बाडीडेव्हेलपमेंट)**																				
1.1	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	**12**
	राशि		1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	**6.00**
1.2	बड़े शहरों के आस–पास सब्जी बीज उत्पादन	0.05	18	14	3	13	30	15	18	4	6	15	6	3	1	1	1	0	1	16	**165**
	राशि		0.90	0.70	0.15	0.65	1.50	0.75	0.90	0.20	0.30	0.75	0.30	0.15	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.80	**8.25**
1.3	आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना	0.25	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**10**
	राशि		0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	**2.50**
1.4	फलदार पौध नर्सरी विकास	0.50	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**5**
	राशि		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	**2.50**
1.5	वर्मी कम्पोस्ट	0.16	1	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**9**
	राशि		0.16	0.16	0.00	0.16	0.32	0.16	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	**1.44**
1.6	हाईब्रिड मुनगा पौध प्रदाय एवं विकास (प्रति परिवार 02 पौधा) (प्रति पौधा रू.8.00)	0.00016	65	62	11	60	150	46	80	17	27	68	27	15	0	5	2	2	6	92	**735**
	राशि		0.0104	0.0099	0.0018	0.0096	0.0240	0.0074	0.0128	0.0027	0.0043	0.0109	0.0043	0.0024	0.0000	0.0008	0.0003	0.0003	0.0010	0.0147	**0.1176**
1.7	पशुओं के पौष्टिक आहार हेतु चारा/अंजोला विकास कार्यक्रम	0.05	3	3	1	3	7	4	4	2	1	3	1	1	0	0	0	0	1	1	35
	राशि		0.15	0.15	0.05	0.15	0.35	0.20	0.20	0.10	0.05	0.15	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	**1.75**
1.8	मधुमक्खी पालन	0.10	1	1	0	1	4	1	2	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	**18**
	राशि		0.10	0.10	0.00	0.10	0.40	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	**1.80**
	योग		**92**	**84**	**16**	**80**	**196**	**69**	**108**	**26**	**36**	**92**	**36**	**19**	**1**	**7**	**4**	**2**	**8**	**113**	**989**
	राशि		**3.07040**	**2.36992**	**0.45176**	**1.81960**	**3.59400**	**1.96736**	**2.72280**	**1.00272**	**0.95432**	**2.52088**	**0.95432**	**0.20240**	**0.05000**	**0.15080**	**0.15032**	**0.00032**	**0.10096**	**2.27472**	**24.357600**
2	**कन्या छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य सुविधा**																				
2.1	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थापना (रू. 15,000 प्रतिमाह 12 माह हेतु)	1.80	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	राशि		0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5.40**
2.2	लैब टेक्निशियन प्रशिक्षण (01 वर्षीय प्रशिक्षण)	0.37	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	राशि		0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.74**
	योग		**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
	राशि		**0.37**	**1.80**	**0.00**	**0.00**	**0.37**	**0.00**	**1.80**	**1.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.14**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	प.को.अंबिकापुर	प.को. जशपुर	प.को.कोरबा	प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा कवर्धा	बैगा बिलासपुर	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार गरियाबंद	कमार नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	बिरहोर प्रकोष्ठ जशपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ बिलासपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा	अबूझमाड़ नारायणपुर	योग
3	**सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास**																				
3.1	अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला / महोत्सव एवं खेल कूद प्रोत्साहन हेतु सहायता	**3.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**
	योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**
4	**कौशल विकास**																				
4.1	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आफिसर मैनेजमेंट, मोटर ड्राइविंग, सोलर टेक्निशियन / इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन हैण्डीक्रफट बुटिक डेव्हेलपमेंट प्लंबरिंग, मेशन, इलेक्ट्रिशियन,फिटर, वेल्डर,कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर, हार्टीकल्चर, मत्स्य, पोल्ट्री एवं कम्प्यूटर (50 प्रतिशत महिला प्रशिक्षार्थी एवं 70 प्रतिशत प्लेसमेंट सहित)	**0.333**	**8**	**3**	**0**	**4**	**7**	**4**	**8**	**0**	**3**	**6**	**3**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**59**
	राशि		**2.664**	**0.999**	**0.000**	**1.332**	**2.331**	**1.332**	**2.664**	**0.000**	**0.999**	**1.998**	**0.999**	**1.332**	**0.000**	**0.000**	**0.333**	**0.333**	**0.000**	**2.331**	**19.647**
4.2	अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवकों द्वारा कक्षा 10वी से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की कोचिंग (रू.10,600 प्रतिमाह 04 माह हेतु रू 42,400)	**0.424**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**17**
	राशि		**0.424**	**0.424**	**0.000**	**0.424**	**0.848**	**0.424**	**0.848**	**0.424**	**0.424**	**0.848**	**1.272**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.848**	**7.208**
	योग		**9**	**4**	**0**	**5**	**9**	**5**	**10**	**1**	**4**	**8**	**6**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**9**	**76**
	राशि		**3.088**	**1.423**	**0.000**	**1.756**	**3.179**	**1.756**	**3.512**	**0.424**	**1.423**	**2.846**	**2.271**	**1.332**	**0.000**	**0.000**	**0.333**	**0.333**	**0.000**	**3.179**	**26.855**
5	डेयरी विकास कार्यक्रम (OMFED - Odisha Model)		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**
6	**मछली पालन एवं मुर्गीपालन**																				
6.1	मत्स्य विकास कार्यक्रम एवं हेचरी निर्माण	2.00	1	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
	राशि		2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**20.00**
6.2	बैकयार्ड पोल्ट्री विकास शेड निर्माण सहित	0.25	5	3	1	3	4	3	4	2	1	4	1	3	2	0	0	0	1	1	**38**
	राशि		1.25	0.75	0.25	0.75	1.00	0.75	1.00	0.50	0.25	1.00	0.25	0.75	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	**9.50**
6.3	परंपरागत फसलों का विकास (कोदो, कुटकी, (रागी) मडिया रामतिल आदि)	0.03	5	6	4	6	10	11	8	2	3	8	3	3	0	0	0	0	1	0	**70**
	राशि		0.15	0.18	0.12	0.18	0.30	0.33	0.24	0.06	0.09	0.24	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**2.10**
	योग		**11**	**11**	**6**	**10**	**14**	**15**	**13**	**4**	**4**	**13**	**5**	**7**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**118**
	राशि		**3.40**	**4.93**	**2.37**	**2.93**	**1.30**	**3.08**	**3.24**	**0.56**	**0.34**	**3.24**	**2.34**	**2.84**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.28**	**0.25**	**31.60**

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	प.को. अंबिकापुर	प.को. जशपुर	प.को. कोरबा	प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा कवर्धा	बैगा बिलासपुर	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार गरियाबंद	कमार नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	बिरहोर प्रकोष्ठ जशपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ बिलासपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा	अबूझमाड़ नारायणपुर	योग
7.0	नलकूप खनन सहित सोलर सिंचाई योजना	**5.72**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
	राशि		**0.00**	**5.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.16**
8.0	सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप सहित नलकूप खनन सह बिजली कनेक्शन	**1.50**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**13**
	राशि		**1.50**	**1.50**	**1.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**1.50**	**3.00**	**1.50**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**1.50**	**19.50**
9	छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण	**3.00**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**
	राशि		**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**15.00**
	आवर्ती योग इकाई		**115**	**102**	**23**	**96**	**221**	**91**	**133**	**33**	**47**	**116**	**49**	**30**	**3**	**8**	**5**	**3**	**11**	**125**	**1211**
	आवर्ती योग राशि		**14.42840**	**17.74292**	**4.32176**	**9.50560**	**33.44300**	**15.52336**	**12.77480**	**5.28672**	**8.71732**	**8.82688**	**8.56532**	**4.37440**	**0.55000**	**1.65080**	**0.48332**	**.33332**	**1.88096**	**10.20372**	**168.61260**
	अधोसरंचना विकास																				
10	छात्रावास/आश्रमों में किचन सह स्टोर भवन का निर्माण	**3.00**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
	राशि		**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**
11	कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधा																				
11.1	स्टापडेम निर्माण	20.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
	राशि		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	**40.00**
11.2	कलवर्ट कमस्टापडेम	10.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	राशि		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10.00**
	योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**50.00**
12	व्यवसायिक परिसर/बाजार शेड निर्माण	**10.00**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
	राशि		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
	अनावर्ती योग इकाई		**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**8**
	अनावर्ती योग राशि		**0.00**	**3.00**	**0.00**	**10.00**	**23.00**	**0.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**72.00**
	कुल योग इकाई		**115**	**103**	**23**	**97**	**223**	**91**	**135**	**33**	**47**	**117**	**49**	**30**	**3**	**8**	**5**	**3**	**11**	**126**	**1219**
	कुल योग राशि		**14.42840**	**20.74292**	**4.32176**	**19.50560**	**56.44300**	**15.52336**	**25.77480**	**5.28672**	**8.71732**	**1.82688**	**8.56532**	**4.37440**	**0.55000**	**1.65080**	**0.48332**	**.33332**	**1.88096**	**30.20372**	**240.61260**

परिशिष्ट–04 ''इ''

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी. प्लान) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना वर्ष 2015–16

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा		पहाड़ी कोरवा		बिरहोर		कमार		अबूझमाडिया		योग	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	राजस्व मद													
1	**उद्यानिकी**													
1	आलू विकास कार्यक्रम	0.06	100	6.00	163	9.78	62	3.72	0	0.00	100	6.00	**425**	**25.50**
2	सब्जी बीज मिनीकिट	0.02	642	12.84	89	1.78	343	6.84	352	7.04	0	0.00	**1426**	**28.50**
3	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	13	6.50	38	19.00	5	2.50	19	9.50	10	5.00	**85**	**42.50**
4	वर्मी कम्पोस्ट	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	7.20	0	0.00	**12**	**7.20**
	योग		**755**	**25.34**	**290**	**30.56**	**410**	**13.06**	**383**	**23.74**	**110**	**11.00**	**1948**	**103.70**
2	**पेयजल**													
1	हैण्डपंप		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
2	आयरन रिमुवल	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.80	0	0.00	**3**	**1.80**
3	स्पाट सोर्स	3.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.40	0	0.00	**1**	**3.40**
4	ढोंढी	0.10	0	0.00	70	7.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**70**	**7.00**
	योग		**0**	**0.00**	**70**	**7.00**	**0**	**0**	**4**	**5.20**	**0**	**0.00**	**74**	**12.20**
3	**मत्स्योद्योग**													
1	बैकयार्ड फिशरीज	5.00	10	50.00	5	25.00	0	0.00	3	15.00	3	15.00	**21**	**105.00**
2	मत्स्य बीज/जाल	0.10	95	9.50	0	0.00	0	0.00	55	5.50	0	0.00	**150**	**15.00**
	योग		**105**	**59.50**	**5**	**25.00**	**0**	**0**	**58**	**20.50**	**3**	**15.00**	**171**	**120.00**
4	**पशु पालन**													
1	बैकयार्ड पोल्ट्री	0.02	956	19.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	395	7.90	**1351**	**27.02**
2	डेयरी डेवेलपमेंट प्रोग्राम	20.00	2	40.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	1	20.00	**5**	**100.00**
	योग		**958**	**59.12**	**1**	**20.00**	**0**	**0**	**1**	**20.00**	**396**	**27.90**	**1356**	**127.02**

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा		पहाड़ी कोरवा		बिरहोर		कमार		अबूझमाडिया		योग	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
5	**स्वास्थ्य**													
1	स्वास्थ जागरूकता शिविर	0.70	46	32.20	27	18.90	3	2.10	5	3.50	12	8.40	**93**	**65.10**
2	मच्छरदानी	0.0035	12070	42.24	7559	26.45	0	0.00	2097	7.33	2320	8.12	**24046**	**84.14**
3	गंभीर बीमारी के उपचार हेतु सहायता			69.45		36.21		3.04		22.58		18.72		**150.00**
	योग		**12116**	**143.89**	**7586**	**81.56**	**3**	**5.14**	**2102**	**33.41**	**2332**	**35.24**	**24139**	**299.24**
6	**वन**													
1	बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.10	223	22.30	67	6.70	0	0.00	0	0.00	20	2.00	**310**	**31.00**
2	लाख पालन	0.10	86	8.60	29	2.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**115**	**11.50**
3	मधुमक्खी पालन	0.10	45	4.50	10	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**55**	**5.50**
4	कोसा उत्पादन	3.10	2	6.20	4	12.40	1	3.10	0	0.00	0	0.00	**7**	**21.70**
	योग		**356**	**41.60**	**110**	**23.00**	**1**	**3.10**	**0**	**0.00**	**20**	**2.00**	**487**	**69.70**
7	**स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम**													
1	नर्सिंग (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण एवं नियोजन	0.66	38	25.08	16	10.56	0	0.00	10	6.60	11	7.26	**75**	**49.50**
2	कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सेट प्रदाय	0.60	91	54.60	46	27.60	0	0.00	29	17.40	24	14.40	**190**	**114.00**
3	सिलाई प्रशिक्षण एवं मशीन प्रदाय	0.20	25	5.00	0		0	0.00	60	12.00	5	1.00	**90**	**18.00**
4	मोटर ड्रायविंग प्रशिक्षण	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	5.00	0	0.00	**50**	**5.00**
5	महिलाओं के लिय किराना/रेडिमेड वस्त्र दुकान	0.50	15	7.50	0	0.00	0	0.00	5	2.50	5	2.50	**25**	**12.50**

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा		पहाड़ी कोरवा		बिरहोर		कमार		अबूझमाडिया		योग	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
6	ईट निर्माण प्रशिक्षण	0.75	14	10.50	0	0.00	0	0.00	6	4.50	0	0.00	**20**	**15.00**
7	हैंडपंप मरम्मत प्रशिक्षण	0.15	72	10.80	36	5.40	0	0.00	23	3.45	19	2.85	**150**	**22.50**
8	इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण एवं किट प्रदाय	0.20	154	30.80	20	4.00	0	0.00	16	3.20	50	10.00	**240**	**48.00**
9	प्लंबर प्रशिक्षण एवं किट प्रदाय	0.20	67	13.40	27	5.40	0	0.00	2	0.40	14	2.80	**110**	**22.00**
10	किराया भंडार, टैंट, लाउड स्पीकर प्रदाय	0.50	0	0.00	25	12.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**25**	**12.50**
11	सौर उर्जा सिस्टम मरम्मत प्रशिक्षण एवं किट प्रदाय	0.10	98	9.80	50	5.00	0	0.00	31	3.10	21	2.10	**200**	**20.00**
12	लैब टैक्निशियन प्रशिक्षण	0.36	21	6.72	16	5.12	0	0.00	7	2.24	6	1.92	**50**	**16.00**
	योग		**595**	**174.20**	**236**	**75.58**	**0**	**0.00**	**239**	**60.39**	**155**	**44.83**	**1225**	**355.00**
	कुल योग		**14885**	**503.65**	**8298**	**262.70**	**414**	**21.3**	**2787**	**163.24**	**3016**	**135.97**	**29400**	**1086.86**
	पूंजीगत मद													
1	**विद्युतीकरण**													
1	सौर उर्जा सिस्टम एवं मरम्मत	0.125	157	19.62	63	7.88	8	1.00	0	0.00	32	4.00	**260**	**32.50**
	योग		**157**	**19.62**	**63**	**7.88**	**8**	**1.00**	**0**	**0.00**	**32**	**4.00**	**260**	**32.50**
2	**अधोसंरचना**													
1	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	10.00	8	80.00	4	40.00	0	0.00	4	40.00	2	20.00	**18**	**180.00**
2	ए.एन.एम.प्रशिक्षण सेंटर भवन निर्माण	10.00	5	50.00	4	40.00	0	0.00	1	10.00	1	10.00	**11**	**110.00**
	योग		**13**	**130.00**	**8**	**80.00**	**0**	**0.00**	**5**	**50.00**	**3**	**30.00**	**29**	**290.00**

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा		पहाड़ी कोरवा		बिरहोर		कमार		अबूझमाडिया		योग	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
3	**सिंचाई सुविधा**													
1	टयूबवेल सह पंप स्थापना	1.50	52	78.00	8	12.00	4	6.00	3	4.50	4	6.00	**71**	**106.50**
2	स्टापडेम	_	4	70.00	4	46.00	0	0.00	1	10.97	3	39.00	**12**	**165.97**
3	चेकडेम	_	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	40.00	0	0.00	**4**	**40.00**
4	तालाब निर्माण	_	15	34.00	5	28.00	2	8.00	0	0.00	2	10.00	**24**	**80.00**
5	रिंग कुंआ	0.60	4	2.40	2	1.20	0	0.00	5	3.00	2	1.20	**13**	**7.80**
	योग		**75**	**184.40**	**19**	**87.20**	**6**	**14.00**	**13**	**58.47**	**11**	**56.20**	**124**	**400.27**
	कुल योग		**245**	**334.02**	**90**	**175.08**	**14**	**15.00**	**18**	**108.47**	**46**	**90.20**	**413**	**722.77**
	महायोग		**15130**	**837.67**	**8388**	**437.78**	**428**	**36.30**	**2805**	**271.71**	**3062**	**226.17**	**29813**	**1809.63**

*****